Fortnightly per copy Rs. 12/- only | ओ३म् | 18th September 2016

आर्य जीवन

ఆర్య జీవన్

संस्कृति संरक्षण व सामाजिक परिवर्तन का संकल्प

హిందీ-తెలుగు ద్విభాషా పక్ష పత్రిక

Date of Publication 2nd & 17th of every Month, Date of posting 3rd and 18th of every month

हैदराबाद मुक्ति संग्राम के इतिहास को आर्यों ने रक्त से सींचा है

निज़ाम व रज़ाकारों के विरुद्ध आम जनता के अधिकार के लिए लड़ना साम्प्रदायिक नही

इतिहास को भुलाना महा अपराध होगा

१७ सितम्बर को मुक्ति दिवस सरकारी तौर पर मनाए जाए आर्य प्रतिनिधि सभा की मांग

वर्तमान तेलंगाना राज्य की सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए रक्त से सींचित हैदराबाद मुक्ति संघर्ष के इतिहास को जिसे आर्यो ने (आर्य समाज ने) तथा अन्य अनेकों लोगों ने अपने आपको शहीद कर १७ सितम्बर १९४८ के दिन निज़ाम से मुक्ति पायी है । संघर्षमय राजनीतिक लड़ाई को भुलाने की कोशीश करना ऐतिहासिक भूल होगी । आर्य प्रतिनिधि सभा हैदराबाद ने सरकार से मांग की है कि मरठवाड़ा और करनाटक प्रांत, जो निज़ाम का हिस्सा रहा है में वहा की सरकारें सरकारी तौर पर मुक्ति दिवस मनाती हैं इसी तरह यहाँ पर भी १७ सितम्बर को मुक्ति दिवस मनाया जाए । केवल अपने राजनीति स्वार्थ के लिए पूर्व की आन्ध्र और वर्तमान की तेलंगाना सरकार इसे अनदेखी कर मुक्ति दिवस को मनाने से पीछे हट रही है। आर्य समाज सरकार से मांग करती है कि इतिहास को भुलाने की कोशीश न करें वर्ना इसका खामियाजा भुगतना पडेगा ।

कश्मीर और भारतीय रणनीति

कूटनीति

प्रभात कुमार रॉय

चीन में जन्नत कहे जाने वाले शहर हांगझाऊ में जी-20 राष्ट्रों की महत्वपूर्ण बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अत्यंत सशक्त और प्रभावशाली अंदाज में पाकिस्तान के नाम का उल्लेख किए बिना, उस पर सीधा और सटीक निशाना साधा। वस्तुतः नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान से कहीं अधिक जी-20 बैठक के मेजबान मुल्क चीन को चेतावनी प्रदान की। स्पष्ट तौर पर पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए, मोदी ने कहा कि दक्षिण एशिया में एक राष्ट्र है, जो वैश्विक आतंकवाद का निर्यातक बन बैठा है। जी-20 राष्ट्र, वस्तुतः विश्व की दो तिहाई आबादी वाले राष्ट्र हैं, जो विश्व के 85 फीसदी वैश्विक व्यापार और 90 फीसदी जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाक को दुनिया में कूटनीतिक तौर पर अलग-थलग कर देने का भारत द्वारा शानदार प्रयास किया गया। अमेरिका के बाद चीन ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिमायती राष्ट्र बनकर उभरा है। चीन ने पाकिस्तान में 46 बिलियन डॉलर की लागत से चीन-पाक इकॉनोमिक कॉरिडोर का निर्माण प्रारम्भ किया है, जो पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गिलगिट और बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक निर्मित किया जाएगा। पाक अधिकृत कश्मीर में चीन ने अपनी सैन्य तैनाती की है। चीन ने पाक को आधुनिकतम सैन्य हथियारों से लैस किया है। चीन द्वारा उत्तरी कोरिया का परित्याग करके पाक के साथ सबसे अधिक कूटनीतिक और आर्थिक घनिष्ठता कायम की गई। विडंबना है कि चीन के झींगयांग प्रांत में सक्रिय पृथकतावादी उईगर जेहादियों का सैन्य प्रशिक्षण पाकिस्तान में ही प्रदान जाता रहा है। नरेन्द्र मोदी द्वारा जी-20 बैठक में जो कुछ कहा गया, उसमें जेहादी आतंकवाद के बर्बर शिकार रहे भारत, अमेरिका, तुर्की, फ्रांस और चीन सहित सभी मुल्कों की मर्मान्तक पीड़ा निहित है। हमलावर जेहादियों का परिपोषण और प्रशिक्षण पाक हुकूमत और पाक ऐजेंसी आईएसआई द्वारा किया जाता रहा है। भारतीय कश्मीर को छल-बल से हड़पने की साजिश में तो पाकिस्तान 1988 से प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से बाकायदा जुटा हुआ है। जिस तरह से पाकिस्तान को आज चीन अपना अंधसमर्थन प्रदान कर रहा है। सितंबर 2001 से पूर्व अमेरिका ने भी पाक का कुछ ऐसा ही अंध समर्थन किया था। कश्मीर में पाक प्रायोजित जेहादी आतंकवाद को अमेरिकन कूटनीतिज्ञों ने जंग-ए-आजादी करार दिया था। पाक द्वारा पाले पोसे गए तालीबान जेहादियों ने 9/11 को जब अमेरिका को अपना नृशंस निशाना बनाया, तो फिर अमेरिका की आंखें एकदम खुल गई और पाक को अंधसमर्थन प्रदान करना, अमेरिका ने खत्म कर दिया। अब तो अमेरिका और भारत सैन्य रणनीतिक संधि कर चुके हैं। जी-20 बैठक में मोदी ने पाक हुकूमत के आतंकवादी चेहरे को बेनकाब करके वस्तुतः चीन को चेताया है, जिस विषैले जेहादी आतंकवादी पाक को अमेरिका द्वारा पाला पोसा गया था, फिर अंततः उसी ने अमेरिका को डसा था। उसी

> जी-20 राष्ट्रों की महत्वपूर्ण बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अत्यंत सशक्त और प्रभावशाली अंदाज में पाकिस्तान के नाम का उल्लेख किए बिना, उस पर सीधा और सटीक निशाना साधा। वस्तुतः नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान से कहीं अधिक जी-20 बैठक के मेजबान मुल्क चीन को चेतावनी प्रदान की।

पाखंडी और जेहादी पाक को अब चीन पाल पोस रहा है और उसका भी आखिकार हश्र वही होगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता के तहत मोदी द्वारा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारतीय सदस्यता और पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरने वाले चीन-पाक इकॉनोमिक कॉरिडोर का प्रबल प्रश्न भी उठाया गया। साथ ही चीन के राष्ट्रपति को आगह किया गया कि वह भारत के राष्ट्रीय और सामरिक हितों की अनदेखी नहीं करे। प्रॉक्सी वॉर के तहत पाक रणनीति रही है कि कश्मीर घाटी में जन-असंतोष को हवा देकर आतंकवादी जेहाद में परिवर्तित कर दिया जाए। प्रारम्भ में कश्मीर बगावत की अग्रिम प्रांतों में संपूर्ण कश्मीर पर आजादी का परचम लहरा कर स्विटजरलैंड सरीखा राष्ट्र निर्मित करने की कल्पना करने वाले जेकेएलएफ लीडर रहे थे। पाक हुकूमत ने 1991 में जेकेएलएफ को दरकिनार करके, संपूर्ण कश्मीर का पाकिस्तान में विलय करने की शपथ लेने वाले जमात-ए-इस्लामिया के लीडरों और उनके गुरिल्ला फ्रंट हिजबुल मुजाहिदीन को अपना सैन्य समर्थन प्रदान कर दिया। हुर्रियत तंजीम के नेतृत्व में तभी से पाक के अंध समर्थक लीडरों का आधिपत्य कायम है। कश्मीर की आजादी का नारा बुलंद करने वाली जेकेएलएफ तंजीम तभी से हाशिये पर पड़ी है। हुर्रियत के पाक-परस्त नेताओं ने यदि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नेताओं से मुलाकात करने से यदि स्पष्ट इनकार कर दिया तो इस तथ्य से विस्मित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उचित कहा कि इनमें न तो कभी कश्मीरियत रही है और नाहि इंसानियत रही। कट्टरपंथी धर्मान्ध इस्लाम को अपना प्रबल अस्त्र बनाकर नौजवानों को बरगलाने और विद्रोही बनाने का काम हुर्रियत तंजीम विगत तीन दशकों से कश्मीर घाटी में अंजाम देती रही है। उदार लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के कारणवश ही भारत को प्रायः एक सॉफ्ट स्टेट करार दिया जाता रहा है। भारत की इस विराट लोकतांत्रिक उदारता का नाजायज फायदा उठाकर ही हुर्रियत लीडरों ने कट्टरपंथी इस्लाम के नाम पर कश्मीर घाटी में पाक-परस्त वातावरण निर्मित किया है। स्मरण कीजिए उस ऐतिहासिक दौर को जबकि शेख अबदुल्ला ने कश्मीर को स्विटजरलैंड सरीखा मुल्क बनाने का ख्वाब देखा तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा अपने मित्र शेख अबदुल्ला तमिलनाडु के कोडइकेनाल में 12 साल तक कैद रखा गया था। वक्त आ गया है कि भारतीय हुकूमत अपने सॉफ्ट स्टेट के नजरिया का परित्याग करे और देशद्रोही हुर्रियत लीडरों के साथ सख्ती से पेश आए। इधर पीएम मोदी हुकूमत ने स्पष्ट संकेत दिए कि कश्मीर रणनीति को अत्यंत कारगर और प्रभावी बनाया जाएगा। कश्मीरी आवाम और नौजवानों से बात करके उनकी गहन गंभीर समस्याओं का निवारण करने की रणनीति पर संजीदगी से अमल होना चाहिए, किंतु हुर्रियत लीडरों को तव्वजों प्रदान करने से गुरेज करना होगा. हुर्रियत लीडर वस्तुतः कश्मीरी आवाम के नहीं वरन् पाकिस्तान के एजेंट रहे हैं।

Date: 18-09-2016

गोहत्या एवं गोमांसाहार वैदिक नहीं

'सरिता' पत्रिका के १९८० के दिसम्बर (प्रथम) तथा दिसम्बर (द्वितीय) अङ्कों में श्री सुरेन्द्रकुमार शर्मा 'अज्ञात' का एक विस्तृत लेख 'प्राचीन भारत में गोहत्या एवं गोमांसाहार' शीर्षक से छपा था । इसमें आपने वेद, ब्राह्मणग्रन्थ, उपनिषद्, सूत्रग्रन्थ, स्मृतिग्रन्थ, रामायण, महाभारत आदि साहित्य से प्रमाण उद्धृत करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि गोहत्या एवं गोमांसाहार शास्त्रानुमोदित है तथा वैदिक काल से ही भारत में गोमांस का भक्षण होता रहा है ।

श्रुति और अन्य शास्त्रों का यदि कहीं विरोध हो तो श्रुति ही प्रामाणिक मानी जाती है, अतः आइये, प्रथम हम यह देखें कि गाय के विषय में वेदों का क्या अभिमत है और इस प्रसङ्ग में उक्त लेख में उद्धृत वेदमन्त्रों की भी परीक्षा करें ।

गाय के नाम

यजुर्वेद के एक मन्त्र में गाय के नाम इडा, रन्ता, हव्या, काम्या, चन्द्रा, ज्योति, अदिति, सरस्वती, मही, विश्रुति और अध्न्या कहे गये हैं -

इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतेऽदिते सरस्वति महि विश्रुति ।
एता ते अध्न्ये नामानि देवेभ्यो मा सुकृतं ब्रूतात् ॥ -यजु० ८.४३

गाय के ये नाम क्यों है, इस विषय में महीधर का ही भाष्य देख लेते हैं ।

ईड्यते स्तूयते इति इडा । रमयतीति रन्ता । हूयते यद्दुग्धं यज्ञेष्विति हव्या, हूयते आहूयते सर्वैरिति वा हव्या । काम्यते इति काम्या । चन्दयति आह्लादयतीति चन्द्रा । द्योतयति प्रकाशयतीति ज्योता । अदितिः अदीनाऽनवखण्डिता । सरस्वती सरतीति सरः क्षीरं तद्वती । मही महती । विविधं श्रूयते स्तूयते इति विश्रुतिः । न हन्तुं योग्या अध्न्या सहन्तव्या ।

अर्थात् गाय स्तुति की पात्र होने से इडा, रमयित्री होने से रन्ता, इसके दूध की यज्ञ में आहुति दी जाने से हव्या, चाहने योग्य होने से काम्या, आह्लाददायिनी होने से चन्द्रा, मन-शरीर आदि को ज्योति प्रदान करने से ज्योता, अखण्डनीय होने से अदिति, दुग्धवती होने से सरस्वती, महिमाशालिनी होने से मही, विविध रूपों में श्रुत होने से विश्रुति तथा न मारी जाने योग्य होने से अध्न्या कहलाती है ।

वैदिक कोश निघण्टु में गाय के ९ नाम पठित किये गये हैं- **अध्न्या, उस्रा, उस्रिया, अही, मही, अदिति, इन्द्रा, जगती** और **शक्वरी** (निघं० २।११)। अध्न्या का अर्थ निरुक्तकार यास्क, निरुक्तटीकाकार दुर्ग एवं स्कन्द स्वामी, निघुण्टटीकाकार देवराज यज्वा आदि सभी 'अहन्तव्य' करते हैं । 'उस्रा' और 'उस्रिया' गाय के नाम इस कारण हैं, क्योंकि उसके स्तनों से दूध की धार उत्सृत होती है । 'अही' का अर्थ देवराज यज्वा ने अहन्तव्य किया है । 'मही' शब्द पूजार्थक मह धातु से बनता है, अतः 'मही' का अर्थ पूज्य है । 'अदिति' का अर्थ निरुक्त के अनुसार अखण्डनीया देवमाता है । दूध-घी के परमेश्वर्यों से युक्त होने के कारण उसका नाम 'इन्द्रा' है (इदि परमैश्वर्ये) । निर्भय होकर इतस्ततः घूमने के कारण वह 'जगती' है । उसका दूध-घी शक्तिदायक होता है, अतः वह 'शक्वरी' है ।

एवं स्पष्ट है कि गायवाची नामों में ऐसा कोई नाम नहीं है, जिससे गाय का वधयोग्य या भक्ष्य होना सूचित होता हो । इसके विपरीत इन नामों से उसकी पूज्यता, स्तोतव्यता, दुधारता आदि ही सूचित होती है ।

गाय पूज्य है

यजु० ३.२० में कहा है कि हे गौओ, तुम पूज्य हो, तुम्हारी पूज्यता को मैं भी प्राप्त करूँ- **महः स्थ महो वो भक्षीय** । इस पर महीधर का भाष्य इस प्रकार है-

यूयं महः स्थ पूज्यरूपाः स्थ । मह पूजायाम् । अतो वो युष्माकं पूज्यानां प्रसादात् अहमपि महो भक्षीय पूज्यत्वं सेवेय ।

अथर्ववेद में लिखा है कि जो गाय के कान भी खरोंचता है, वह देवों की दृष्टि में अपराधी होता है । जो दाग कर निशान डालना चाहता है, उसका धन क्षीण हो जाता है । यदि किसी भोग के लिए इसके बाल काटता है, तो उसके किशोर मर जाते हैं और बच्चों को भेड़िया मार डालता है । यदि गोपति की उपस्थिति में कौआ गाय के बाल नोचता है, तो उस गोपति के कुमार मर जाते हैं और उसे रोग घेर लेता है ।

यो अस्याः कर्णावास्कुनोत्या स देवेषु वृश्चते।
लक्ष्म कुर्व इति मन्यते कनीयः कृणुते स्वम्।।
यदस्याः कस्मैचिद् भोगाय बालान् प्रकृन्तति।
ततः किशोरा म्रियन्ते वत्सांश्च धातुको वृकः।।
यदस्या गोपतौ सत्या लोम ध्वाङ्क्षो अजीहिडत्।
ततः कुमारा म्रियन्ते यक्ष्मो विन्दत्यनामयात्।।
-अथर्व० १२.४.६-७

अन्यत्र कहा है कि जो गाय को पैर से ठोकर मारता है, उसका मैं मूलोच्छेद कर देता हूँ - **यश्च गां पदा स्फुरति तस्य वृश्चामि ते मूलम्** (अथर्व० १३.१.५६)

इस शैली के वर्णन को दार्शनिक दृष्टि से अर्थवाद कहते हैं, अर्थात् किसी पाप कर्म से रोकने के लिए उसका महान् कुफल बताना और किसी पुण्य कर्म में प्रवृत्त करने के लिए उसका महान् सुफल बताना । वेद का आशय यह है कि जो मनुष्य गाय को किसी भी प्रकार अपमानित करता या क्षति पहुँचाता है, उसका अनिष्ट होता है । जो वेद गाय के बाल भी बाँका करने को अपराध मानता है, वह गोहत्या और गोमांसाहार की स्वीकृति कैसे दे सकता है, यह पाठक स्वयं समझ सकते हैं ।

गाय अवध्य है

'सरिता' के लेखक का 'अध्न्या' शब्द के विषय में यह कथन है कि इससे सिर्फ गाय-विशेष के वध का निषेध है, न कि सभी गौओं के वध का । उदाहरण के लिए उसने **दुहामश्विभ्यां पया अध्न्येयम्** (ऋ० १.१६४.२७) मन्त्र उद्धृत करके लिखा है कि यहाँ 'इयम्' (यह गाय) कह कर गाय-विशेष का बोध कराया है, परन्तु वेदों में जिन अनेक मन्त्रों में गाय के लिए 'अध्न्या' शब्द का प्रयोग हुआ है, उन्हें देखने से उक्त बात प्रमाणित नहीं होती । ऋग्वेद के पर्जन्यसूक्त में पर्जन्य को सम्बोधित कर कहा है कि तू बरस, जिससे अधन्याओं के लिए प्रचुर पीने का पानी हो जाए - **सुप्रपाणं भवत्वध्न्याभ्यः** (ऋ० ५.८३.७)। क्या बादल बरसने से किन्हीं विशेष गौओं के लिए ही पीने का पानी जलाशयों में एकत्र होगा ? इस प्रकार के उदाहरणों से सिद्ध है कि 'अध्न्या' शब्द वेद में सभी गायों का वाचक है, न कि किन्हीं विशेष गायों का एवं सभी गायों को वेद अहन्तव्य मानता है । अतएव महाभारत में लिखा है-

अध्न्या इति गवां नाम क एता हन्तुमर्हति ।
महच्चकाराकुशलं वृषं गां बालभेत् यः ।।
-महाभारत (पूना सं०) २५४.४५

अर्थात् गायों का नाम 'अध्न्या' है, अतः किसी को इनकी हत्या करना उचित नहीं है। जो बैल या गाय का वध करता है, वह बड़ा अनुचित कार्य करता है।

गाय-बैल की अवध्यता के विषय में अनेक वेदमन्त्र भी उद्धृत किये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ-

प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट । -ऋ० ८.१०१.१५

"मैं समझदार मनुष्य को कहे देता हूँ कि तू बेचारी बेकसूर गाय की हत्या मत कर; वह अदिति है, अर्थात् काटने-चीरने योग्य नहीं है।"

देवीं देवेभ्यः पर्येयुषीं गामा माऽवृक्त मर्त्यो दभ्रचेताः ।। -ऋ० ८.१०१.१६

"देवों के लिए अर्थात् दूध-घी से देवयज्ञ करने के लिए, या अतिथि-देवों का सत्कार करने के लिए अथवा देवजनों के उपयोग के लिए जो प्राप्त होती है, उस देवी गौ को मनुष्य अल्पबुद्धि होकर मारे-काटे नहीं।"

अनागोहत्या वै भीमा मा नो गामश्वं पुरुषं वधीः । -अथर्व० १०.१.२९

"निरपराध की हत्या बड़ी भयङ्कर होती है; अतः तू हमारे गाय, घोड़े और पुरुष को मत मार"।

वेद वन्ध्या गाय के भी काटने और पकाने का निषेध करता हुआ कहता है -

यो बेहतं मन्यमानो ऽमा च पचते वशाम् ।
अप्यस्य पुत्रान् पौत्रांश्च याचयते बृहस्पतिः।।
-अथर्व० १२.४.३८

"जो बाँझ मानकर गाय को घर में पकाता है, उसके पुत्र-पौत्रों को बृहस्पति माँग लेता है; अर्थात् उसके पुत्र-पौत्र मर जाते हैं।"

बैल को भी वेदों में अध्न्य (अहन्तव्य) कहा गया है-**गवां यः पतिरध्न्यः** अथर्व० ९.४.१७। **विमुच्यध्वमध्न्या देवयानाः** (यजु० १२.७३) में बहुवचनान्त अध्न्य शब्द है। इसका विनियोग कात्यायन श्रौतसूत्र में बैलों को खोलकर अध्वर्यु को दान करने में किया गया है। महीधर ने भी यहाँ अहन्तव्य बैल अर्थ ही किया है-**अध्न्या अहन्तव्या गावो बलीवर्दाः** । बैल की अभक्ष्यता को बताता हुआ वेद कहता है-

सुप्रजाः सन्त्स उदारे न सर्षद् यो नाश्नीयादनडुहो विजानन् । -अथर्व० ४.११.३

"जो समझदार मनुष्य बैलों को खाता नहीं (किन्तु उनसे कृषि आदि अन्य लाभ उठाता है) उसे सुप्रजा प्राप्त होती है तथा वह कष्ट में नहीं पड़ता।"

'स्वस्ति गोभ्यः' (अथर्व० १.३१.४) गौओं का कल्याण हो; **"गवे च भद्रं धेनवे"** (ऋ० ८.४७.१२) बैल और गाय का मङ्गल हो; **'न संस्कृतत्रमुप यन्ति ता अभि'** ऋ० ६.२८.४, गौएँ वधालय में न जाएँ; **'यो अध्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृश्च'** अथर्व० ८.३.२५, जो गोहत्या करके गाय के दूध से लोगों को वञ्चित करे, तलवार से उसका सिर काट दो; **गां मा हिंसीरदितिं विराजम्** (यजु० १३.४३) गाय का वध मत कर, जो अखण्डनीया है, तेजोमयी है; **'मुग्धा देवा उत शुना यजन्तोत गोरङ्गैः पुरुधा यजन्त'** अथर्व० ७.५.५, वे लोग मूढ़ हैं, जो कुत्ते से या गाय के अङ्गों से यज्ञ करते हैं; **'अन्तकाय गोघातम्'** (यजु० ३०.१८) गोहत्यारे को प्राण-दण्ड दो। इत्यादि मन्त्रों से स्पष्ट है कि वेद की दृष्टि में गाय-बैल न यज्ञ में बलि देने के निमित्त वध्य हैं, न ही मांस खाने के निमित्त।

गाय की कौन-सी चीजें भक्ष्य हैं ?

वेदों में गोपालन का उद्देश्य यज्ञार्थ तथा अपने उपयोगार्थ गोदुग्ध और गोघृत प्राप्त करना है, न कि मांस प्राप्त करना। यज्ञाग्नि को कहा गया है कि तू मधुर गोघृत का पान करके हमारी वैसे ही रक्षा कर, जैसे पिता पुत्र की करता है-**घृतं पीत्वा मधु चारु गव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमान्त्स्वाहा** यजु० ३५.१७। हे यज्ञाग्नि, गायें तेरे लिए घृत प्रदान करें-**घृतं पीत्वा मधु चारु गव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादि मान्त्स्वाहा** यजु० ३५.१७। हे यज्ञाग्नि, गायें तेरे लिए घृत प्रदान करें-**घृतं तुभ्यं दुह्रतां गावो अग्ने** अथर्व० ७.१२.६। ऋग्वेद में लिखा है-**किं ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरं दुह्रे न तपन्ति घर्मम्** ऋ० ३.५३.१४, अर्थात् अनार्य देशों में गायों का भला क्या लाभ है, क्योंकि वहाँ के लोग न यज्ञार्थ दूध दुहते हैं, न यज्ञकुण्ड तपाते हैं।

गाय को यजुर्वेद में उरुधारा तथा पयस्वती कहते हुे कामना की गयी है कि वह हमें दूध की सहस्त्र धारें प्रदान करें-**सा नः सहस्त्रं धुक्ष्व उरुधारा पयस्वती** यजु० ८.४२। उनसे घृत भी माँगा गया है। गायें हमें घृत से सींचें-**घृतेनास्मान् समुक्षत** अथर्व० ७.७५.२। वह हमारे लिए घृत का दोहन करती है-**घृतं दुहानाम्** यजु० १३.४९। गायें घृत की जननी हैं-**गावो घृतस्य मातरः** अथर्व० ६.९.३।

वैदिक गृहस्थ यह उद्गार प्रकट करता है कि मैं अपने शरीर में गायों का दूध सींचता हूँ तथा गोघृत से अपने अन्दर बल और वीर्य को उत्पन्न करता हूँ; मेरे घर के वीर भी गोदुग्ध और गोघृत से संसिक्त रहते हैं, मुझ गोपति के पास गौएँ स्थिर रूप से बनी रहती हैं।

संचिञ्चामि गवां क्षीरं समाज्येन बलं रसम् ।
संसक्ता अस्माकं वीरा ध्रुवा गावो मयि गोपतौ ।।
-अथर्व० २.२६.४

अन्यत्र वैदिक स्तोता कामना प्रकट करता है कि सर्वोत्पादक बृहस्पति प्रभु मुझे पशुओं का दूध और ओषधियों का रस भोजन के लिए प्रदान करता रहे-

पयः पशूनां रसमोषधीनां बृहस्पतिः सविता मे नियच्छात् । -अथर्व० १९.३१.५

वेदों में ऐसा एक भी मन्त्र नहीं है, जिसमें यह कहा गया हो कि मैं गोमांस की हवि देने के लिए या गोमांस खाने के लिए गौएँ पालता हूँ।

क्या इन्द्र देवता बैल खाता है ?

वेद का इन्द्र देवता बैल का मांस खाता है, इसकी पुष्टि में 'सरिता' के लेखक ने ऋग्वेद के दो मन्त्र उद्धृत किए हैं, मण्डल १०, सूक्त २८, मन्त्र ३ और मण्डल १०, सूक्त ८६, मन्त्र १४। इनमें से प्रथम में इन्द्र को कहा गया है कि यजमान तेरे **वृषभों** को पकाते हैं और तू उन्हें खाता है। द्वितीय मन्त्र में इन्द्र स्वयं कह रहा है कि यज्ञकर्ता लोग मेरे लिए १६ और २० **उक्षाओं** को पकाते हैं। यहाँ **वृषभ** और **अक्षन्** शब्दों का अर्थ वेद की शब्दप्रयोग-शैली से अनभिज्ञ लोग बैल कर लेते हैं। ऋग्वेद में लगभग २० स्थलों में अग्नि को, ६५ स्थलों में इन्द्र को, ११ स्थलों में सोम को, ३ स्थलों में पर्जन्य को, ५ स्थलों में बृहस्पति को, ५ ही स्थलों में रुद्र को साक्षात् **वृषभ** कहा गया है। ऋ० ४.५८.३ में एक ऐसे **वृषभ** का वर्णन है, जिसके चार सींग, तीन पैर, दो सिर, सात हाथ हैं और वह सभी मर्त्यों को ग्राह्य है। व्याख्याकारों के मतानुसार यह **वृषभ** यज्ञ या शब्द है। ऋ० ५.६९.२ के अनुसार तीनों लोकों में एक-एक वृषभ स्थित है, जिसकी व्याख्या सायण ने इस रूप में की है कि पृथिवी लोक का **वृषभ** अग्नि, अन्तरिक्ष का **वृषभ** वायु तथा द्युलोक का **वृषभ** आदित्य है। ऋ० ७.५५.७ में एक ऐसे सहस्त्रशृंग **वृषभ** का वर्णन है, जो समुद्र में से निकला है। व्याख्याकारों ने इसे आदित्य बताया है।

अक्षन् शब्द भी वेद में अनेक अर्थों में आया है। ऋग्वेद में अग्नि, सोम, आदित्य, मरुत् आदि को यत्र-तत्र **उक्षा** कहा गया है। ऋ० १.१०५.१० में आकाश में स्थित पाँच **उक्षाओं** का वर्णन आया है, जो वृष राशि के प्रमुख पाँच तारे प्रतीत होते हैं। ऋ० १०.३१.८ में जहाँ उक्षा द्वारा द्यावापृथिवी के धारण का वर्णन है, सायण ने **उक्षा** का अर्थ हिरण्यगर्भ किया है।

जब **वृषभ** और **उक्षन्** शब्द वेद में इतने सारे अर्थों में प्रयुक्त हैं, तो 'सरिता' द्वारा उद्धृत मन्त्रों में बिना विचारे वृषभ और उक्षन् शब्दों का अर्थ बैल करके इन्द्र को बलात् बैल खिलाने का अत्याचार करना कहाँ तक उचित है ? इन्द्र स्वयं वेदों में एक बैल के रूप में चित्रित हुआ है, और बैल निरामिषभोजी होता है।

ऋग्वेद के अन्तःसाक्ष्य के आधार पर भी इन्द्र का भोज्य धाना (भुने जौ), करम्भ (दधिमिश्रित सत्तू) और पुरोडाश (अपूप) है, तथा पेय सोमरस है, बैल उसका भोजन नहीं है।

धानावन्तं करम्भिणमपूपवन्तमुक्थिनम्।
इन्द्र प्रातर्जुषस्व नः ॥ -ऋ० ३.५२.१

यज्ञ के तीनों सवनों में इन्द्र का भोजन क्या-क्या होता है यह भी इसी सूक्त के मन्त्र ४-६ में बता दिया गया है। उसे प्रातःसवन में पुरोडाश तथा माध्यन्दिन एवं सायं सवनों में धाना और पुरोडाश अर्पित किये जाते हैं। साथ ही वह सोमपान भी करता है। निरामिषभोजी इन्द्र को आमिषभोजी बनाने का पाप तो हम न करें।

आइये, अब 'सरिता' में उद्धृत दोनों मन्त्रों को क्रमशः लेते हैं। **अद्रिणा ते मन्दिन इन्द्र तूयान् सुन्वन्ति सोमान् पिबसि त्वमेषाम्। पचन्ति ते वृषभाँ अत्सि तेषां पृक्षेण यन्मघवन् हूयमानः ॥** -ऋ० १०.२८.३

सूक्त के प्रारम्भ में वसुक्रपत्नी ने यह उद्‌गार प्रकट किये हैं कि 'यज्ञ में अन्य सब देव तो आ गये, किन्तु मेरे श्वसुर इन्द्र नहीं आये, यदि वे आते तो धाना (भुने जव) खाते और सोम पीते तथा पूर्ण तृप्त होकर घर जाते।' वे बैल या साँड खाते, ऐसा उसने नहीं कहा है। इतने में ही इन्द्र आ जाता है। तब वसुक्र ने उपर्युक्त मन्त्र का उच्चारण किया है कि आपके लिए सोमरस तथा वृषभ तैयार हैं। इस प्रसङ्ग को देखते हुए यहाँ वृषभ का अर्थ धाना (यव) ही लेना उचित है। अब मन्त्रार्थ देखिए-

(मघवन् इन्द्र) हे ऐश्वर्यवान् इन्द्र, **(यत्)** जब तू **(पृक्षेण)** अन्न के निमित्त **(हूयमानः)** आह्वान किया जाता है, तब यजमान **(ते)** तेरे लिए **(मन्दिनः)** तृप्तिकारक, **(तूयान्)** त्वरापूर्वक निकलने वाले **(सोमान्)** सोमरसों को **(सुन्वन्ति)** अभिषुत करते हैं; **(त्वम् एषां पिबसि)** तू इनका पान करता है। वे **(ते)** तेरे लिए **(वृषभान्)** पुष्टिदायक यवान्नों को **(पचन्ति)** भूनते हैं, **(तेषाम् अत्सि)** तू उन्हें खाता है।

यदि वृषभ का अर्थ यहाँ बैल ही करने का आग्रह हो, तो किस-किस का बैल अर्थ कीजिएगा ? इन्द्र के तो वज्र, रथ, घोड़े, घोड़ों की रासें, आयुध, मद, बल, सोमरस निचोड़ने वाले अध्वर्यु, सोमरस और इन्द्र स्वयं सभी वृषभ हैं। (द्रष्टव्य ऋ० २.१६.५,६; ६.१९.९; ६.४४.१९)।

'सरिता' में उद्धृत दूसरा मन्त्र इस प्रकार है-
उक्षणो हि मे पञ्चदश साकं पचन्ति विंशतिम्। उताहमस्मि पीव इदुभा कुक्षी पृणन्ति मे विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ -ऋ० १०.८६.१४

जिस सूक्त का यह मन्त्र है, उसके प्रारम्भ में इन्द्र की पुत्रवधू वृषाकपायी ने इस बात पर रोष व्यक्त किया है कि याज्ञिक लोग सोमरस तो खूब अभिषुत करते हैं, पर उसे वे इन्द्र को नहीं पिलाते, जबकि वृषाकपि सोम पीकर आकण्ठ तृप्त हो जाता है। सूक्त के १३वें मन्त्र में इस आपत्ति का उत्तर देते हुए वृषाकपि कहता है कि तुम चिन्ता न करो, अब तुम्हारे श्वसुर इन्द्र को बहुत से 'उक्षा' मिलेंगे। इन्द्र को 'उक्षा' मिलने लगते हैं और वह प्रसन्न हो प्रस्तुत मन्त्र का उच्चारण करता है। प्रसङ्ग को देखते हुए यहाँ 'उक्षा' का अर्थ सोमरस होना चाहिए, अन्यथा आपत्ति तो हो सोमरस न मिलने की ओर उसका परिहार किया जाए साण्ड खिलाकर, यह सर्वथा असङ्गत प्रतीत होता है। अब मन्त्रार्थ देखिए। इन्द्र हर्षातिरेक में आकर अपने उद्‌गार प्रकट कर रहा है-

यज्ञकर्ता लोग (मे) मेरे लिए (साकं) एक साथ (पञ्चदश विंशतिम्) १५ और २० (उक्ष्णः) सोमों को, सोमभरी हाण्डियों में (पचन्ति) पकाते हैं। (उत अहं पीवः इत् अस्मि) और मैं मोटा हो गया हूँ। वे लोग (मे उभा कुक्षी पृणन्ति) मेरी दोनों कोखों को भर देते हैं, अर्थात् मुझे खूब छकाकर सोमपान करा देते हैं। (विश्वस्मात् इन्द्रः उत्तरः) में इन्द्र सबसे उत्कृष्ट हूँ।

सायण ने उक्त दोनों स्थलों में वृषभ और उक्षा का अर्थ बैल ही किया है, किन्तु नवम मण्डल में ११ बार एकवचनान्त वृषभ शब्द आया है, जिसमें से ९ स्थानों पर सायण ने सोम को ही वृषभ माना है। उक्षा को पकाने का प्रथम मण्डल में भी वर्णन आता है-**उक्षाणं पृश्निमपचन्त वीराः** (ऋ० १.१६४.४३)। वहाँ सायण ने बैल पकाना अर्थ न लेकर सोम को पकाने का ही अर्थ लिया है। **'सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमप्सु गृभ्णते** (ऋ० ९.८६.४३)' में उक्षा के साथ पशु शब्द भी जुड़ा हुआ है, फिर भी सायण उक्षा का अर्थ सोम करता है, बैल पशु नहीं। तो फिर प्रस्तुत स्थलों में वृषभ और उक्षा का अर्थ प्रकरणविरुद्ध बैल करना सायण को कैसे शोभास्पद प्रतीत हुआ ?

लोकमान्य तिलक ने अपनी पुस्तक 'ओरायन' (मृगशीर्ष) में १५ और २० (कुल ३५) उक्षाओं का तात्पर्य अश्विनी, भरणी आदि २८ नक्षत्र तथा ७ ग्रह लिया है। निरुक्तकार ने इसी सूक्त के १३ वें मन्त्र में आये **'घसत् त इन्द्र उक्षणः'** का अर्थ 'तेरा इन्द्र बैलों को खाये' न करके 'इन्द्र माध्यमिक संस्त्यानों (मेघों या ओस-कणों) का भक्षण करे, यह किया है (निरु० १२.९)। ये सब व्याख्याएँ वैदिक भाषा की रहस्यमयता की ओर इंगित करती हैं। अध्यात्म में इन्द्र आत्मा है और उसके द्वारा सेवन किये जानेवाले ३५ उक्षा हैं १० प्राण, १० इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, पञ्चकोश और ८ योगांग। उत्कर्ष के लिए इनका परिपक्वरूप में ही सेवन या उपयोग किया जाना उचित है।

मांस देवों का भोजन नहीं है

इन्द्र क्या, किसी भी वैदिक देवता का भोजन मांस नहीं है। वेद ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि देवों का भाग जल, ओषधियों का रस, घृत और सोम है-

देवानां भाग उपनाह एष अपां रस ओषधीनां घृतस्य।
सोमस्य भक्षमवृणीत शक्रो बृहन्नद्रिरभ वच्छरीरम् ॥ -अथर्व० ९.४.५

(एषः) यह **(देवानां भागः)** देवों का भाग **(उपनाहः)** नियत किया गया है, जो **(उपां)** जलों का, **(ओषधीनां)** ओषधियों का और **(घृतस्य)** घृत का **(रसः)** रस है। **(शक्रः)** इन्द्र ने **(सोमस्य भक्षम्)** सोम के भोजन को **(अवृणीत)** चुना है, **(बहन् अद्रिः)** पत्थर की

किया। दूसरी ओर जनता में विजय की भावना के साथ आंदोलन का उत्साह बने रहे इसके लिए विजय के रूप में १९३९ से दशहरे के दिन विजयोत्सव जुलूस निकालना प्रारंभ किया। १९३८-३९ के आर्य सत्याग्रह में सरकार ने आर्य समाज की सारी मांगो को मान लेने के बावजूद जनता पर जुल्म ढाना बंद नहीं किया साथ ही धीरे-धीरे 'मजलिस इत्तेहादुल मुस्लमीन के नेता बहादुर यार जंग के नेतृत्व में मुसलमानों को लाम बंद करने के लिए तथा कमजोर वर्ग के हिन्दुओं को (विशेष कर दलितों को) मुसलमान बनाकर अपनी शक्ति बढाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। निज़ाम ने व उसके प्रशासन ने इस बात पर पूरा जोर दिया कि हर मुसलमान अपने-आपको 'अनअल मलिक' (हम यहाँ के बादशाह हैं) की भावना से पीछे न हटे और आगे-आगे एक स्वतंत्र, सशक्त मुस्लिम राज्य कायम हो जाए।

इस सारे परिप्रेक्ष्य में आर्य समाज ने राजनीतिक जागृति पैदा करने के लिए अत्याचारों के खिलाफ अपने हक्रों की लडाई के नाम पर हर वर्ष बड़े-बड़े सम्मेलनों को आयोजित करने का फैसला लिया। १९४०-४१ के दौरान हुकूमत ने मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन को परोक्ष रूप से हिन्दु जनता के खिलाफ द्वेष पूर्ण उत्तेजक भाषण देने की पूरी छूट दे दी। सरकार के इस पक्षपात पूर्ण व्यवहार से मुस्लिम के गुंडो ने आर्य समाजियों पर खुल्लम खुल्ला आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। बाहर से प्रकाशित होने वाले आर्य समाजी पत्रों का प्रवेश बंद कर दिया। सभा के पत्र 'दिग्विजय' को छापने से रोका गया। हुकूमत का अत्याचार पुनः चरम अवस्था तक जाने लगा । औराद शाहजनी जिला बीदर में कुछ धर्मान्ध मुसलमानों ने दंगा आरंभ किया। बाजार में गोलियां चलाई गई और दुकानों में आग लगा दी। एक हिन्दू की हत्या भी कर दी गई। बहुत सारे घायल हुए। वहां के प्रमुख कार्यकर्ता श्री देश बंधुजी व उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया तथा कईयों को लम्बी सजाएं दी गई । परिणाम स्वरूप प्रतिरोध के लिए आज़ादी के नारे को बुलंद करते आर्य समाजियों ने १९४२ में पंडित विनायक राव जी की अध्यक्षता में उदगीर में प्रथम आर्य सम्मेलन मनाने का निश्चय किया। १२, १३ फरवरी १९४२ को आयोजित इस सम्मेलन में २६ प्रस्ताव स्वीकृत हुए। इनमें से कुछ प्रस्तावों द्वारा कुछ मांगों को दुहराते हुए हुकूमत पर इस बात का दबाव डाला गया कि सत्याग्रह के बाद किए गए समझौते का उल्लंघन हो रहा है अतः अत्याचार और-प्रतिबंधों को समाप्त किया जाए और मांगों के पूरी न होने पर आंदोलन को तीव्र किया जाएगा। सरकार ने उपेक्षा जारी रखी। परिणाम स्वरूप १० दिसंबर को गुलबर्गा में मुसलमानों ने हिन्दुओं की दुकानों व गोदामों को लूट लिया। नागर कर्नूल और हिंगोली में आक्रमण हुए पर पुलिस ने उल्टे आर्य समाजियों पर अभियोग चलाए। जोगीपेट तथा तेरखेडा में दंगे हुए तथा ३ मार्च १९४२ को हुमनाबाद में होली जुलूस के दिन आर्य समाज के क्रांतिकारी कार्यकर्ता श्री शिवचंद्र की हत्या कर दी और उनके साथ और चार युवकों को भून डाला। लूट मार और अग्निकांड भी हुआ। आर्य समाजियों ने इन सबका डटकर मुकाबला किया और जनता के आक्रोश को देखते हुए उन्हें राजनीतिक ढंग से आंदोलन के लिए लामबंद करने हेतु १९४३ में निज़ामाबाद मे दूसरे आर्य सम्मेलन के आयोजन की घोषणा कर दी। पंडित गणपत शास्त्री की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में २५००० आर्य स्वंय सेवकों की सेना तैयार करने का निर्णय लिया गया तथा जन समर्थन को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने के लिए एक सौ रात्री पाठशालाएं खोलने का निर्णय भी लिया गया। गुरुकुल घटकेश्वर में एक उपदेशक मंडल केन्द्र तथा राज्यभर में ३६ उत्सव और अनेकों स्थानों पर बैठकों का आयोजन कर आंदोलन में गरमाहट पैदा की गई। आंदोलन की गति को दिन प्रतिदिन तेज करते हुए १९४४ में नारायण पेट में तृतीय आर्य महासम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में सरकार ने जुलूस की अनुमति नहीं दी पर जन समूह ने सरकारी आदेशों की अवहेलना की और हज़ारों की संख्या में लोग जुलूस में शामिल हुए। जिधर देखों उधर जन समूह ही जन समूह उमड़ पड़ा था। गांवों के गांव इसमें शामिल होने के लिए आए थे। इस सम्मेलन से आंदोलन की पकड़ मज़बूत हुई और सरकार घबराहट महसूस करने लगी। इन्हीं दिनों 'सिन्ध' की मुस्लिम लीग सरकार ने 'सत्यार्थ प्रकाश' पर प्रतिबंध लगाया जिसके परिणाम स्वरूप हैदराबाद राज्य में भी रोष और खलबली मची। आंदोलन चलता रहा। इसी साल अर्थात १९४४में निज़ामाबाद में साम्प्रदायिक दंगा हुआ और मुसलमान गुंडों ने कर्मठ आर्य समाजी कार्यकर्ता श्री राधाकृष्ण मोदाणी की हत्या कर दी। इसी प्रकार गुंजोटी में वेद प्रकाश की, बसवकल्याण में धर्म प्रकाश की भाई श्यामलाल जी की तथा विष्णु भगवंता की हत्या की? परिणाम स्वरूप आंदोलन उग्र और तीव्र होता गया

१९४५ में नलगोंडा में उपदेशक विद्यालय की स्थापना की गई। पं. महेन्द्र देव जी ने निज़ाम की हुकूमत की साम्प्रदायिक नीति और पुलिस अत्याचारों को आर्य समाज में जनता के सम्मुख ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया कि जनता में जान आ गई और लोग एक आदेश पर प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। इस सबके कारण निज़ाम की पुलिस ने आर्य समाजियों से बदला लेने का दृढ़ निश्चय कर मौका तलाशना शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों आर्य समाजियों ने नारायणलाल पित्ती की अध्यक्षता में गुलबर्गा में चतुर्थ आर्य महासम्मेलन के आयोजन की घोषणा की। २२ से २४ अप्रैल १९४५ के दिनों में गुलबर्गा में संपन्न हुए इस सम्मेलन में पुलिस ने भीषण दंगा पैदा कर दिया। नाना प्रकार के उपद्रव खड़े किये गये। उपद्रवों से तंग आकर सम्मेलन के कार्यकर्ता पंडाल से बाहर जब पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे थे, तो अधिकारियों की उपस्थिति में आर्य नेता पं. नरेंद्र जी, पं. गणपत शास्त्री व पंडित विनायक रावजी को इतनी बेरहमी से पीटा कि नरेन्द्र जी की पैर की हड्डी टूट गई। पं. गणपत शास्त्री और हीरालाल जी बुरी तरह से घायल हुए। सरों से खून बहने लगा फिर क्या था समाचार शहर में आग की तरह फैला फिर शहर भर में दंगे शुरू हो गए। जहाँ देखो वहाँ रक्तपात, रात भर अशांति, बड़ी भयंकर व नाज़ुक हालत से जनता वहाँ से निकल पाई। इस घटना से हुकूमत की काफी बदनामी हुई। पं. नरेंद्र जी अस्पताल में ही थे पर उन पर भाषणबंदी का हुक्म लगा दिया गया और शहर न छोड़ने के आदेश जारी हुए ऐसी विकट परिस्थितियों में जनता का धैर्य न टूटे और पूरा जोश-खरोश बनाए रखने के लिए हौसला कायम रखने के लिए १९४६ में वरंगल में पाँचवा महासम्मेलन मनाए जाने की घोषणा की गई। इस सम्मेलन के बाद सरकार को पता चला कि आर्य समाज और उसके आंदोलन को दरकिनार नहीं किया जा सकता अतः सरकार ने पंडित नरेन्द्र जी समेत अन्य नेताओं पर से प्रतिबंध हटा लिया। इन ६-७ वर्षों के पूरे अंतराल में दशहरे के अवसर पर निकलने वाले जुलूसों को रोकने के लिए बहुतेरी कोशिश होती रही पर सरकार के हर

 शेष पृष्ठ ११ पर...

हैदराबाद राज्य का राजनीतिक परिवेश और आर्य समाज

डॉ. आनंद राज वर्मा

उन्नीस सौ के उपरांत, उन्नीस सौ से १९४० तक के दशकों में हैदराबाद राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल होती रही। यद्यपि देश

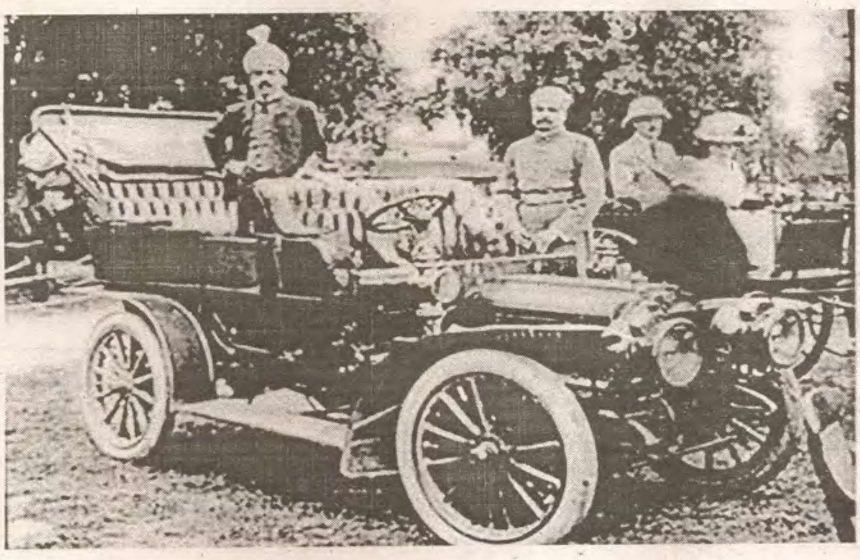

में, विशेष रूप से उत्तर भारत में, अंग्रेज़ों तथा उनकी सरकार के विरुद्ध आंदोलन हो रहे थे, किन्तु हैदराबाद में इस प्रकार का न तो कोई आंदोलन ही था और न ही किसी प्रकार की जागृति - संब खामोश तमाशाई थे। हाँ निज़ाम सरकार के विरुद्ध आर्य समाज के आंदोलन का श्रीगणेश हो चुका था। हैदराबाद के मुसलमान यह समझते थे कि हैदराबाद राज्य भारत का एकमात्र 'मुसलमान राज्य' है। क्योंकि यह राज्य तलवार के बल पर स्थापित किया गया था। आपको याद होगा कि प्रथम अफ़ज़ाह नवाब मीर कमरुद्दीन खान ने, जो दक्कन में मुगल सरकार के सुबेदार थे, दूरर्शिता का परचिय देते हुए दक्कन में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी, क्योंकि मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो चुका था, अंग्रेज़ अपने कदम जमा चुके थे और उत्तर भारत में नवाब का कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा था। कमरुद्दीन खान निज़ाम उल्मुल्क ने शकरखेड़ा के युद्ध में यहाँ के सूबेदार मुबारिक खान को पराजित किया था। १८२४ में 'आसफ़िया साम्राज्य' की नींव डाली। इस परिवेश में हैदराबाद में मुसलमानों का यह सोचना कि हैदराबाद एक मुसलमान राज्य है, बड़ी हद तक बाजिब था। हिंदू, जो बहुमत में थे, इस राजनीतिक फेरबदल से दूर रहे, क्योंकि उनकी आवाज़ दबा दी गई थी। वह बेबस थे राजनीतिक रूप से कमज़ोर तथा सामाजिक रूप से निःसहाय। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदू समाज का मध्यमवर्ग निज़ाम शासन के समर्थन में नहीं था और वह भी देश की स्वतंत्रता के सपने देख रहा था और इस दिशा में कुछ न कुछ अप्रत्यक्ष प्रयत्न भी कर रहे थे। आर्य समाज की स्थापना, 'आर्य प्रतिनिधि सभा, निज़ाम राज्य' के रूप में हो चुकी था। 'हैदराबाद स्टेट कांग्रेस' का आन्ध्र महासभा व कम्यूनिस्ट पार्टी १९३८ में उदय हो चुका था, 'महासभा' की ओर से बैठकों रहे थी फिर भी खामोश तमाशाई कुछ न कुछ क्रियात्मक कार्य करने की ओर अग्रसर था।

१९२७ में 'मजलिस इत्तेहाद -उल-मुसलमीन' का गठन हुआ। आरंभ में तो यह एक सामाजिक संगठन के रूप में कार्य करती रहा, किन्तु कुछ ही वर्षों में यह 'मुस्लिम लीग' के समान एक कट्टर पंथी संस्था के रूप में उभरा। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम सांप्रदायिकता को हवा देना था। वह हैदराबाद के मुसलमानों में यह विचार तथा चेतना पैदा करती रहा कि हैदराबाद राज्य मुसलमानों की जागीर है, उनकी धरोहर है। इस कारण वह स्वतंत्र रहेगा चाहे देश आज़ाद ही क्यों नहीं हो जाता। मजलिस इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि उसका प्रभाव तथा दबाव निज़ाम पर भी पड़ने लगा था। राज्य के हर निर्णय में उनका हस्तक्षेप, उनकी मर्ज़ी तथा आदेश अनिवार्य हो गया था। १५ अगस्त १९४७ को जब देश ने अपनी गुलामी की ज़ंज़ीरों को तोड़ फेंका, तब भारत में फैले सैंकड़ों छोटे-बड़े राज्य रजवाड़े अपने भविष्य का सही निर्णय लेने लगे। विभाजन के उपरांत देश के लगभग सभी राज्य स्वतंत्र भारत संघ में शामिल हो गए और इस प्रकार उन तमाम राज्यों की अपनी-अपनी स्वतंत्रता एवं स्थिति समाप्त हो गई और वह देश की इस नई मुख्य धारा का सम्मानित एवं व्यावहारिक भाग बन गये। समस्या उत्पन्न हुई, केवल दो राज्यों से हैदराबाद तथा जुनागढ़। यह दोनों मुस्लिम राज्य थे और इन दोनों राज्यों के मुसलमान शासकों ने भारत संघ में सम्मिलित होने में कोई रुचि नहीं दिखलाई। मुस्लिम राज्य होने के कारण इनका कुछ इरादा अपनी अखंडता तथा स्वतंत्रता को कायम रखना था, अर्थात वह एक स्वतंत्र देश में एक स्वतंत्र राज्य की हैसियत से रहना चाहते थे, या फिर उनका झुकाव पाकिस्तान की ओर था। दराबाद के लिए यह समस्या जटिल थी, क्योंकि यह एक हिंदू बहुमत का प्रदेश था तथा इसकी भौगोलिक स्थिति इस पक्ष में नहीं थी। बात गंभीर थी तथा समस्या का समाधान शीघ्र ही संभव नहीं था। इस बीच जुनागढ़ को भारत संघ में शामिल कर लिया गया, अब केवल हैदराबाद एक ही राज्य था, जो भारत सरकार की हलक का काँटा बन गया था। ऐसी परिस्थिति में हैदराबाद राज्य में आर्य समाज की स्थापना और इस संगठन द्वारा चलाए गए आंदोलन की चर्चा अनिवार्य है ।

युग पुरुष दयानंद सरस्वती ने बुधवार १० अप्रैल १८७५ को बंबई (आज के मुंबई में) में 'आर्य समाज' की स्थापना की थी। इस संगठन का लक्ष्य था सामाजिक कुरीतियों

तथा धर्म के आडंबरपूर्ण कर्मकांडों के विरुद्ध जनजागृति उत्पन्न करना तथा पूरे देश में वैदिक मूल्यों के आधार पर एक जागरूक एकता स्थापित करना। लेकिन हैदराबाद में इस संगठन ने राष्ट्र की अस्मिता तथा धर्म की रक्षा के लिए जिस बलिदानी संघर्ष का उदाहरण प्रस्तुत किया, वह देश के सामाजिक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला एक अध्याय है।

हैदराबाद राज्य के धारूर गाँव (ज़िला बीड़) में सन १८९० ई. में आर्य समाज की स्थापना हुई। तत्पश्चत हैदराबाद शहर में आर्य समाज की स्थापना मार्च १८९२ में 'आर्य समाज सुल्तान बाजार' के नाम से हुई। यह क्षेत्र उस समय रेजिडेंसी की सीमा में था। धारूर की अपेक्षा अधिक अनुकूल परिस्थितियां होंने के कारण यहां आर्य समाज के बीज को अंकुरित, पुष्पित और पल्लवित होने में अधिक सुविधा हुई। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य हैदराबाद राज्य की जनता में सामाजिक, धार्मिक एंवं नैतिक जागरूकता पैदा करना था। 'आर्य समाज, सुल्तान बाज़ार' के प्रथम अध्यक्ष पंडित कामता प्रसाद जी मिश्र थे। श्री लक्ष्मणदास जी प्रथम मंत्री चुने गये एवं पंडित विश्वंभरनाथ जी उपाध्यक्ष तथा श्रीनरसिमलु जी कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। पंडित आदिपुडि सोमनाथ राव जी और पंडित हरिहर देव जी उपदेशक नियुक्त हुए। पंडित आदिपुडि सोमनाथ राव जी ने 'सत्यार्थ प्रकाश' का तेलुगु में अनुवाद किया।

आर्य समाज के कार्यों को चलाने के लिए पुतली बावली रोड पर एक मकान पांच रुपये किराये पर लिया गया। यह मकान सेठ ज़मनादास जी का था। इसके बाद हैदराबाद में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार पत्र 'मुशर-ए-दक्कन' के संपादक किशनराव जी ने हश्मतगंज में अपना घर छः रुपये किराये पर दिया, जहां समाज के साप्ताहिक सत्संग होते थे। उसी समय हैदराबाद के प्रसिद्ध वकील राय कुंवर बहादुर जी, आर्य समाज में सम्मिलित हुए और वैदिक सिद्धांतों के सहज अनुयायी बन गए।

१८९३ के आरंभ में आर्य समाज सुल्तान बाज़ार का प्रथम वार्षिकोत्सव 'राजा कंदास्वामी' के बाग में मनाया गया। इस अधिवेशन में आर्य समाज, बंबई के मंत्री सेवक लाल जी, पंडित बालकृष्ण जी शर्मा, उपदेशक स्वामी आत्मानंद सरस्वती सम्मिलित थे। समाज के पदाधिकारियों में पंडित कामता प्रसाद जी मिश्र और नरहर देवजी मंत्री चुने गऐ।

पंडित शिव शर्मा जी तथा पंडित बालकृष्ण जी शर्मा ने हैदराबाद में चार महीने वैदिक धर्म का प्रचार किया, जिसके फलस्वरूप सनातनियों में एक हलचल मच उठी और एक ज्योतिषि पंडित हरिकेशव जी पंचपक्षी ने सनातन धर्म की आड़ लेकर 'पुरुषोत्तम समाज' की स्थापना की। आर्य समाजियों तथा सनातन धर्मियों में अपने-अपने सिद्धांतों तथा आदर्शों को ही सही मनवाने की होड़ लग गयी। सनातन धर्मियों ने सनातन धर्म के प्रसिद्ध विद्वान पंडित गोकुल प्रसाद जी हफ्तजवां को आर्य समाजियों से शास्त्रार्थ करने हैदराबाद आमंत्रित किया।

पहला शास्त्रार्थ :- सनातन धर्मियों से पहला शास्त्रार्थ राजा शिवराज धर्मवंत बहादुर की अध्यक्षता में उन्हीं के निवास स्थान पर हुआ। पंडित गोकुल प्रसाद जी की आर्य समाज पर टीका-टिप्पणी के उपरांत जब पंडित बालकृष्ण जी शर्मा उत्तर देने लगे, तो अध्यक्ष महोदय ने पक्षपात से काम लिया और उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी। परिणाम स्वरूप यह शास्त्रार्थ किसी निर्णय के बिना हो हुल्लड़ के साथ समाप्त हो गया। इसकें उपरांत ११-९-१८९४ को राजा मुरली मनोहर बहादुर ने दोनों दलों के बीच एक शास्त्रार्थ कराने का प्रयत्न किया। आर्य समाज की ओर से स्वामी विश्वेश्वरानंद जी और स्वामी नित्यानंद जी महाराज को आमंत्रित किया गया। इन दोनों के व्याख्यानों का सनातनी विद्वानों तथा मुसलमानों दोनों ने घोर विरोध किया और निज़ाम के पास शिकायत भी की, जिसकें फलस्वरूप दोनों स्वामी को हैदराबाद नगर से चले जाने का आदेश दिया गया। इस आदेश के विरोध में लाला लाजपत राय, महाराजा बडोदा, महाराजा शाहपुरा, महाराजा ईडर आदि ने निज़ाम को तार दिया, परंतु निज़ाम की सरकार ने इस विरोध की कोई परवाह न की।

दूसरा शास्त्रार्थ :- पंडित ज्वाला प्रसाद जी शर्मा, उत्तर प्रदेश, पंडित पूर्णानंद जी, पंजाब, आर्य समाज के ११वें अधिवेशन पर पधारे थे। उस समय हैदराबाद में अच्युत स्वामी के साथ यज्ञ में 'पशुबलि वेद-विरुद्ध है' विषय पर शास्त्रार्थ हुआ। आर्य समाज के पंडितों ने वेद तथा ब्राह्मण ग्रथों के प्रमाणों से सिद्ध किया कि यज्ञ में पशु-हिंसा निषिद्ध है। इस शास्त्रार्थ का जनता पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा।

तीसरा शास्त्रार्थ :- आर्य समाज रेज़िडेंसी (वर्तमान आर्य समाज मंदिर, सुल्तान बाजार) के १२वें अधिवेशन पर अधिकारियों को इस बात का पता चला कि कृष्णा नदी के तट पर सोम यज्ञ हो रहा है, जिसमें बकरे की आहुति दिए जाने का निश्चय किया गया है। यह जानकर आर्य समाज ने पंडित सोमनाथ राव जी को वहां भेजा। इस यज्ञ के ब्रह्म अच्युत स्वामी जी से राज नरसिंह गिरिजी की कोठी में शास्त्रार्थ होना निश्चय हुआ। पं. तुलसीराम जी, पं. ज्वाला प्रसाद जी, पं. आर्य मुनि जी, पं. रूद्रदेव जी तथा पं. पूर्णानंद जी आदि विद्वानों को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया गया। एक मास तक वाद-विवाद चलता रहा। किंतु शास्त्रार्थ आगे न हो सका।

इसी बीच १८९४ में स्वामी नित्यानंद हैदराबाद पधारे। उन्होंने आर्य समाज से संबंध रखने वाले विभिन्न विषयों पर ३० व्याख्यान दिए। स्वामी जी के ये व्याख्यान प्रायः हैदराबाद नगर के शिक्षित एवं सुप्रसिद्ध, उच्च पदों पर कार्यरत, प्रतिष्ठित व्यक्तियों की अध्यक्षता में होते थे। इनमें अधिक व्यक्ति मुसलमान भी थे, जैसे नवाब जफरजंग बहादुर, नवाब इमादुल्मुल्क, नवाब सैय्यद हुसैन बिलगिरानी आदि। स्वामी जी तथा दूसरे विद्वानों के भाषणों से प्रभावित होकर अमीर-ए-पायगाह नवाब जफरजंग बहादुर ने इन विद्वानों को अपने यहां आमंत्रित किया, दावत दी और इन्हें ५०० रुपये का पारितोषिक भेंट किया।

शास्त्रार्थ में अपनी बात न मनवा सकने के कारण सनातनधर्मियों तथा पौराणिक पंडितों ने मुसलमानों के उच्च अधिकारियों तथा मुस्लिम मतावलंबियों को सत्यार्थ प्रकाश दिखाकर भड़काना एवं बहकाना शुरू कर दिया। इन पंडितों के विद्वेषपूर्ण प्रचार का प्रभाव यह हुआ कि शासन की ओर से निज़ाम राज्य की सीमा में आर्य समाज स्थापित न करने का आदेश दिया गया। आर्य समाज के विरुद्ध निज़ाम सरकार का यह प्रथम और हल्का प्रहार था।

सन् १८९७ में जिन सज्ननों ने आर्य समाज के प्रचार-प्रसार में अधिक सेवाएं दीं, उनमें महात्मा बेनी माधव जी, पं. योगानंद जी, पं. केशवराव जी कोरटकर, वकील हाईकोर्ट, राजा गोविंद प्रसाद जी, श्री इंद्रजीत जी और भवानी शंकर जी के नाम उल्लेखनीय हैं। 'समाज' के जीवन के सातवें वर्ष राय कुंवर बहादुर

प्रधान और पं. कामता प्रसाद जी मंत्री चुने गये। १९०० ई. में सदस्यों की भर्ती का कार्य संतोषजनक रहा। गोस्वामी ज्ञानगीर जी नरसिंह गीरजी की कोठी (वर्तमान प्रतापगीरी जी की कोठी - ई.एन.टी. अस्पताल) में समाज के उत्सव किये जाने लगे।

हरिजनों का सुधार :- आर्य समाज ने ऊँच-नीच एवं जात-पात के बंधनों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। हैदराबाद में दलित जातियों की अत्यंत दयनीय स्थिति को आर्य समाज ने महसूस किया तथा हरिजनों के सुधार का रचनात्मक कार्य आरंभ किया गया।

आर्य समाज की लोकप्रियता :- १८९२ से १९०० तक ८-९ वर्ष की अवधि में आर्य समाज की जड़ें मजबूत हो चुकी थीं। उसका उद्देश्य हिन्दू समाज का सुधार करके उसे वैदिक धर्म के सीधे रास्ते पर चलाना तथा बिना किसी भेदभाव के सबकी सेवा करना था। आर्य समाज की मानव कल्याण एवं सेवा भावना सक्रिय रूप से शनैः शनैः स्पष्ट होने लगी।

स्त्रियों में जागृति हेतु महिला सभा की स्थापना की ओर भी ध्यान दिया गया। समाज की ओर से आर्य कन्या पाठशालाएं एवं रात्रि पाठशालाएं स्थापित की गयीं। पहला विद्यालय देवीदीन बाग में स्थापित किया गया। १९०१ में 'स्त्री समाज' के नाम से एक महिला सभा स्थापित की गयी। १९०१ में सिकंदराबाद में आर्य समाज की स्थापना की गयी। इस कार्य को पूरा करने में श्री आदिपूडि सोमनाथ राव जी श्याम राव जी, वासुदेव राव जी, मुदलियार के नाम उल्लेखनीय हैं। मुंशीराम जी ने समाज-मंदिर के निर्माण के लिए २५ हजार रुपये की भूमि दान की। आज यहां जो एक सुंदर भवन दिखायी दे रहा है, उसके निर्माण में सर्वश्री बी.वी. गुरुमूर्ति जी, राम रखा जी, पं. मनोहरलाल जी तथा बी.आर. लक्ष्मैया जी का विशेष सहयोग प्राप्त रहा।

पिछले युग में आर्य समाज की स्थापना के साथ जिन प्रसिद्ध व महान पुरुषों का संबंध रहा, उनमें स्व. दामोदर सातवलेकर जी, पं. धारेश्वर जी, पं. नरदेव जी शास्त्री, पं. गया प्रसाद जी आर्य, कामता प्रसाद जी तथा चंदूलाल जी के नाम विशेषकर उल्लेखनीय हैं, जो अपना ऐतिहासिक महत्व रखते हैं।

१८९२ में ही केशवराव कोरटकर आर्य समाज, सुल्तान बाजार के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और १९३२ ई. में मृत्युपर्यंत इसके प्रधान तथा प्राण बने रहे। 'आर्य प्रतिनिधि सभा' ने तेलुगु में 'सत्यार्थ प्रकाश' का अनुवाद करवाया, जो १९१६ से आरंभ होकर ४-४-१९३१ तक चलता रहा।

हैदराबाद राज्य के विभिन्न स्थानों में आर्य समाज स्थापित करने का अभियान शुरू हुआ। १९२५ में गुलबर्गा में आर्य समाज स्थापित हुआ। १९२९ में नलगोंडा में आर्य समाज स्थापित हुआ। १९२७ में महाराजगंज नामक आर्य समाज नामपल्ली रेलवे स्टेशन के निकट स्थापित हुआ। १९३० में एक अन्य समाज धूलपेट (ध्रुवपेट) में स्थापित किया गया। इसके प्रधान कार्यकर्ता ठाकुर उमराव सिंह जी और ठाकुर सूरज सिंह थे। १९३० में ही श्रीमंगल देव और कतिपय उत्साही व्यक्तियों के प्रयत्न से राज्य के विभिन्न जिलों और ताल्लुकों में आर्य समाज की २५-३० शाखाएं स्थापित हो गयीं। १९३३ में रायचूर तथा लातूर में आर्य समाज की शाखाएं स्थापित हुईं। १९३४ में काचीगुड़ा में एक आर्य समाज स्थापित हुआ। १९३५ में बीदर जिले में साकोल गांव में एक समाज की स्थापना हुई।

७-१२-१९३४ से आर्य समाज के उर्दू साप्ताहिक पत्र, 'वैदिक आदर्श' का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसके सम्पादक श्री चन्दुलाल जी थे, तथा सम्पादन पं. नरेंद्र के जिम्मे था। वैदिक आदर्श का प्रकाशन राज्य की मुस्लिम पत्रकारिता के लिए चैलेंज था एवं दुःख तथा शोक का कारण भी। रहबर-ए-दकन, सुबह-ए-दक्कन तथा अलआज़म जैसे सांप्रदायिक समाचारों के हिन्दुओं पर अश्लील आक्षेपों का उत्तर गंभीरता पूर्वक वैदिक आदर्श देता था।

द्वितीय युग :- ४ अप्रैल १९३१ को हैदराबाद राज्य के आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना के साथ इस प्रदेश के इतिहास में आर्य समाज के दूसरे युग का श्रीगणेश होता है। इसी वर्ष संपन्न चुनाव में अध्यक्ष होईकोर्ट के जज केशव राव, मंत्री चंदूलाल आर्य तथा कोषाध्यक्ष श्री विनायक राव विद्यालंकार चुने गए।

इस दौर (अवधि) में कई स्थानों पर आर्य समाज की शाखाएं स्थापित की गयीं। १९४० में सूयपिट तथा खम्मम में तथा वरंगल में १-१०-१९४० को बंसीलाल तथा श्यामलाल सदृश कर्मठ कार्यकर्ताओं और प्रचारकों के प्रयत्न का ही यह परिणाम था कि १९४१ तक हैदराबाद राज्य में १४५ आर्य समाज स्थापित हो गये थे।

तीसरा युग :- १९४० से १९४८ तक आर्य समाज की प्रगति का तीसरा युग था। इस युग में न केवल आर्य समाज का और विस्तार हुआ, अपितु हैदराबाद के स्वतंत्रता संग्राम में समाज ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, इस युग का मुख्य योगदान 'सत्याग्रह' था। हैदराबाद में सत्याग्रह शुरू करवाने का श्रेय श्री बंशीलाल को दिया जाता है। वह हैदराबाद को निज़ाम सरकार की नादिरशाही धार्मिक पाबन्दियों की ओर सार्वदेशिक सभा का ध्यान निरन्तर आकृष्ट करते रहे। श्री बंसीलाल के अनुज श्यामलाल आर्य समाज के धर्म प्रचार के मूर्तिमान आदर्श थे। आर्य समाज का सत्याग्रह आंदोलन हैदराबाद के मुक्तिसंग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। निज़ाम सरकार तथा पुलिस के जुल्म, रज़ाकारों के अमानवीय अत्याचारों और कासिम रजवी के विषैले भाषणों के विरुद्ध सत्याग्रहियों ने कमर कस ली थी। उन्होंने अपने भाई बधुओं की हत्या देखी, अपने घरों व जायदादों को जलता देखा। अपनी माओं, बहनों तथा बेटियों की बेबसी तथा अनादर देखा, किन्तु वह अपने मार्ग पर डंटे रहे। अपने धर्म क्षेत्र तथा कर्मभूमि को कभी न त्यागा निरन्तर आग्रह और अनुरोध करने पर भी निज़ाम सरकार ने जब आर्य समाज की गतिविधियों व धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करना बंद नहीं किया और समाज की मांग को मानने से सर्वथा उपेक्षा की तो विवश होकर आर्य समाज को सत्याग्रह का मार्ग अपनाना पड़ा। सत्याग्रह आरम्भ करने से पूर्व राज्य सरकार की सेवा में १४ मांगे प्रस्तुत की गई-जैसे पाठशालाओं पर रोक लगाने वाले आदेश की समाप्ति, धार्मिक त्यौहारों पर प्रतिबंध वापिस लेने की मांग, आर्य समाजी समाचारपत्रों के प्रकाशन पर रोक न लगाना, हवन कुंडों की अनुमति, तथा राजकीय सेवा में आर्य समाज पर जुल्म आदि।

हैदराबाद में स्थानीय सत्याग्रह २९ अक्टूबर १९३८ को आरंभ हुआ जिसे आर्य रक्षा समिति ने शुरू किया था। प्रथम सत्याग्रह जत्थे के नेता श्री पं. देवीलालजी थे। उनके नेतृत्व में सर्व मुन्नालाल मिश्र, मदनमोहन, एन.देवैया, सदाशिव राव एवं राजैया ने सत्याग्रह में भाग लिया। देखते ही देखते राज्य के विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह आग की तरह फैल गया और कुल मिला कर सात सौ सत्याग्रही राज्यभर में सत्याग्रह कर कारावास को अपना आवास बना चुके थे। इसी संदर्भ में अब सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा दिल्ली के प्रधान पूज्य महात्मा नारायण स्वामी ने जनता से

सत्याग्रह के बारे में मत लेने के लिए शोलापुर आर्य-सम्मेलन आयोजित किया गया, जो २३-१२-१९३८ को संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में १३ प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें राज्य सरकार से कई मांगे की गई। इसी सम्मेलन में घोषणा की गई कि हैदराबाद में आर्य समाज की वर्तमान लड़ाई न तो राजनैतिक है और न साम्प्रदायिक अपितु वह केवल नागरिकों की धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति तक ही सीमित है। आर्य सम्मेलन के इस निर्णय के साथ समस्त भारत के कोने-कोने से हैदराबाद को सत्याग्रहियों के जत्थे भेजने की तैयारियां आरंभ होने लगी और देश के कोने-कोने में उत्साह की लहरें उमड़ने लगी। निज़ाम सरकार यदि चाहती तो वह आर्य समाज की शिकायतों पर विचार कर सकती थी, किंतु यह दुर्भाग्य तथा खेद की बात है कि सरकार ने अपने घमंड तथा हठधर्मी के कारण मांगों को अस्वीकार कर दिया। इस निर्णय से निराश होकर आर्य समाज ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बड़े स्तर पर सत्याग्रह का संकल्प लिया।

आर्य समाज के इस सत्याग्रह आंदोलन पर भारत के महान नेताओं ने अपने विचार प्रकट किए। विश्वकवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा- **'आर्य समाज की मांगें वास्तविकता पर आधारित हैं। मैं हैदराबाद राज्य सरकार से आशा करता हूं कि वह इन लोगों की मांगों को स्वीकार कर सत्याग्रह को समाप्त करने की दिशा में कदम उठायेगी।'**

महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह के बारे में कहा, 'हैदराबाद में आर्य समाज का संघर्ष केवल धार्मिक रूप रखता है।'' पंडित ज़वाहरलाल नेहरू ने अपनी सम्मति इस प्रकार दी, 'हैदराबाद में धार्मिक पाबन्दियां समाप्त की जानी चाहिए। हर एक को धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। 'वीर सावरकर ने कहा, 'आर्य समाज का सत्याग्रह वास्तविकता पर आधारित है। समस्त हिन्दुओं को इसमें भाग लेकर निज़ाम सरकार से टक्कर लेनी चाहिए।' मौलाना आजाद का विचार था, 'हैदराबाद में आर्य समाज का सत्याग्रह एक मजहबी हैसियत रखता है। मैं उन लोगों से हमदर्दी रखता हूं जो अपने हकों को हासिल करने के लिए जुल्म सह रहे हैं।' ऐसे ही विचार आचार्य कृपलानी तथा श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भी व्यक्त किए।

इस प्रकार आर्य समाज के हैदराबाद सत्याग्रह को सारे भारत का नैतिक समर्थन प्राप्त था।

सत्याग्रह के प्रथम अधिनायक थे महात्मा नारायण स्वामी जी तथा इनके साथ थे गुरुकुल के ३५ ब्रह्मचारी। फरवरी १९३९ के पहले सप्ताह में आर्य समाज, सुल्तान बाजार में सत्याग्रह किया गया। सरकार ने ८ फरवरी को इन सत्याग्रहियों को छः महीने के कठोर कारवास का दंड दिया।

दूसरे अधिनायक थे राजस्थान के आर्य समाजी तथा नेता श्री कुँवर चाँदकरण शारहा। आपको भी सत्याग्रह के जुर्म में १३ महीने कारावास का दंड दिया गया। तीसरे अधिनायक थे लाला खुशाल पंद (आनंद स्वामी सरस्वती) चौथे अधिनायक उत्तर प्रदेश के राजगुरु धुरेंद्र शास्त्री थे। २२ अप्रैल को आपने एक स्पेशल ट्रेन द्वारा अपने ५३१ साथियों के साथ गुलबर्गा पहुँचकर सत्याग्रह करने की घोषणा की। उसी दिन आपको पकड़ लिया गया और इन सबको दो वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा दी गई।

पांचवें अधिनायक के रूप में बिहार आर्य समाज के प्रधान श्री वेदव्रत उर्फ स्वा स्वामी अभेदानंद को नियुक्त किया गया। आपने ५३४ सत्याग्रहियों के साथ सत्याग्रह में भाग लिया आपको और आपके साथियों को भी २ वर्ष के कारावास का कठोर दंड दिया।

छठे अधिनायक बने 'प्रताप' दैनिक के संचालक महाशय कृष्णजी, जो औरंगाबाद पहुंचे। आपके साथ विभिन्न प्रांतों के लगभग १००० सत्याग्रही थे। ६ जून १९३९ को औरंगाबाद में सत्याग्रह करते हुए पुलिस ने इन सबको पकड़ा तथा वहीं कारावास का दंड दिया गया।

२३ जून १९३९ को सत्याग्रह के सातवें अधिनायक गुजरात के पं. ज्ञानेन्द्र जी ने अपने १७० साथियों के साथ सत्याग्रह किया।

२ जुलाई को हैदराबाद के पं. विनायकराव जी विद्यालंकार नें आठवें अधिनायक की जिम्मेदारी उठाई।

सत्याग्रह रक्षा-समिति के संचालक लौह पुरुष पूज्य स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज ने समस्त भारत का भ्रमण कर जनता को आर्य समाज के सत्याग्रह से परिचित करवाया। आपकी योग्यता तथा निष्ठा के परिणामस्वरूप सत्याग्रह सफलता को प्राप्त कर सका। सत्याग्रह के फलस्वरूप बारह हजार सत्याग्रहियों से निज़ाम के जेलखाने भर चुके थे, इसके अतिरिक्त २ हजार और सत्याग्रही जेल जाने के लिए तैयार थे।

ब्रिटिश संसद में हैदराबाद आर्य सत्याग्रह से संबंधित प्रश्न किये गए। संसद के कई सदस्यों ने राज्य में सामाजिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने, सत्याग्रहियों की संख्या, निज़ाम सरकार की पाबन्दियों तथा राज्य के बिगडते हुएं राजनीतिक हालात पर खुली जांच करवाने की मांग की।

आर्य समाज के सत्याग्रह से जहां निज़ाम सरकार को चिन्तित होना पड़ा, वहीं 'मजलिस-इत्तेहादुल मुस्लमीन' पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। आर्य समाज के 'सुधारों' का मजलिस ने कड़ा विरोध किया। आर्य समाज की ओर से जिन मांगों की ओर निज़ाम का ध्यान आकर्षित किया गया उनमें आर्य समाज के प्रचार पर रोक न लगाने, हवन कुंडों तथा यज्ञशालाओं का निर्माण, आर्य समाज के जलसों तथा जुलूसों पर से प्रतिबंध उठाना, धार्मिक तथा सांस्कृतिक भाषणों पर कोई प्रतिबंध न हो... आदि शामिल थी। हैदराबाद सत्याग्रह में आर्य जनता का लगभग दस लाख रुपया व्यय हुआ। इस पूरी राशि को श्री घनश्याम सिंह जी गुप्त हैदराबाद शासन से वसूल करना चाहते थे। उन्होंने २६ जून १९३९ को महात्मा गांधी से भेंट की और सारे मामले से अवगत करवाया। महात्माजी संतुष्ट हुए तथा एक पत्र हैदराबाद के प्रधानमंत्री सर अकबर हैदरी को लिखा जिसमें आर्य समाज की जायज मांगों को मान लेने तथा दस पंद्रह लाख रुपए देने की बात लिखी गयी। इसके परिणाम स्वरूप हैदराबाद सरकार को झुकना पड़ा-लगभग १५ लाख रुपया आर्य समाज को दिया गया और कई मांगों को मानते हुए हजारों सत्याग्रहियों तथा आर्य बन्दियों को मुक्त किया गया।

१९३८-३९ में, प्रदेश की जनता पर, विशेषकर हिन्दु जनता पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ और जनता के नागरिक व धार्मिक अधिकारों के लिए चलाए गए आर्य सत्याग्रह आंदोलन के सफलता पूर्वक समाप्त होने के बाद आर्य समाज ने दूरदृष्टि से व राजनैतिक जागृति पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्रभाषा हिंदी को प्रचार-प्रसार का माध्यम बनाकर जस्टिस केशवराव कोरटकर की स्मृति में नारायणगुडा केशव मेमोरियल पाठशाला की स्थापना की। प्रांत भर में कई पाठशालाएं, रात्री पाठशालाओं तथा व्यायामशालाओं को स्थापित

पृष्ठ ६ का शेष....

जोर-जुल्म से टक्कर लेती हुई जनता इस जुलूस में हजारों-हजारों की संख्या में उपस्थित होकर अपनी शक्ति का, अपनी आजादी की आकांक्षा को प्रदर्शित करती रही, इसके साथ ही दिन व दिन संगठन को मजबूत कर आंदोलन को १९४६ में आर्य भानु पत्रिका आरंभ कर दी गई। देश के आज़ादी के दिन जैसे-जैसे नजदीक आने लगे वैसे निज़ाम की हुकूमत एक निरंकुश फासिस्ट सरकार में बदलती गई। बहादुर यार जंग की मृत्यु के बाद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमिन की बागडोर कासीम रज़वी के हाथ आई थी। इसकी क्रूरता जगत विख्यात है। हिज मैजिस्टी बनने की निज़ाम की आकांक्षा और मजलिस इत्तेहादुल मुसलमिन से गठजोड़ ने, हैदराबाद को स्वतंत्र इस्लामी राज्य बनाए जाने की उनकी प्रबल आकांक्षा को और मजबूती प्रदान की। परिणामस्वरूप देश विभाजन के बाद कासिम रज़वी ने रज़ाकारों की फौज का निर्माण किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने की कोशिश के चलते अपने आपको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर राज्य विस्तार के सपनों को भी पालने लगा और लगातार जनता पर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं, दमन और दहनकांड यहाँ तक कि बैरंमपल्ली, चेरियाल, पानगल, परकाल आदि अनेकों जगह पर सामूहिक हत्याकांड कर एक ऐसी भयंकर स्थिति को रज़ाकारों ने पैदा किया, जिसका सामना आर्य समाज ने अन्य के साथ मिलकर किया। रज़ाकारों से यह युद्ध लगातार १३ महीनों तक चलता रहा। ऐसा एक दिन नहीं गुज़रता था, जिस दिन कोई घटना नहीं घटी हो। रायकोड़ में रज़ाकारों की फायरिंग से १४ हिन्दुओं की हत्या हुई। १५४ दुकानों को जला दिया गया। इस सारे संघर्ष में आर्य समाज ने कांग्रेस के साथ मिलकर तय किया कि हैदराबाद राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करने तक लड़ाई जारी रखी जाय। रज़ाकारों से संघर्ष के दौरान बैरामपल्ली में १५० लोग, परकाल में १५० लोग पुलिस फायरिंग में मारे गये। गांव-गांव में सैकडों ने मिलकर इसका डँटकर मुकाबला किया और अंत में निज़ाम को झुकने के लिए मजबूर किया। भारत सरकार द्वारा पुलिस एक्शन से १७ सितंबर १९४८ को इतिहास के इस काले पन्ने का पटाक्षेप हुआ। मुसलमानों के इतने अत्याचारों के बावजूद हैदराबाद राज्य के भारत संघ में विलीन करने के बाद साम्प्रदायिक सद्‌भाव के लिए आर्य समाज ने विशेष कार्य किया

विशाल कूंडी **(शरीरम्)** चुना है, **(बृहन् अद्रिः)** पत्थर की विशाल कूंडी **(शरीरम् अभवत्)** जिस सोम को पीसने वाली है ।

और देखिए । गाय को कहा जा रहा है-

ये देवा दिविषदो अन्तरिक्षसदश्च ये ये चेमे भूम्यामधि । तेभ्यस्त्वं धुक्ष्व सर्वदा क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥ -अथर्व० १०.९.१२

"जो देवता द्युलोक में स्थित हैं, जो अन्तरिक्ष में स्थित हैं और जो भूमि पर स्थित हैं, उन सबके लिए, हे गाय, तू सर्वदा क्षीर, घृत और मधु का ही दोहन कर ।" यहाँ 'सर्वदा' शब्द ध्यान देने योग्य हैं । देवों के लिए सर्वदा क्षीरादि का ही दोहन गाय ने करना है, मांस का दोहन कभी नहीं ।

लाजीन् शाचीन् यव्ये गव्य एतदन्नमत्त देवा एतदन्नमद्धि प्रजापते ॥ -यजु० २३.८

"हे देवो, तुम खीलें, सत्तू, भुने जौ, गाय के दूध-घी से बनी चीजें, इस भोजन को खाओ । हे प्रजापति, तुम भी इसी भोजन को खाओ ।" देवता यदि मांसभोजी होते, तो उन्हें क्रव्यात्, पिशाच आदि कहा जाता । किन्तु मांसभोजी के पर्यायवाची शब्द क्रव्यात्, पिशाच आदि राक्षसों के वाचक हैं, जिनके विनाश का आदेश वेद देता है । स्वाभावतः मनुष्य शाकभोजी है । उसके दाँत, आँत आदि की रचना शाकभोजन के अनुरूप है । पशु-पक्षियों में जो शाकाहारी हैं, वे मांसाहार कभी नहीं करते, वे पक्के व्रतनिष्ठ है । ईश्वरीय सृष्टि में एकमात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, जिसे यद्यपि प्रकृति ने शाकभोजी बनाया है, तो भी वह मांसभोजी बन रहा है, यहाँ तक कि उसने अपने शाकभोजी देवताओं को भी मांसभोजी बना लिया है ।

विवाह में गोमांस भक्षण ?

'सरिता' के लेखक ने भारतीय विद्याभवन, बम्बई से प्रकाशित 'वैदिक एज', मैकडानल और कीथ द्वारा लिखित 'वैदिक इंडैक्स' तथा बनारस हिन्दू-विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 'वैदिक कोश' का हवाला देते हुे लिखा है कि विवाह-संस्कार के समय भोजन के लिए गौएँ मारी जाती थीं और मेहमानों को उस अवसर पर गौओं का मांस परोसा जाता था । पता दिया है ऋग्वेद के निम्नलिखित मन्त्र का-

सूर्याया वहतुः प्रागात् सविता यमवासृजत् । अघासु हन्यते गावो ऽर्जुन्योः पर्युह्यते ॥ -ऋ० १०.८५.१३

आश्चर्य है कि इस मन्त्र से विवाह में गोमांस परोसे जाने का अभिप्राय विद्वान् लेखकों ने कैसे ले लिया । इस मन्त्र पर सायण का भाष्य तो यह है-

सोमाय प्रदित्सितायाः सूर्यया वहतुः, कन्याप्रियार्थ दातव्यो गवादिपदार्थो वहतुः, स च प्रागात् तस्या अपि पूर्वमगच्छत् । यं वहतुं सविता अस्या पिता अवासृजत् अवसृष्टवान्, प्रादादित्यर्थः । कदा सागच्छत्, कदा वहतुरित्युभयोः काल उच्यते । अघासु मघास्वित्यर्थः, मघानक्षत्रेषु गावः सवित्रा दत्ता गावः सोमगृहं प्रति हन्यन्ते दण्डैस्ताड्यन्ते प्रेरणार्थम् । अर्जुन्योः फल्गुन्योरित्यर्थः, तयोर्नक्षत्रयोः सवितुः सकाशात् परि सोमगृहं प्रति उह्यते नीयते रथेन ।

अर्थात् सूर्या (वधू) के लिए दिया गया दहेज वर (सोम) के घर सूर्या से पहले ही चला गया, जिसे सूर्या के पिता सविता ने भेजा । सविता द्वारा दहेज में दी गयी गौएँ सोम के घर की ओर मघा नक्षत्रों में डण्डों से हाँकी गयीं और फल्गुनी नक्षत्रों में सूर्या अपने पिता सविता के पास से सोम के घर की ओर रथ से ले जायी गयी ।

एवं सायण के अनुसार मन्त्रोक्त गौएँ दहेज की गौएँ हैं और 'हन्यते' में हन् धातु का अर्थ वध करना नहीं, अपितु हाँकने के लिए डण्डे से ताड़न करना है । विवाह-संस्कार में वर के लिए गोदान की विधि गृह्यसूत्रों में भी है और आज भी प्रचलित है ।

'गावः' का अर्थ सूर्य की किरणें लें, तो माघ महीने में सूर्यकिरणें शीत के कारण मन्द हो जाती हैं और फाल्गुन मास में उनका तेज फिर वापिस आ जाता है । 'गावः' का अर्थ वाणियाँ करें, तो हन् धातु का गति अर्थ (हन् हिंसागत्योः) लेकर मन्त्र के उत्तरार्ध का यह भाव होगा कि माघ मास में वाणियाँ प्रेरित की जाती हैं, अर्थात् वाग्दान होता है और फाल्गुन में विवाह किया जाता है ।

यदि 'गावः हन्यन्ते' का अर्थ गो-वध ही अभिप्रेत हो, तो यह कैसी बेतुकी बात होगी कि माघ महीने में गौएँ काटी जाती हैं और फाल्गुन में विवाह की दावत में उनका मांस परोसा जाता है । फाल्गुन में ही गौएँ क्यों नहीं काटी जातीं, जिससे ताजा मांस खाने को मिले । विवाह में गोमांस की दावत कराने वाले विद्वानों ने ग्रिफिथ और ह्विट्ने की ही नकल कर ली प्रतीत होती है । विल्सन तो सायण का ही अनुसरण करते हैं ।

'मनुष्य तभी जब वह अहिंसा आदि गुणों का पूर्णतया पालन करें'

–मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून।

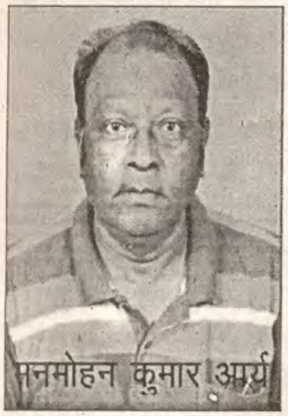

योगदर्शन महर्षि पतंजलि की मनुष्यों को बहुत बड़ी देन है जो मनुष्यों को मनुष्य बनाने का प्रमुख साधन है। योगदर्शन का उद्देश्य मनुष्यों को सुसंस्कारित कर उसे समाधि अवस्था तक पहुंचाना और ईश्वर का साक्षात्कार कराना है। समाधि में ही ईश्वर का साक्षात्कार सम्भव है वा होता है। समाधि में ईश्वर साक्षात्कार से विवेक उत्पन्न होता है और यही मनुष्यों के जीवन से दुःखों की पूर्णतः निवृति कराकर ईश्वर के सान्निध्य में पहुंचाता है। इसके बाद मनुष्य जब तक जीवित रहता है जीवनमुक्त कहलाता है और मृत्यु होने के पश्चात अनादि जीवात्मा मोक्ष प्राप्त करता है जो दुःखों से सर्वथा रहित अतिशय सुख की अवस्था होती है। इस मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। समाधि तक तक पहुंचने के लिए मनुष्यों को अष्टांग योग का पालन करना होता है जिसमें प्रथम सोपान व सीढ़ी पांच यम हैं। पांच यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह को कहते हैं। इसी प्रकार से योग का दूसरा सोपान है 5 नियम जिसमें शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान सम्मिलित हैं। इन सब का पालन करने से मनुष्य पशु से मनुष्य बनता है और योग में प्रविष्ट होता है। इसके विपरीत मनुष्य शरीर की आकृति मात्र से ही मनुष्य होता है गुण–कर्म–स्वभाव से नहीं। यम व नियम के बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि का अभ्यास करना होता है। महर्षि दयानन्द ने अपने जीवन में योग को पूर्णरूपेण सिद्ध किया था। वह जीवन–मुक्त पुरुष व सम्प्रज्ञात व असम्प्रज्ञात समाधि को सिद्ध किए हुए सच्चे योगी थे जिनका मृत्यु होने पर मोक्ष होना सम्भावित है।

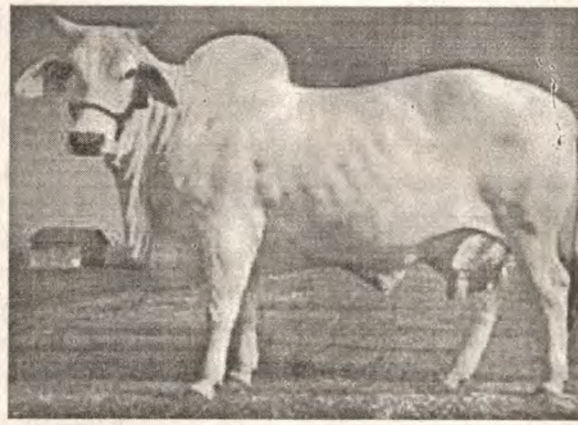

ईश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि यह दुःखों व मृत्यु आदि से डरता है और इनसे बचने के लिए हर सम्भव प्रयास करता है। अन्य सभी प्राणी भी ऐसा ही करते हैं। दुःख अप्रिय स्थिति को कहते हैं और सुख वह अवस्था होती है जिसमें मनुष्य अनुकूलता का अनुभव करता है। मनुष्य को कोई व्यक्ति यदि मारे, पीटे, अंग–भंग करे व उसका गला काट कर मार डाले तो उसके लिए यह प्रतिकूल स्थितियां होती हैं। वह इनसे बचने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करता है। अब यदि उसे यह बातें अपने लिए पसन्द नहीं और वह दूसरों के प्रति यह व्यवहार करे, उन्हें पीड़ा दे, उनकी हत्या इस कारण करें कि उनका मांस खाना है, तो क्या उसे कोई उचित व मनुष्योचित व्यवहार कह व मान सकता है। कदापि कदापि नही। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं अपितु उसका यह व्यवहार पशुओं से भी गया गुजरा कहा जायेगा। ऐसी ही शास्त्रों की सम्मति व मान्यता है जो उसके नियमों व शिक्षाओं का अध्ययन करने पर ज्ञात होती हैं। वैदिक शास्त्रों में अशुभ कर्मों वा अनुचित कार्यों व कामों को अधर्म व पाप कहा गया है जिसका फल ईश्वर दण्ड व दुःख के रूप में अपराधी मनुष्य को देता है। ईश्वर ने सत्य शास्त्र वेदों में कहीं किसी पशु की हत्या करने व उसका मांस खाने की शिक्षा व आज्ञा नहीं दी है अपितु पशुओं को मारने का निषेध किया है। अतः जीभ के स्वाद व किसी औचीत्य रहित कारण से पशु हत्या करना घोर क्रूरतम कृत्य है। यह अमानवीय होने के साथ महा अधर्म व महापाप भी होता है। ऐसा कर्म हममें से व संसार का अन्य कोई मनुष्य करे तो वह सम्मान व प्रतिष्ठा के योग्य न होकर दण्डनीय व तिरस्कार के योग्य होता है। अतः सभी मनुष्यों को अपने सभी काम मनुष्यता पर विचार कर करने चाहियें। जो किसी भी कारण से किसी भी रूप में मूक पशुओं व मनुष्यों के प्रति हिंसा के कार्य कर रहे हैं उन्हें यह कार्य तत्काल बन्द कर देनें चाहियें अन्यथा परजन्म में उन्हें इसी प्रकार की शारीरिक व मानसिक पीड़ओं से गुजरना होगा और ब्याज व सूद सहित अपने इस जन्म के अमानवीय कृत्यों की पूर्ति करनी होगी।

महर्षि दयानन्द जी ने गोकरूणानिधि नाम से एक लघु पुस्तक लिखी है। गोरक्षा हेतु लिखी इस पुस्तक में गोहत्या के विरुद्ध वह जो तथ्य, तर्क व युक्तियां इस पुस्तक में देते हैं वह सभी तर्क व युक्तियां मांसाहार हेतु गाय, बैल, भैंस, भैंसा, बकरी, भेड़, मुर्गी व मुर्गे की हत्याओं पर भी लागू होती हैं। ऋषि दयानन्द (1825–1883) ने अपने जीवनकाल में गोरक्षा वा पशु रक्षा का सबसे बड़ा व इतिहास में सबसे पहले सत्याग्रह किया था। उन्होंने सारे देश से लगभग 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर कराकर उन्हें तत्कालीन भारत उपनिवेश की महारानी विक्टोरियां को भेजने की योजना बनाई थी। यह कार्य वह बहुत जोर–शोर से कर व करवा रहे थे। इन हस्ताक्षरों से युक्त जो मेमोरण्डम उन्होंने इंग्लैण्ड की महारानी विक्टोरिया को भेजने हेतु तैयार किया था उसका प्रारूप हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने मेमोरेण्डम में लिखा था कि ऐसा कौन मनुष्य जगत में है जो सुख के लाभ में प्रसन्न और दुःख की प्राप्ति में अप्रसन्न न होता हो। जैसे दूसरों के लिये अपने उपकार में स्वयम् आनन्दित होता है ऐसे ही परोपकार करने में सुखी अवश्य होना चाहिये। क्या ऐसा कोई भी विद्वान भूगोल में था, है और होगा, जो परोपकार रूप धर्म और परहानि स्वरूप अधर्म के सिवाय धर्म और अधर्म की सिद्धि कर सके। धन्य वह महाशयजन हैं जो अपने तन, मन और धन से संसार का उपकार सिद्ध करते हैं। दूसरे पुरुष वे हैं जो अपनी अज्ञानता से स्वार्थवश होकर अपने तन, मन और धन से जगत् में परहानि करके बड़े लाभ का नाश करते हैं। महर्षि दयानन्द आगे लिाते हैं कि सृष्टिकम में ठीक–ठीक यही निश्चय होता है कि परमेश्वर ने जो जो वस्तुएं बनाई हैं वह पूर्ण उपकार के लिये हैं, अल्पलाभ से महाहानि करने के अर्थ नहीं। विश्व में दो ही जीवन के मूल हैं–एक अन्न और दूसरा पान। इसी अभिप्राय से आर्यवर शिरोमणि राजे महाराजे और प्रजाजन महोपकारक गाय आदि पशुओं (भैंस, भेंड़, बकरी, मुर्गी व मुर्गा आदि समस्त पशु व पक्षियों) को न आप मारते थे और न किसी को मारने देते थे। अब भी इस गाय, बैल, भैंस आदि को मारने और मरवाने देना नहीं चाहते है, क्योंकि अन्न और पान की आवश्यकतानुसार प्राप्ति इनकी वृद्धि व सुलभता से ही होती है। इससे सब का जीवन सुखी हो सकता है। जितना राजा और प्रजा का बड़ा नुकसान इनके मारने और मरवाने से होता है, उतना अन्य किसी कर्म से नहीं। इस का निर्णय उनकी बनाई 'गोकरुणानिधि' पुस्तक में अच्छे प्रकार से प्रकट कर दिया है, अर्थात् एक गाय के मारने और मरवाने से चार लाख बीस हजार मनुष्यों के सुख की हानि होती है। इसलिए हम सब लोग प्रजा की हितैषिणी श्रीमती–राजराजेश्वरी क्वीन महारानी विक्टोरिया की न्याय प्रणाली में जो यह अन्याय रूप बड़े बड़े उपकारक गाय आदि पशुओं की हत्या होती है, इसको इनके राज्य में से छुड़वाके अति प्रसन्न होना चाहते हैं। तीसरे व अन्तिम पैरा में महर्षि दयानन्द ने कुछ और दलीलें दे कर महारानी विक्टोरिया और भारत के गवर्नर जनरल साहब बहादुर से गाय आदि सभी उपकारक पशुओं की हत्या पर रोक लगाने की मांग की थी। गोकरुणानिधि' पुस्तक पूरी ही पढ़ने योग्य है। इसे धर्म, जाति व मजहब से ऊपर उठकर प्रत्येक मनुष्य को पढ़ना चाहिये जिससे उसे मनुष्यता व पशुता के जीवन का अन्तर व ज्ञान हो सके।

आर्यजगत के शीर्षस्थ विद्वान पं. राजवीर शास्त्री जी ने लिखा है कि गोमाता के वध पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए दो करोड़ भारतवासियों के हस्ताक्षर कराकर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को प्रतिवेदन करते हुए ऋषि दयानन्द जी ने कहा था कि बड़े उपकारक गाय आदि पशुओं की हत्या करना महापाप है, इसको बन्द करने से भारत देश फिर समृद्धिशाली हो सकता है। गाय हमारे सुखों का स्रोत है, निर्धन का जीवन और धनवान् का सौभाग्य है। भारत देश की खुशहाली के लिए यह रीढ़ की हड्डी है। हमारा देश सन् 1947 में आजाद हो चुका है। यह कितने दुःख की बात है कि हमारे देश के शासकों ने भी गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगाया। आज भी देश में गोहत्या जारी है। गो की हत्या करने के लिए सरकार ने कत्लखाने बनाने व गोमांस का आयात करने की अनुमति दी हुई है। हमारी सरकारो को गोभक्षकों की चिन्ता है परन्तु गोरक्षकों की भावनाओं व अधिकारों की किंचित भी चिंता नहीं है। उनको गोभक्षकों के मत व धर्म का तो ध्यान है परन्तु वैदिक सनातन धर्म व उसकी भावनाओं का बिलकुल भी ध्यान व चिन्ता नहीं है जबकि गोरक्षा से आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित है। आज देश के बच्चे व नई युवा पीढ़ी गोहत्या के कारण अमृतमय गोदुग्ध से वंचित हो गयी है। इसका लिए कौन उत्तरदायी है? हम समझते हैं कि इसका उत्तर हर गोप्रेमी जानता है।

जब भी किसी निर्दोष मूक पशु की हत्या मांसाहार के लिए की जाती है तो निश्चय ही उसमें पशु हिंसा होती है। हम इस हिंसक कार्य को करने व कराने वालों को अहिंसा की भावनाओं से विरत होने के कारण सहिष्णु व दयावान मनुष्य तो कदापि नहीं कह सकते। पशुओं की हिंसा का होना दयालुता व करूणा के मानवीय स्वभाव के विपरीत है और क्रूरता का कार्य है जो आजकल शिक्षित लोग करते व कराते एवं उसका समर्थन करते हैं। हमारी इतनी शक्ति नहीं की हम इस वीभत्स कार्य को रूकवा पायें। अतः हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं जो महर्षि दयानन्द ने की है कि 'हे महाराजाधिराज जगदीश्वर ! जो इन पशुओं को कोई न बचावे तो आप उनकी रक्षा करने और हमसे कराने में शीघ्र उद्यत हूजिए।' इसी के साथ हम इस लेख को विराम देते हैं और पाठकों से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वह गोकरुणानिधि पुस्तक पढ़े और अपने कर्तव्य का निर्धारण करें। हमें प्रधानमंत्री जी से बहुत आशायें हैं। हमें आशा है कि निकट भविष्य में इस समस्या पर ध्यान देंगे। सभी धर्मगुरुओं को भी गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध के लिए आगे आना चाहिये जो कि उनका नैतिक कर्तव्य व धर्म है।

हैदराबाद के क्रांतिदर्शी
पंडित सोहन लाल जी वानप्रस्थी

पं. सोहन लाल जी का जन्म ११ सितम्बर, १९१२ को जन्माष्टमी के दिन, श्रीवास्तव कायस्थ कुल में श्री रामलाल जी और श्रीमती कुन्दन बाई के घर मलखेड़, गुलबर्गा में हुआ था। इनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के निवासी थे। सन् १८५७ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उनके परदादा श्री दिलसुखराय अंग्रेज़ो की गोलियों के शिकार हुए। वे उस दौरान सहारनपुर राजा के नायब दीवान थे। उनके बाद शेष पिरवार निजाम सरकार की जागीर मलखेड़ में आ बसा। यहाँ पर उनके चाचा श्री छगनलाल जी, जागीरों को लेकर हुई आपसी शत्रुता का शिकार हुए। तत्पश्चात उनका परिवार हैदराबाद में आ गया। हैदराबाद में उनके पिताजी को प्लेग हो गया और वे स्वर्ग सिधार गए। उस समय सोहनलाल जी की आयु केवल ५ वर्ष थी। उनका लालन-पालन, ध्रुवपेट निवासी उनके मामा श्री राय संगमलाल जी के संरक्षण में हुआ।

प्रारंभिक शिक्षा के लिए उन्हें पहले तो उर्दू व फारसी सीखाने के लिए मस्जिद मियाँ मिश्क पुरानापुल पाठशाला में दाखिल किया गया और बाद में तहतानिया स्कूल जाली हनुमान में प्रवेश दिलाया गया। उसके बाद कायस्थ पाठशाला हुसैनी आलम में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की।

उस दौरान पं. रामचंद्र वेदलवी शास्त्रार्थ महारथी तथा पं. धर्म भिक्षु जी आलिम फाज़िल के व्याख्यानों से हिन्दुओं में जागृति की लहर दौड़ रही थी। उसी समय वे आर्य समाज के सम्पर्क में आ गए और चंदूलाल जी मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा के साथ मिल कर कार्य करने लगे। उन्होंने उर्दू समाचार-पत्र 'वैदिक आदर्श' के सम्पादन मंडल में रह कर, पं. नरेनद्रजी व ठाकुर उमराव सिंह जी, जो आर्य समाज़ ध्रुवपेट के भूतपूर्व मंत्री थे, के साथ मिल कर सम्पादन का कार्य किया। लेकिन इस समाचार-पत्र को निजाम सरकार ने बंद करने का आदेश दे दिया, जिसके परिणामस्वरूप हिन्दू जागृत हुए और शासक भयभीत। सरकार ने 'इत्तिहादुल मुस्लमीन' स्थापित कर मुसलमानों को 'अलन मलिक' अर्थात हम इस देश के राजा हैं, का मिथ्या नारा दिया।

उन्होंने सन् १९३८ से १९४८ तक १० वर्षों की कठोर कारागार की सज़ा झेली। जब वे जेल से छूटे, तो उनमें खड़े रहने की भी शक्ति नहीं थी। उनका उपचार करवाया गया। उसके बाद श्री बंशीलाल जी व्यास से आग्रह पर वे २० वर्षों तक गुरुकुल घटकेश्वर में सेवारत रहे।

सन् १९३८ में ध्रुवपेट में ऐतिहासिक दंगा हुआ, जिसमें सरकार ने झूठे अभियोग लगा कर आर्य समाज के कार्यकर्ताओं को पकड़ा और जेल में डाल दिया उनमें पंडित सोहनलाल जी का नाम अग्रणीय था। हिन्दू जाति को कुचलने के लिए बनाए गए इस गुप्त षड्यंत्र के विरोध में, एक 'बचाव समिति' गठित की गई। परन्तु पंडित जी को छह माह का कठोर दंड दिया गया। उन्हें कारागार में अनेक यातनाएँ दी गई और एक वर्ष का एकांतवास दिया गया, जहाँ वायु और सूर्य का प्रकाश भी प्रवेश नहीं करता था। यही नहीं, उन्हें गुलबर्गा, वरंगल तथा हैदराबाद की जेलों में भी रखा गया। जेल में चक्की पीसने तथा पत्थर तोड़ने से, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। उन्होंने सन् १९३८ से १९४८ तक १० वर्षों की कठोर कारागार की सज़ा झेली। जब वे जेल से छूटे, तो उनमें खड़े रहने की भी शक्ति नहीं थी। उनका उपचार करवाया गया। उसके बाद श्री बंशीलाल जी व्यास के आग्रह पर वे २० वर्षों तक गुरुकुल घटेश्वर में सेवारत रहे। व्यास जी के देहान्त के बाद, वे १२ सालों तक 'मैजिक लैण्टर्न' से प्रचार करते रहे।

वे 'गो-वध निषेध' अभियान हेतु गुरुकुल से हैदराबाद आए। सरकार ने उन्हें फिर से गिरफतार कर लिया और मुशीराबाद जेल में रखा। वहाँ से छूटने के बाद उन्होंने दिल्ली में ७ बार सत्याग्रह किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें फिर से तिहाड़ जेल में बंदी बनाया गया। आन्दोलन समाप्ति की घोषणा के बाद ही उन्हें जेल से छोड़ा गया।

तत्पश्चात उन्होंने अपने जीवन की अंतिम साँस तक आर्य समाज ध्रुवपेट को अपना कार्यक्षेत्र बनाए रखा। इस स्थान पर, उन्होंने अनेक लोगों को हिन्दी व संस्कृत की शिक्षा दी, तथा हिंन्दी प्रचार सभा, भारतीय विद्या भवन की व अनेक धार्मिक परीक्षाएँ भी दिलाईं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक बच्चों व नवयुवकों को संध्या, हवन एवं संस्कार करना भी सिखाया। अंत में समाज को अपनी हुमुखी प्रतिभा से आलोकित करते हुए, वे ३ सितम्बर, १९८१ को महान ज्योति में लीन हो गए।

माँसाहार छोड़ें - शाकाहार अपनाएँ : आखिर क्यों ?

-डॉ. सुरेन्द्र सिंह कादियाण

वैज्ञानिकों की नई खोज

अब तक की मान्यता यही थी कि भूमिगत आणविक प्रस्फुटन, ज्वालामुखी प्रक्रिया, बड़े-बड़े जल संग्राहकों का निर्माण तथा भूगर्भ से लगातार डीजल आदि लुब्रीकेट्स की निकासी ऐसे अनेक कारण हैं जिनसे पृथ्वी पर भूकम्प आते हैं। लेकिन भारत के तीन वैज्ञानिकों, प्रो. मदनमोहन बजाज, एम. एस. एस. इब्राहीम और विजयराज सिंह ने अपने अनुसंधान के बल पर यह सिद्ध कर दिखाया है कि उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त भूकम्प ही नहीं बल्कि समुद्री तूफान, चक्रवात, हरिकेन्स, सूखा, अनावृष्टि, अकाल, दुर्भिक्ष आदि जीव हत्या से पनपते हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों ने अपने नाम का एक-एक अक्षर लेकर इस अनुसंधान को BIS Effect का नाम दिया। BIS का अर्थ विस्तृत करते हुे इसे ब्रेकडाउन ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम्स अर्थात् समन्वित संरचनाओं का विखण्डन भी कहा जाता है। इस प्रकार पिछले दस वर्षों से Bisology नाम का नया विषय विज्ञान जगत् में उभरा है। यह सिद्धान्त मूलतः प्रसिद्ध वैज्ञानिक आईस्टीन की पीड़ा तरंगों के प्रभाव को रेखांकित करता है। इन वैज्ञानिकों के शोध पत्र में कहा गया है कि हिंसा, क्रूरता, हत्या जो प्रायः बूचड़खानों, युद्धभूमि, समुद्र में व्यापक स्तर पर मछलियों को मारने के अभियानों के दौरान दिखाई पड़ती हैं और जिसकी वजह से पशुओं, मछलियों, इंसानों की मर्मान्तक वेदना तथा पीड़ा की तरंगे पैदा होती हैं उनकी वजह से भूकम्प आदि आते हैं। जून, १९९५ में मास्को के निकट सूजडल नामक शहर में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन में जब 'बिस प्रभाव' पर प्रस्तुत शोध पत्र पढ़ा गया तो वैज्ञानिक जगत् में ही तहलका नहीं मचा बल्कि अब तक की समस्त वैज्ञानिक भूकम्पकीय मान्यताओं को भी झकझोर कर रख दिया। 'बिस प्रभाव' को बाद में अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त से जोड़कर भी प्रस्तुत किया गया। भारतीय दर्शन और विज्ञान का यह अद्भुत समन्वय वस्तुतः आल्हादकारी रहा है।

भारतीय चिन्तकों व ऋषि मुनियों ने भले ही पीड़ा तरंगों का रहस्य भूकम्पों के रूप में न खोजा हो लेकिन वैचारिक तरंगों द्वारा किसी स्थान विशेष को दीर्घकाल तक प्रभावित रखने की बात वे स्वीकारते रहे हैं। सिद्धपीठ ऐसे ही विशिष्ट स्थान रहे हैं जो ध्यान, समाधि, तपस्या के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। सिद्ध और तपस्वी गुरुओं की साधना स्थली का श्रद्धा व सम्मान देने की परम्परा इसी कारण से भारत में रही है। स्वामी विवेकानन्द जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है और अन्य साधक भी स्वीकार करते रहे हैं कि किसी स्थान पर ध्यान व समाधि तत्काल लग जाती है तो कहीं प्रयास करने पर भी नहीं लगती।

योग निकेतन, ऋषिकेश के स्वामी योगेश्वरानन्द जी (व्यास देव) का एक जीवन प्रसंग उनके जीवन चरित्र **'हिमालय का योगी'** में इस प्रकार दिया है कि एक बार उनके किसी शिष्य ने किसी से मकान खरीदा। अपने चरण रज से उस मकान को पवित्र करने की शिष्य की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए स्वामी जी एक दिन उनके यहाँ पहुँच गये। शिष्य ने एक कमरे में उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी जिसकी सीढ़ियाँ नीचे सड़क पर उतरती थीं। अर्द्धरात्रि में स्वामी जी की निद्रा अचानक भंग हो गई और उन्होंने पाया कि उनका मन-मस्तिष्क वासना के आवेग से ओतप्रोत एवं कलुषित हो रहा है। स्वामी जी ने तुरंत जल ग्रहण कर आत्म चिन्तन द्वारा मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया लेकिन विफल रहे। फिर वे कमरे से बाहर निकल सीढ़ियाँ उतर कर बाहर सड़क पर घूमने लगे। जब चित्त शांत व स्थिर हो गया तो वे पुनः कमरे में लौट आये लेकिन थोड़ी देर पश्चात् फिर उसी वासना से आक्रांत होने लगे। उन्होंने पुनः जल ग्रहण कर, मन को दशीभूत करने का प्रयास किया लेकिन विफल रहने पर पुनः अड़क पर आकर टहलने लगे। चित्त के शांत व स्थिर होने पर वे पुनः कमरे में लौट आये और बिस्तर पर लेट गये। लेकिन कुछ ही क्षण पश्चात् वासना ने फिर उन पर आघात किया। स्वामी जी उठे, जल ग्रहण किया और अपने शिष्य का दरवाजा खटखटा कर उसे जगाया। जब शिष्य उनके पास आया तो उन्होंने उससे पूछा कि यह मकान तुमने किससे खरीदा था ? उसने उत्तर दिया - "स्वामी जी ! एक वेश्या से मैंने यह मकान सस्ते में खरीद लिया था।" स्वामी जी को समझते देर नहीं लगी कि वेश्यावृत्ति की वासना तरंगे उस कमरे को अभी तक प्रभावित रखे हुे हैं।

घर की अपेक्षा मन्दिर में हमारा मन इसलिए सकून अधिक पाता है क्योंकि वहाँ स्वच्छता और पवित्रता तथा वातावरण में श्रद्धा, भक्ति, उपासना की सात्विक विचार तरंगे अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। जब वासना और भक्ति की तरंगे अपना इतना प्रभाव रखती हैं तो जानवरों, मछलियों, इंसानों की जब कहीं सामूहिक हत्या होती है तो उनकी पीड़ा तरंगे बिना कोई प्रभाव छोड़े कैसे नष्ट हो सकती हैं ?

अब Bisology की ५२ शाखाएँ अस्तित्व में आ चुकी हैं। Bisopathy और Bisopathy नाम की दो नूतन चिकित्सा पद्धतियाँ भी उभर कर सामने आ चुकी हैं। Bisstraumatology नाम से एक अशक्त विज्ञान विद्या का जन्म हो चुका है। यदि आप चाहते हैं कि दुर्घटनाएँ न हों तो हिंसा मत कीजिए। मांसाहार से प्रत्येक व्यक्ति के शरीर पर Bis Load बढ़ता जाता है। जब मनुष्य के शरीर पर ९० nemi का BIS Load हो जाता है तो Alzheimer आदि रोग हो जाते हैं। अहिंसा और शाकाहार अपना कर हम विश्व के ७० प्रतिशत चिकित्सा व्यय को बचा सकते हैं। BIS effect कई प्रकार का होता है जैसे -

1. Linear Bis effect.
2. Non-Linear Bis effect.
3. Circular Bis effect.
4. Ciptical Bis effect.
5. Parabolic Bis effect.
6. Hyperbolic Bis effect.
7. Polarized Bis effect.
8. Un-Polarized Bis effect.
9. Co-herent Bis effect.
10. Incoherent Bis effect.

इन दस प्रकार के Bis effect के कारण कई प्रकार के समुद्री तूफान और झंझावात आते हैं। समुद्र के अतिरिक्त जमीन पर बूचड़खानों में जानवरों का जो बड़े स्तर पर

कत्लेआम हो रहा है वह भी कम भयानक नहीं है। अकेले भारत की बात करें जहाँ शाकाहार परम्परा के रूप में अपनाया जा रहा है, वहाँ लगभग दो लाख वैध-अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं जिनमें सभी कानूनी हिदायतों की अनेदखी कर विशाल स्तर पर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े, ऊँट, सूअर, मुर्गे, खरगोश काटे जाते हैं। अनुमान है कि इन बूचड़खानों, मीट शॉप और होटलों में प्रतिदिन आठ-दस लाख पशुओं को क्रूरता से काटा जाता है अर्थात् साल में पैंतीस छत्तीस करोड़ पशु मारे जाते हैं। भारत से बाहर विशेषतः मुस्लिम व ईसाई बहुल देशों में तो इससे भी बुरा हाल है। सन् १९९७ में सऊदी अरब में एक मौके पर ४० लाख पशुओं को एक साथ काटा गया था जिससे लोगों के घुटने तक खून का दरिया बहने लगा था। डब्ल्यू. टी. ओ. (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन) द्वारा १६ सितम्बर, १९९९ को भारत के केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय को जो पत्र प्रेषित किया गया वह इस बात का प्रमाण है कि भारत अब मांस का एक अन्तर्राष्ट्रीय विपणन केन्द्र (ग्लोबल मार्केट) बन गया है। इस पत्र के अनुसार अब अमरीका भारत को १४२९ प्रकार के मांस उत्पादन बगैर किसी प्रतिबन्ध (शर्त) के भेज सकेगा। ये उत्पाद अमेरीकी मांस कारखानों के अवशेष (गोश्त निकालने के बाद बचे मलबे/ओफाल Offal.) से तैयार होंगे और जमी हुई बैल पैक्ड-शक्ल में भारत की मण्डियों में धड़ल्ले से बेचे जायेंगे।

बिसोलॉजी के अन्तर्गत कहा गया है कि विश्व में पीड़ा और करुणा की तरंगों का एक संबद्ध जाल बिछा हुआ है और जब इसमें असंतुलन होता है तो प्राकृतिक विपदाएँ जन्म लेकर अपना भीषण ताण्डव खुल कर प्रकट करती हैं। बूचड़खाने और मांस मण्डियाँ पीड़ा तरंगों के स्थाई अड्डे हैं इससे भूकम्पी तनाव (सीस्मिक स्ट्रेस) होते हैं और सब कुछ तहस-नहस होने लगता है। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी, आंकड़ों व उदाहरणों के साथ देने के लिए बिस-अफैक्ट, सिद्धान्त के वैज्ञानिकों ने दो पुस्तकें भी लिखी हैं - इंटिओलॉजी ऑफ अथक्वैक्स-ए न्यू एप्रोच (अक्टूबर १९९५) और क्लासिकल एप्रोच टू बिस इफेक्टस (दिसम्बर १९९७)। डॉ. नेमिचन्द जैन ने भी एक पुस्तक भूकम्प की वजह इसी सिद्धान्त को लेकर लिखी है। तीनों पुस्तकें हीरा भैया प्रकाशन, ६५ कालोनी, कनाडिया रोड, इन्दौर-४५२००१, मध्य प्रदेश ने प्रकाशित की है। बिस इफैक्ट को 'नव भूकम्प विज्ञान' अथवा 'अहिंसानव शास्त्र' की संज्ञा दी जा रही है।

माँसाहार के लिए होने वाली जीव हत्या से भूकम्पों, सुनामी सरीखे चक्रवातों, अनावृष्टि, अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाएँ तो जन्म लेती ही हैं, पर्यावरण में हिंसा, क्रूरता, निर्दयता की वैचारिक तरंगे फैल कर आपराधिक मानसिकता की सम्भावनाएँ भी बढ़ती हैं तभी इससे लगभग ३०० प्रकार के रोग भी मानव शरीर को जर्जरित करते हैं। यह कोई आध्यात्मिक, साम्प्रदायिक, नैतिक विश्लेषण और मूल्यांकन नहीं है बल्कि ठोस तथ्यों पर आधारित वैज्ञानिक, चिकत्सीय व अर्थशास्त्रीय आकलन है। यदि इसे भी साम्प्रदायिक दुराग्रहों परम्परागत दोषपूर्ण आहार शैली, व्यापारिक प्रतिबद्धताओं और स्वाद के चस्के की भेंट चढ़ा दिया जाता है तो इसे समूची मानवता के लिए अभिशाप ही माना जायेगा। आधुनिक विश्व प्राकृतिक आपदाओं, कुपोषण, भुखमरी, पर्यावरण प्रदूषण, बढ़ते अपराधों और रोगों से यदि आज आहत है, ग्रस्त है, अभिशप्त है, संत्रस्त है तो इसका एक बड़ा कारण मांसाहार और इसके लिए की जाने वाली जीव हत्या है जिसका एकमात्र ठोस विकल्प शाकाहार ही हो सकता है। अतः शाकाहार न केवल भारत के लिए बल्कि समूचे विश्व के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। मानवता को हम विनाश की ओर धकेलना चाहते हैं अथवा विकास के प्रशस्त मार्ग पर अग्रसर करना चाहते हैं यह जन-जन के नीर-क्षीर-विवेक पर निर्भर करेगा, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक संस्थाओं, सोशल मीडिया और देश के नीति-निर्धारकों पर निर्भर करेगा। भारत यदि इस दिशा में बढ़कर एक आदर्श उपस्थित करता है तो उससे मानवता के उज्ज्वल भविष्य की आशा व गारंटी मिल सकेगी। भारत ऐसा करने में सक्षम है क्योंकि सर्वप्रथम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वेः सन्तु निरामय की ध्वनि संसार भर में यहीं से गूंजी थी और आज भी गूंज रही है।

पशुओं के प्रति क्रूरता

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी संस्थाएं आज हर सभ्य देश में बनी हुई हैं जो एक आम नागरिक और एक आम औरत के हितों की रक्षा में सहयोग करती हैं, उनकी सामान्य संरक्षा के लिए कानून बनवाती हैं, उनके प्रति हो रहे अमानुषिक अत्याचारों का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच करती हैं और दोषी पर शिकंजा कसती हैं। इसी प्रकार महिलाओं और बच्चों को पारिवारिक अथवा संस्थागत उत्पीड़न से बचाने के लिए भी कुछ संगठन काम कर रहे हैं। विश्व स्तर पर रैड क्रास और यू. एन. ओ. जैसे संगठन युद्ध भूमि में घायल या गिरफ्तार सैनिकों के हितों की रक्षा के लिए तथा दासता के बन्धन में जकड़े लोगों को मुक्त कराने के लिए काम करते हैं। इसी प्रकार के कुछ एन. जी. ओ. असंगठित मजदूरों के लिए, बंधुआ व बाल मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, छात्राओं के लिए, किसानों के लिए, दैनिक रेल यात्रियों के लिए काम करते हैं। इसी दिशा में मेनका गांधी जैसे व्यक्तित्व निरीह, बेजुबान पशुओं के प्रति हो रही क्रूरता के विरुद्ध एक संगठन बना कर काम कर रहे हैं। इन्हीं से प्रेरणा पाकर नरेश कुमार कादयान ने हरियाणा में 'पीपुल फॉर एनिमल्स' संगठन खड़ा करके पशुओं को क्रूरता से मुक्ति दिलाने का अभियान छेड़ा हुआ है।

पशु चाहे वे दुधारू हों, घरेलू हों अथवा जंगली या हिंसक हों हमारी सृष्टि के अभिन्न अंग हैं और परमात्मा या प्रकृति ने उनका निर्माण भी किसी खास मकसद से किया है जिसे भले ही हम समझ पाये हों या न समझ पाये हों। इस सृष्टि में यदि कोई जीव सबसे अधिक चतुर, शातिर, स्वार्थी, हिंसक और क्रूर है तो वह जीव इंसान ही है जो अपने लिए जानवरों का उपयोग, दुरुपयोग, शोषण सदियों से करता आ रहा है। यदि कोई भेड़िया, तेंदुा, शेर या चीता जंगल से निकल कर किसी बस्ती में घुस कर दुधारू जानवर या बच्चे को उठा ले जाता है या घायल कर जाता है या सिर्फ घुसपैठ ही करके वापस लौट जाता है तो वह टी. वी. चैनलों और अखबारों के लिए बड़ी खबर बन जाती है। लेकिन इंसान यदि अपने व्यावसायिक हितों के लिए जंगल में घुसकर अवैध रूप से वन्य जीवों का शिकार करता है, उनके पंजों, सिरों, चमड़ी, सींगों, दांतों की तस्करी करता है या उनकी पूरी की पूरी नस्ल को नष्ट कर देता है तो वह कोई खास खबर तब तक नहीं बनती जब तक ऐसे करने वाले लोग कानूनी शिकंजे में नहीं जकड़े जाते। कुछ विवेकशील और प्रज्ञावान लोग ही इसका अपवाद हैं, जो यह मानकर कि पशु

भी हमारे मित्र हैं, हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, उन्हें भी जीवित व सुरक्षित रहने का उतना ही हक है जितना कि हमें, उनके व उनके हितों के लिए संघर्ष करते हैं, कानून बनवाते हैं । किसी भी सभ्य और प्रगतिशील राष्ट्र का संविधान अपनी इस पूरी जीव सम्पदा के संरक्षण और संवर्द्धन की गारंटी देता है ।

यह हमारा संवैधानिक, विधिक, नैतिक और आध्यात्मिक दायित्व है कि इंसान के साथ-साथ जो अन्य जीव जन्तु जल, थल, नभ की शोभा बढ़ा रहे हैं उनके संरक्षण एवं संवर्द्धन में कोई व्यवधान उपस्थित न करें, उनके स्वतन्त्र जीवन में कोई हस्तक्षेप न करें, उन्हें अपने किसी स्वार्थ और क्रूरता का शिकार न बनाये । सृष्टि के वे जीव-जन्तु जो किन्हीं भी कारणों से हमारे दैनिक जीवन का अंग बन कर हमें अत्यधिक लाभ पहुँचा रहे हैं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊँट, हाथी, गधा, खच्चर, बैल, याक, रेंडियर आदि बनिस्वत अन्य जानवरों के ये ज्यादा हक रखते हैं कि उनकी सुरक्षा, संरक्षण, संवर्द्धन, नस्ल सुधार पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाये । इस दायित्व को समझने वाले चूंकि बहुत कम हैं अतः वे जाने-अनजाने इन घरेलू व दुधारू पशुओं को अपने उत्पीड़न, शोषण और क्रूरता का शिकार बना लेते हैं । इसलिए उन्हें शिक्षित, सावधान, सचेत व दण्डित करने के लिए कुछ कानून बनाए गये हैं जिससे कि पशुओं को अधिक सुरक्षा प्रदान की जा सके ।

पीपुल फॉर एनिमल्स, हरियाणा की ओर से इस सम्बन्ध में एक पुस्तक **''पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण''** प्रकाशित की गई है जिसमें पशु-क्रूरता निवारण अधिनियम १९६०, पशुओं की नाल ठोकने की अनुज्ञप्ति नियम १९६५, मनोरंजक पशु नियम १९७३, पशु-क्रूरता निवारण (पशु गृह पंजीयन) नियम १९७८, पशु-क्रूरता निवारण (अर्थदंड आरोपण) नियम १९७८, पशुओं के परिवहन नियम १९७८, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (वधशाला) नियम २००१ आदि लगभग तीस-पैंतीस नियम-अधिनियम तथा अन्य सूचनाएँ, संविधान का संकल्प, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध किये गये मुकदमों की जानकारी दी गई है । लगभग तीन सौ पृष्ठों की इस पुस्तक में इतनी दुर्लभ जानकारी दी गई है कि एक सामान्य व्यक्ति की तो बात क्या, एक सुशिक्षित, बुद्धिजीवी भी उनसे अनभिज्ञ हैं । यह पुस्तक बतलाती है कि किस-किस अधिनियम के तहत मदारी से रीछ, सपेरे से सांप, सर्कस वालों से शेर छीन लिये गये हैं । यह पुस्तक बतलाती है कि घायल व अशक्त पशु से काम लेना, पशुओं को रेल-ट्रक-ठेलों में ठूंस-ठूंस कर भरना, गाय-भैंस को आक्सीटोसीन का इंजैक्शन देकर उनका दूध निकालना, औषधी एवं प्रसाधन सामग्री में जानवरों के रक्त या अंगों का इस्तेमाल करना, जंगल में हिरण या मोर आदि का शिकार करना, मनोरंजन के लिए तीतर, मुर्गे, कबूतर, बैल को आपस में लड़वाना किस-किस अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है । नवाब पटौदी और सलमान खान हिरण का शिकार करके इन्हीं कानूनों के अन्तर्गत धर लिये गये थे । पिंजरा पोलों, गोशालाओं, चिड़ियाघरों व डेयरियों में पशुओं को क्या-क्या सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिएँ इसकी व्याख्या भी इन अधिनियमों में की गई है जिनका उल्लंघन होने पर दोषी को सज़ा हो सकती है ।

पशुओं पर होने वाली क्रूरता को यदि पूर्णतया रोका जा सके तो देश के सामाजिक पर्यावरण को शुद्ध करने में महत्त्वपूर्ण सफलता मिलेगी । लेकिन इसमें कई अड़चने हैं जैसे इन अधिनियमों में आर्थिक दण्ड की राशि और जेल यात्रा की अवधि बहुत कम है जिसका निर्णायक प्रभाव इनका उल्लंघन करने वालों पर नहीं पड़ता । दूसरे, जागरुकता की कमी के कारण आम नागरिक को इनकी जानकारी नहीं है । तीसरे, देश में ऐसी संस्थाओं का अभाव है जो क्रूरता पर कड़ी नजर रखते हुए दोषी व्यक्तियों को कोर्ट में घसीट ले जायें । चौथे, जिस देश में 'मक्खी-मच्छर के विरुद्ध सतत अभियान चलाया जाता हो, कन्या भ्रूण हत्या के समय जिनकी आत्मा न कांपती हो, जो सड़क किनारे खड़ी लाखों रुपये की कार पर बिना मतलब खरौंच लगाने की मानसिकता से ग्रसित हों उस देश में गम्भीरता से इन अधिनियमों का पालन करना अथवा उनका जबरन पालन करवाना असाध्य कार्य है । इस देश में सख्त एवं प्रभावी कानूनों की कमी नहीं है लेकिन इसके बावजूद यहाँ आये दिन बड़े-बड़े घोटाले होते हैं, कीमतें बढ़ाने के लिए खाद्यानों का कृत्रिम अभाव पैदा किया जाता है या उनमें भारी मिलावट की जाती है, कोयलों की खदानों के ठेके छुड़वा कर सोना चांदी जमीन से निकाल लिया जाता है, गलत आंकड़े प्रस्तुत करके बिजली पानी की मनमानी दरें बढ़ा दी जाती हैं, विकास के नाम पर जो निर्माण कार्य किया जाता है उसका २० प्रतिशत भाग भ्रष्ट नेताओं व अधिकारियों की जेब में पहुँच जाता है, सन्यासी तक मनीलांड्रिंग के जरिये धन्ना सेठों के काले धन को सफेद बनाने में जुटे हुए हैं । कारण, इन कानूनों को क्रियान्वित कराने की इच्छा शक्ति भ्रष्ट नेताों व भ्रष्ट शासन में पैदा नहीं हो सकती, मामूली और झूठे मामलों को निपटाने में जो अदालतें आठ-आठ साल ले लेती हों और जिनके ऊपर एक करोड़ से अधिक मामले अनिर्णीत पड़े होने का बोझ हो वे अदालतें इन क्रूरता विरोधी अधिनियमों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करा सकतीं, दवाव में रहने वाली जांच एजेंसियाँ भी दोषियों पर शिकंजा कसने में निष्क्रिय रहती हैं । जब समूची व्यवस्था ही भ्रष्ट हो, निष्प्रभावी हो, दिशाहीन हो, पारदर्शी, निष्पक्ष व सक्रिय न हो तो कानून कितने भी कठोर क्यों न हो आपराधिक मानसिकता व गतिविधियों पर उनका कोई असर नहीं पड़ता । यही कारण है कि जिन प्रान्तों में गोहत्या कानूनन बन्द है उन प्रान्तों में भी धड़ल्ले से गोहत्या हो रही है और सरकार, पुलिस व प्रशासन हाथ बांधे खड़े दिखाई देते हैं । क्रूरता निवारण तब इस देश में कैसे सम्भव होगा ? जब इस दिशा में ही हम पराजित मानसिकता के शिकार हैं तो एक मांसाहरी से कैसे अपेक्षा रखी जा सकती है कि मांसाहार के दोषों से भिज्ञ या भयभीत होकर वह मांस खाना अथवा जीव हत्या करना छोड़ देगा ? जब सरकार और प्रशासन का अर्थशास्त्र ही शराब और मांस पर आश्रित व केन्द्रित हो तो इनके विरुद्ध कोई जन-जागरण आन्दोलन कैसे सफल हो सकता है ? भ्रष्ट सरकार व प्रशासन के हाथ और पंजे कितने लम्बे और पैने होते हैं यह हम अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन के सन्दर्भ में देख चुके हैं । यदि सरकार की मंशा ठीक होती तो आजाद भारत में बूचड़खानों की संख्या चार हजार से बढ़कर दो लाख तक न पहुँचती और गोरक्षा की माँग करने वाले साधुओं पर संसद के सामने गोलियाँ न दागी जातीं ।

हिन्दी दिवस के अवसर पर

–आर्यसमाज, देहरादून में 11 सितम्बर, 1994 को दिया गया प्रवचन–

'हिन्दी नहीं रहेगी तो देश टूट जायेगा : प्रा. अनूप सिंह'

–मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून।

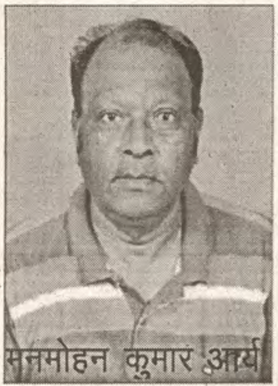

14 सितम्वर, 2016 को हिन्दी दिवस है। इस अवसर पर हम आर्य विद्वान प्रा. अनूप सिंह जी (1944–2001) का हिन्दी के महत्व और आर्यसमाज के हिन्दी के प्रचार प्रसार में योगदान पर एक पुराने व्याख्यान को प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रा. अनूप सिंह आर्यसमाज में हमारे प्रवेश में हमारे एक प्रमुख प्रेरणास्रोत थे व जीवनभर हमारे गुरु, मित्र, प्रेरक व सहयोगी रहे। श्री अनूप सिंह जी के इस व्याख्यान को हमने ही नोट कर पत्र–पत्रिकाओं में प्रसारित किया था। श्री अनूप सिंह जी का व्याख्यान प्रस्तुत है।

आर्यसमाज, धामावाला, देहरादून में 11 सितम्बर, 1994 को आयोजित हिन्दी दिवस के अवसर पर मुख्य प्रवचन करते हुए देहरादून के प्रसिद्ध आर्य विद्वान प्रा. अनूप सिंह ने कहा कि यदि देश में हिन्दी भाषा नहीं रहेगी तो देश टूट जायेगा। कुम्भ का मेला उजड़ जायेगा, उन्नति अवरुद्ध हो जायेगी और सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न होगी। भारत भूमि का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि एक बार स्वर्ग के देवताओं से पूछा गया कि उनकी यदि कोई इच्छा हो तो बतायें। उन सभी देवताओं ने भारत भूमि में जन्म लेने की इच्छा व्यक्त की। श्री अनूप सिंह जी ने कहा कि यह बात युगों पुरानी है जब भारत में वैदिक राज्य था और बड़ी संख्या में ऋषि–मुनि व आर्य राजा देश के अधिपति होते थे। देश वेदों की शिक्षाओं के आधार पर चलता था। उन्होंने कहा कि आज के भारत में कोई देवता जन्म लेना नहीं चाहेगा। उनके अनुसार जिस समय देवताओं ने भारत में जन्म लेने की इच्छा व्यक्त की थी तब का भारत अन्धविश्वासों से पूरी तरह मुक्त था और भारत की एक मात्र भाषा "संस्कृत" थी जिसका प्रयोग बोलचाल सहित साहित्य लेखन आदि में भी होता था। संस्कृत से इतर अन्य किसी भाषा का उन दिनों भारत में प्रचलन नहीं था।

विद्वान वक्ता अनूप सिंह जी ने मनुस्मृति के श्लोक "एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्म। स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः।।" को प्रस्तुत किया और कहा कि तब विश्व के सभी विशिष्ट लोग हमारे ही देश आर्यावर्त–भारत में शिक्षा प्राप्त करने आते थे। तब यह भारत भूमि सुवर्ण भूमि के सदृश्य थी। संस्कृत भाषा के पराभव के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि अब हम गूंगे हो गये हैं, हमारी जुबान काट दी गई है।

विद्वान वक्ता श्री अनूप सिंह जी ने कहा कि 15 अगस्त, 1947 को आजादी के तुरन्त बाद गांधी जी का बी.बी.सी. से एक सन्देश प्रसारित किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि संसार के लोगों से कह दो कि गांधी अब अंग्रेजी नहीं जानता। अनूप सिंह जी ने कहा कि इस संदेश के पीछे गांधी जी की भावना यह थी कि अंग्रेजी ने देश का सर्वनाश किया है। आगे उन्होंने कहा कि गांधी जी ने यह स्वीकार किया है कि स्वतंत्रता आंदोलन ने जनांदोलन का रूप तब प्राप्त किया जब हिन्दी उसका माध्यम बनी।

आर्यसमाज और इसके संस्थापक महर्षि दयानन्द की चर्चा करते हुए अनूप सिंह जी ने कहा कि उनकी मातृभाषा गुजराती थी और वह संस्कृत उद्भट वक्ता व व्याख्याता थे तथापि उन्होंने अपने सभी ग्रन्थ हिंदी में लिखे। उनका सारा पत्रव्यवहार भी हिंदी में ही है जो आज भी किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखे गये पत्रों की तुलना में सर्वाधिक है। स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने गूढ़ धार्मिक सिद्धान्तों को सर्वप्रथम देवनागरी लिपि में हिंदी में प्रस्तुत किया। उनसे पूर्व हिंदी के विद्वान धार्मिक मान्यताओं में सर्वथा अपरिचित एवं अनभिज्ञ थे। मुसलमानों की धर्म पुस्तक कुरान का सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद भी महर्षि दयानन्द ने ही कराया जो परोपकारिणी सभा अजमेर के संग्रहालय में उपलब्ध है। अंग्रेज सरकार द्वारा राजभाषा की संस्तुति के लिए गठित हण्टर कमीशन का उल्लेख कर विद्वान वक्ता श्री अनूप सिंह ने बताया कि हिन्दी को भारत की राजभाषा बनाने के लिए महर्षि दयानन्द ने देश भर में प्रभावशाली हस्ताक्षर अभियान चलाया था जिसे मेमोरेण्डम के साथ प्रस्तुत कर आर्यभाषा हिन्दी को राजभाषा बनाने की मांग की गई थी। पराधीनता के काल में हिन्दी को राजभाषा बनाये जाने

के समर्थन में यह प्रथम व्यापक ऐतिहासिक जनान्दोलन था। श्री अनूप सिह जी ने कहा कि आर्यसमाजी विद्वानों एवं आर्यसमाज की शिक्षण संस्थाओं ने भी हिंदी के प्रचार–प्रसार में सर्वोपरि योगदान किया है।

श्री अनूप सिंह जी ने जलियांवाला बाग काण्ड के पश्चात कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की चर्चा कर बताया कि आर्यसमाज के प्रमुख नेता और अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष स्वामी श्रद्धानन्द ने कांग्रेस के मंच से पहली बार हिंदी में भाषण कर कांग्रेस के लिए इतिहास में नया अध्याय जोड़ा था।

आर्य विद्वान् श्री अनूप सिंह ने आगे कहा कि संविधान सभा ने 14 सितम्बर 1949 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया था। उन्होंने रोमन अंकों को प्रयोग किये जाने संबंधी संविधान सभा के निर्णय को कलंक की संज्ञा दी। प्रसिद्ध आर्य विद्वान ने इस संबंध में अंग्रेजी मानसिकता के विद्वानों द्वारा प्रचारित षडयंत्र का भी उल्लेख किया जिसके अनुसार संविधान सभा में हिंदी राजभाषा का एक मत से (सर्वसम्मति से नहीं अपितु केवल एक मत के बहुमत से) स्वीकार किया जाना है। अनपूप सिंह जी ने कहा कि संविधान सभा का निर्णय सर्वसम्मत था, एकमत (यूनैनिमस) था एक–मत के बहुमत से नहीं था।

विद्वान वक्ता अनूपसिंह ने कहा कि गांधी जी सर्वमान्य नेता तभी बने जब उन्होंने हिंदी को अपनाया। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष वीर सावरकर ने बादशाह राम और बेगम सीता वाले रुप का विरोध कर कहा था कि हिंदी का स्वरुप सत्यार्थप्रकाश में लिखी हिंदी के अनुरुप होना चाहिये।

श्री अनूप सिंह जी ने आगे कहा कि लार्ड टी.वी. मैकाले ने 7 मार्च सन् 1835 को अंग्रेजी को अध्ययन का माध्यम बनाया था और अपने पिता को एक पत्र में लिखा था कि उसका विश्वास है कि आने वाले 30 वर्षों में सभी पठित भारतीय व्यक्ति रंग–रुप एवं खून से तो हिंदू होगा लेकिन मानसिकता एवं विचारों की दृष्टि से ईसाई और अंग्रेजी–प्रेमी होगा। (यह स्थिति कुछ सीमा तक सही सिद्ध हुई है। आज अंग्रेजी का बोलबाला है। हिन्दी में अंग्रेजी के शब्दों को मिलाकर बोला जाता है।) मधुवर्षी वक्ता ने कहा कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के पीछे का रहस्य मैकाले के ही शब्दों में स्पष्ट है। वह भारत को गुलाम बनाये रखना और हिन्दुओं का भाषान्तरण करना चाहते थे जो धर्मान्तरण व संस्कृति व सभ्यता के परिवर्तन का ही एक प्रकार से पूरक होता है।

विद्वान वक्ता के अनुसार नशीले पदार्थ व ड्रग्स आदि का सेवन करने वाले नब्बे प्रतिशत सब लोग अंग्रेजी भाषा से प्रभावित लोग होते हैं। उन्होंने कहा कि इस देश की संस्कृति एवं सभ्यता में ढला व्यक्ति नशीले पदार्थों के सेवन को बुरा मानता है। आगे उन्होंने कहा कि संस्कृत एवं हिन्दी पढ़े लोग आत्महत्या नहीं करते जबकि अधिकांश आत्म हत्यायें अंग्रेजी पढ़े–लिखे लोग करते हैं।

आर्य विद्वान अनूप सिंह जी ने कहा कि अंग्रेजी भाषा ने देश का सर्वनाश किया है और हमारी चिंतन शैली को कुप्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी के प्रभाव में आकर लिखा था कि आर्य भारत में बाहर से आये थे जबकि संस्कृत भाषा के इतिहास के प्राचीन ग्रंथों का गहन अध्ययन कर स्वामी दयानन्द ने आर्यों को भारत का मूल निवासी सिद्ध किया है। अनूप सिंह जी ने कहा कि स्वामी दयानंद बुराईयों से इस लिए बचे रहे क्योंकि वह अंग्रेजी से दूर थे।

भारत के राजनैतिक नेताओं के "हिंदी थोपी नहीं जायेगी" विषयक बयानों का उल्लेख कर श्री अनूप सिंह जी ने कहा कि इन बयानों से ही हिंदी पदच्युत हुई है। इस्राइल के प्रधानमंत्री मोसे दयान की पत्नी द्वारा हिब्रू भाषा पर पत्रकारों द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में कहे गये शब्दों को वक्ता ने प्रस्तुत कर कहा कि कोई भी भाषा मृत नहीं होती अपितु उसके पढ़ने और पढ़ाने में आनाकानी करने वाले व्यक्ति मृत हुआ करते हैं। अंग्रेजी के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले तर्कों का प्रतिवाद कर विद्वान वक्ता श्री अनूप सिंह ने कहा कि रुस, जापान, चीन आदि देशों में अंग्रेजी न होने पर भी यह विज्ञान एवं तकनीकी सहित सभी क्षेत्रों में उन्नत हैं। अपने विस्तृत वक्तव्य में श्री अनूप सिंह ने हिन्दी के अन्य अनेक पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन मनमोहन आर्य ने किया। कक्षा 10 की छात्रा कु. प्रीति ने आज के साप्ताहिक सत्संग में स्वलिखित तीन कविताओं का पाठ प्रस्तुत किया। गाजियाबाद से पधारे आर्य प्रचारक श्री इन्द्र सेन विश्वप्रेमी ने भी अपने विचार प्रस्तुत किये। आर्य भजनोपदेशक पं. सुगनचन्द व ढोलक वादक दीपक द्वारा प्रस्तुत भजन व संगीत ने लोगों को भक्तिरस से भर दिया। पं. शान्तिस्वरूप जी ने सामूहिक प्रार्थना कराई। प्रशासक श्री राजेन्द्र काम्बोज के नेतृत्व में प्रातः 7–30 बजे से सन्ध्या व यज्ञ से आज का सत्संग आरम्भ हुआ जो सोत्साह सम्पन्न हुआ।

श्री राजेन्द्रनाथ पाण्डेय जी ने लेख पर अपनी टिप्पणी में कहा है कि यह लेख आज भी प्रासंगिक है। अन्य लगभग 46 व्यक्तियों ने भी इस लेख को पसन्द किया है। हम आशा करते हैं कि हिन्दी दिवस की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत यह लेख पाठकों को पसन्द आयेगा।

మంగళ్‌పాండే

- ఎం.వి.ఆర్.శాస్త్రి

1857 మార్చి 29, ఆదివారం.

సాయంత్రం కావస్తోంది. కలకత్తా సమీపంలోని బారక్‌పూర్ కంటోన్మెంటు అన్ని ఆదివారాల లాగే బద్ధకంగా ఒళ్లు విరుచు కుంటోంది. తెల్లతోలు ఆఫీసర్లు బంగళాల్లో మధ్యాహ్నం నిద్ర ముగించి ఇక లేద్దామా, ఇంకో కునుకు తీద్దామా అని ఆలోచిస్తున్నారు. టీ తాగి తయారై ఫామిలీతో బయటికి వెళ్లటానికి ఇంకా టైముంది. అంత సీను లేని సిపాయిలు లైన్స్‌లో తచ్చాడుతూ, కనిపించిన వారితో కబుర్లాడుతున్నారు. ఎండలు ఇంకా ముదరలేదు. వాతావరణం హాయిగా ఉంది.

ఆ హాయి ఎంతోసేపు నిలవదనీ, మరికాసేపట్లో అనూహ్య ఘటనలతో ఆరోజూ, ఆ చోటూ చరిత్రలో చిరస్థాయి కానున్నాయనీ ఎవరికీ తెలియదు.

ఎవరి ధ్యాసలో వారుండగా హఠాత్తుగా కేకలు వినిపించాయి. 34వ **N.I.** *(Native Infantry* - దేశీయ పదాతి దళం)లో 5వ కంపెనీకి చెందిన 26 ఏళ్ల సిపాయి మంగళ్‌పాండే బిగ్గరగా అరుస్తూ క్వార్టర్ గార్డ్ వైపు దూసుకెళ్లాడు. అతను రెజిమెంట్ జాకెట్ వేసుకున్నాడు. దానికింద సిపాయిలు విధిగా వేసుకోవలసిన పంట్లాము లేదు. మామూలు ధోవతి ఉంది. ఒక చేతిలో తూటాలు లోడ్ చేసిన మస్కెట్, ఇంకో చేత తల్వార్. మనిషి మహా ఆవేశంగా ఉన్నాడు. కదిలే అగ్ని పర్వతంలా భగ్గు భగ్గుమంటున్నాడు.

చరచరా క్వార్టర్ గార్డు దగ్గరికి వెళ్లి అక్కడి వాడిని బూరా ఊది అందరినీ పిలవమన్నాడు. దూరాన నిద్రపోతున్న వాళ్లు సైతం ఉలిక్కిపడేలా కానవచ్చినవారి మీదల్లా రంకె లేయసాగాడు.

शहीद मंगल पांडे

"ఓరేయ్ ! రండిరా ! అంతా బయటికి రండి. మన మతంకోసంరా ! మన ధర్మంకోసంరా ! చండాలపు తూటాలను కొరికితే మనమూ భ్రష్టులమవుతామురా. ఈ తెల్లోళ్ల భరతం పడదాం. ఇంకా రారేమిరా ? మీ.. ..." అని బూతులు తిడుతూ ఆవేశంతో ఊగిపోసాగాడు. పాండే కేకలకు పరిసరాలు మారుమోగాయి. అంతా నివ్వెరపోయారు. ఏమి జరిగిందో, ఏమి జరగనుందో ఎవరికీ తెలియదు. అంతటా ఉద్రిక్తత.

గార్డు దగ్గర చేరి 5వ కంపెనీ సిపాయి పెద్ద గొడవ చేస్తున్నాడు. తెల్లవాడు కనిపిస్తే కాల్చేస్తానంటున్నాడు. వాలకం చూస్తుంటే భంగు తాగినట్టు ఉన్నాడు - అని అక్కడ ఉన్న నాయక్ ఒకడు సార్జంట్ మేజర్ జేమ్స్ హ్యూసన్‌కు పరుగున వెళ్లి చెప్పాడు. హ్యూసన్ చప్పున డ్రస్ చేసుకుని పెరేడ్ గ్రవుండ్‌కి పరుగెత్తాడు. పాండే ఇంకా రగిలిపోతూనే ఉన్నాడు. వాణ్ణి పట్టుకోకుండా అలా చూస్తావేమిరా అని జెమాదారు ఈశ్వరీపాండేని గద్దించాడు సార్జంటు మేజరు. 'నాయక్ లేదు. హవల్దార్ లేదు. నేనొక్కణ్ణే ఏమి చేయగలను' అన్నాడు జెమాదారు. 'నీ బొంద. ముందు గార్డుల్ని పిలు. ఆయుధాలు లోడ్ చేయించు' అంటూనే మంగళ్‌పాండే వైపు నడిచాడు హ్యూసన్. అతడు రావటం చూసి పాండే తుపాకి గురిపెట్టి కాల్చాడు. హ్యూసన్ చటుక్కున ఆయుధాగారం చాటుకి తప్పుకోవటంతో తూటా తగల లేదు. సరిగ్గా అప్పుడే లెఫ్టినెంట్ బాఘ్ అనే అడ్జటంటు గుర్రమెక్కి స్వారీ చేస్తూ "ఎక్కడ వాడు? ఎక్కడ?" అని అరుస్తూ క్వార్టర్ గార్డు వైపు వచ్చాడు. "మీకు ఎడమవైపు ఉన్నాడు సర్ ! ఫైర్ చేయగలడు జాగ్రత్త" అని సార్జంట్ మేజర్ హెచ్చరిస్తూండగానే పాండే అంత పనీ చేశాడు. అతడి తుపాకి గుండుకు బాఘ్ గుర్రం నేల కూలింది. కిందపడ్డ అడ్జటంటు చెంగున లేచి, జీనుకు తగిలించిన తుపాకి లాగి పాండేను కాల్చాడు. కాని గురి తప్పింది. బాఘ్ కత్తిదూసి సిపాయిపైకి లంఘించాడు. సార్జంట్ మేజర్ హ్యూసన్ కూడా కత్తిపట్టి అతడిని అను సరించాడు. పాండే తల్వార్‌తో ఇద్దరిపైనా తలపడ్డాడు. అతడి వేటుకు అడ్జటంటు బాఘ్ ఎడమ చెయ్యికి గట్టి దెబ్బ తగిలింది. మెడ మీదా గాయమైంది. మస్కెట్ మడమతో కొడితే

తల చిట్లింది. ఇంకాసేపుంటే మంగళ్‌పా?ండే ఒంటిచేత్తో ఇద్దరు దొరలనూ పైలోకానికి పంపేవాడే. అంతలో షేక్ పుల్తూ అనే ముస్లిం సిపాయి మంగళ్‌పాండే నడుమును గట్టిగా వాటేసుకున్నాడు.

జరుగుతున్నదంతా గార్డులు చూస్తూనే ఉన్నారు. కాల్పుల శబ్దం విని మరికొందరు సిపాయిలూ బిలబిల అక్కడ మూగారు. రెచ్చిపోయిన సిపాయి తమ అడ్జటంటునూ, తమ సార్జంట్ మేజరునూ చంపాలని చూస్తున్నా ఎవరూ అడ్డుకోలేదు. బాగా అయిందన్నట్టు చూస్తూ ఊరుకున్నారు. మంగళ్‌పాండేను పట్టుకున్న షేక్ పుల్తూ తనకు సాయం రమ్మని మిగతా సిపాయిలను మొత్తుకున్నాడు. జెమాదారు ఈశ్వరీపాండే సైగ చేయగా గార్డులు కదిలారు. పుల్తూకూ ఆఫీసర్లకూ మద్దతుగా కాదు ! పాండేను పట్టుకునే ప్రయత్నమేదీ చేయకపోగా వారు బోర్లా పడి ఉన్న ఇద్దరు ఆఫీసర్లనూ మస్కెట్ మడమలతో కసితీరా కొట్టారు. పాండేను వదలకపోతే కాల్చేస్తాం అని పుల్తూనూ బెదిరించారు. ఐనా అతడు పట్టువీడలేదు. జాఫ్, హ్యూసన్లు అతికష్టం మీద ఎలాగో తప్పించుకుపోయే దాకా అతను పాండేతో పెనుగులాడుతూనే ఉన్నాడు. కాసేపటికి అతడి పట్టునుంచి విడిపించుకుని మంగళ్‌పాండే పుల్తూను కూడా గాయపరచాడు.

అదే సమయానికి 34వ పటాలం కమాండింగ్ ఆఫీసరు స్టీవెన్ వీలర్ రంగ ప్రవేశం చేశాడు. 'చూస్తావేమిరా, సిపాయిగాడ్ని పట్టుకో' అని జెమాదారును గద్దించాడు. 'నేను చెప్పినా గార్డులు కదలరు' అన్నాడతడు. వీలర్ రెండుసార్లు రెట్టించేసరికి సిపాయిలు నాలుగడుగులయితే ముందుకు వేశారు. కాని ఇక కదిలేది లేదని మొరాయించారు. అసలే వీలర్ అంటే వారికి మంట. ఎప్పుడూ హిందూ, ఇస్లాం మతాల్ని దూషిస్తూ, వేరే దేవుళ్లని తిట్టిపోస్తూ, క్రైస్తవ మతం పుచ్చుకొమ్మని పొద్దస్తమానం వేపుకు తింటాడని కోపం. అలాంటివాడు చెబితే వాళ్లు వింటారా?

పరిస్థితి గమనించి మాట దక్కేట్టు లేదని వీలర్ వెనక్కి తగ్గాడు. ఈలోపు పెరేడ్ గ్రవుండులో గొడవ మేజర్ జనరల్ జాయిస్ హియర్‌సీ దాకా వెళ్లింది. సిపాయి తిరగబడటమేమిటి, ఆఫీసర్లు ఆర్డర్లిచ్చినా గార్డులు లక్ష్యపెట్టకపోవటమేమిటి అని పెద్దాయన విస్తుపోయాడు. వెంటనే గుర్రమెక్కి గ్యాలప్‌చేసి గ్రవుండుకు పోతే కనిపించిన దృశ్యానికి అతడి మతిపోయింది.

సుదీర్ఘమైన తన సర్వీసులో కనీవినీ ఎరుగని సన్నివేశమది. సిపాయి మంగళ్‌పాండే చేతిలోమస్కెట్ పట్టుకుని క్వార్టర్ గార్డు ముందు చరచరా పచార్లుచేస్తూ తనలాగే తిరగబడం డంటూ మిగతా సిపాయిల్ని కేకలేస్తున్నాడు. చుట్టూ ఉన్నవారికీ అతడిమీద సానుభూతి ఉంది. తెల్లవాళ్లంటే కసే ఉంది. ఐనా - తెగబడి అతడిలా తిరగబడటానికి ధైర్యం చాలక తటపటాయిస్తున్నారు. ఇద్దరు యూరోపియన్ ఆఫీసర్లు కత్తివేట్లు పడి, సిపాయిల చేతుల్లో దెబ్బలు తిని, చావుతప్పి కన్ను లొట్టబోయినట్టు బయటపడి బితుకు బితుకుమంటున్నారు. మిగతా తెల్ల ఆఫీసర్లకూ దిక్కు తోచకుండా ఉంది. మొత్తంమీద పరిస్థితి మహా ఉద్రిక్తంగా ఉంది. క్రమశిక్షణ మంట గలిసింది. ఎవరు చెప్పినా సిపాయిలు మాట వినేట్టు లేరు. అప్పుడు ఏమి చేయాలి. అలజడిని ఎలా అదుపు చేయాలన్నది కమాండరు సత్తాకు పరీక్ష. బారక్‌పూర్ బ్రిగేడ్ అనేది ఉంటుందా, ఆ క్షణానే సామూహికంగా తిరుగుబాటు చేస్తుందా అన్నది అటో ఇటో తేలిపోయే క్షణమది.

మేజర్ జనరల్ హియర్సీ గట్టి పిండం. ఇలాంటి సవాళ్లకు బెదిరే రకం కాదు. క్వార్టర్ గార్డు దగ్గరికి గుర్రం మీద దూసుకువెళ్లి జెమాదారుకు పిస్టల్ గురిపెట్టాడు. "నేను 'మార్చ్' అనగానే కదలనివాడు నా చేతిలో చచ్చాడే" అని బెదిరించి "క్విక్‌మార్చ్" ఆర్డరిచ్చి తాను ముందు దారి తీశాడు. సిపాయిలు ఒకరి మొగాలు ఒకరు చూసుకుని, పెద్దదొర ఉగ్రరూపానికి భయపడి ఇష్టంలేకున్నా ముందుకు కదిలారు. హియర్సీ వెంట వచ్చిన ఇద్దరు కొడుకులూ పిస్టల్స్ గురిపెట్టి తండ్రికి కాపుకాశారు. అంతా కలిసి మంగళ్‌పాండేను చుట్టుముట్టారు. తరవాత ఏమైందో హియర్సీ మాటల్లో....

"తిరగబడ్డవాడు హఠాత్తుగా మనసు మార్చుకున్నటుంది. తప్పించుకోవడానికి దారిలేదని అతనికి అర్థమైందనుకుంటా. తుపాకి నిలబెట్టి మజిల్‌ని తన ఛాతివైపు తిప్పి, కాలి బొటనవేలుతో కంగారుగా ట్రిగ్గర్ నొక్కి తనను తానే కాల్చుకున్నాడు. మజిల్ కదిలిందేమో, బులెట్ మరీ లోతుకు దిగలేదు. ఛాతీ, భుజాల కండరాలు చీలి రక్తం చిమ్మింది. వాడు బోర్లాపడ్డాడు. మేమంతా వాణ్ని కమ్మేశాం. 'కాల్చుకున్నాడు' అని గార్డులు కేకలేశారు. సిక్కు సిపాయి ఒకడు వాణ్ని ఒత్తిగిలజేసి, నెత్తురంటిన తల్వారును ఇవతలికి లాగాడు. తుపాకి పేలుడుకు సిపాయి రెజిమెంటల్ జాకెట్టు కాలి పొగ రాసాగింది. జెమాదారుకు చెప్పి నేను మంట ఆర్పించాను. డాక్టర్ హచ్చిన్సన్ అక్కడే ఉన్నాడు. పరీక్ష చేసి, గాయం గట్టిదైనా దెబ్బ పెద్దది కాదని చెప్పాడు. అక్కడినుంచి వాణ్ని ఆస్పత్రికి పంపినిచాం."

గడ్డు సమయంలో కంపెనీకి విధేయుడై తిరుగుబాటును ఎదిరించిన షేక్ పుల్తూ సేవకు మెచ్చి, మేజర్ జనరల్ హియర్సీ అక్కడికక్కడే అతణ్ని హవల్దారుగా ప్రమోట్ చేశాడు. ఆస్పత్రి పాలైన మంగళ్‌పాండేకు గాయాలు మానకుడానే వారం తిరక్కుండా కోర్ట్ మార్షల్ విచారణ జరిగింది. అప్పటికి అతని ఆరోగ్యం కోలుకో లేదు. గాయం మానకపోగా విషమించింది. రోగి రోజురోజుకీ బలహీనమవుతున్నాడు. కదిలించొద్దు అని ఆస్పత్రి అసిస్టెంట్ సర్జన్ టి.బి. రీస్ వారించాడు. అయినా - అతడి ఆరోగ్యం భేషుగ్గా ఉన్నట్టు ఇంకో యూరోపియన్ అసిస్టెంటు సర్జను చేత సర్టిఫికెటు ఇప్పించి, చాలా నీరసంగా ఉన్న మంగళ్‌పాండేను విచారణకు లాక్కెళ్లారు.

1857 ఏప్రిల్ 6న 34వ రెజిమెంటు మెస్‌హౌస్‌లో సుబాదార్ మేజర్ జవాహిర్‌లాల్ తివారీ అగ్రాసనాధిపత్యంలో 14 మంది నేటివ్ సుబాదార్లు సభ్యులుగా మార్షల్ కోర్టు కొలువు తీరినది. 34వ రెజిమెంటు 5వ కంపెనీలో 1446 నెంబరు సిపాయి మంగళ్‌పాండేకు రెండు అభియోగాలు వినిపించి, నేరం ఒప్పుకుంటావా అని అడిగారు.

1857 మార్చి 29న బారక్‌పూర్‌లో క్వార్టర్‌గార్డు ముందటి పెరేడ్ గ్రవుండుకు కత్తి, మస్కెట్‌తో వెళ్లి మిగతా రెజిమెంటు వారిని తిరుగుబాటుకు రెచ్చగొట్టాడన్నది మొదటి అభియోగం. ఆ సమయంలో తన పై అధికారులైన సార్జంట్ మేజర్, అడ్జటంట్‌లపై

కత్తితో, మాస్కెట్‌తో దాడిచేసి గాయపరచా దన్నది రెండో అభియోగం.

రెండిటిలోనూ నేరం ఒప్పుకునేది లేదని మంగళ్‌పాండే తిరస్కరించాడు. అతని సంకెళ్లు విప్పి విచారణ ప్రారంభించారు. కర్నల్ వీలర్, సార్జంట్ మేజర్ హ్యూసన్, లెఫ్టినెంట్ బాఘ్‌లు, ప్రమోషన్ కొట్టేసిన షేక్ పుల్టూ షరా మామూలుగా సాక్ష్యం ఇచ్చిన తరువాత డోలుకొట్టే జాన్ లెవిస్‌ను పిలిచారు. చప్పుడు జేసి అందర్నీ పిలవమంటే తాను కుదరద న్నాననీ, సిపాయిలు వచ్చాక "మన మతంకోసం కదా, మీరంతా రారేం?" అని మంగళ్‌పాండే గద్దించాడనీ అతడి సాక్ష్యం. పాండేకు భంగు అలవాటే. ఆ క్షణాన మత్తులో ఉన్నదీ లేనిదీ తెలియదన్న షేక్ పల్టూ మాటను అతడూ బలపరచడంతో ప్రాసిక్యూషన్ ముగిసింది. మంగళ్‌పాండే ఏ సాక్షినీ క్రాస్ ఎగ్జామిన్ చెయ్యటానికి నిరాకరించాడు. నీకు డిఫెన్సుగా ఎవరైనా సాక్షుల్ని తెస్తావా, ఏమైనా చెప్పుకుంటావా అని అడిగితే మంగళ్‌పాండే ఒకటే అన్నాడు :

"I did not know who I wounded and who I did not; what more shall I say ? I have nothing more to say. I have no evidence."

(నేను ఎవర్ని గాయపరిచానో, ఎవర్ని గాయపరచలేదో నాకు తెలియదు. ఇంతకంటే ఏమి చెబుతాను ? చెప్పటానికి ఇంకేమీ లేదు. నా దగ్గర సాక్ష్యం ఏదీ లేదు.)

తరవాత కోర్టువారు కెప్టెన్ డ్రూరీని అడిగారు.

ప్రశ్న: మామూలుగా ఖైదీ నడవడి ఎలాంటిది?

జవాబు : మంచివాడే.

ప్రశ్న : అతని వయసెంత? సర్వీసు ఎంత కాలం?

జవాబు : అతని వయసు 26 సంవత్సరాల 2 నెలల 9 రోజులు. సర్వీసులో చేరి 7 సంవత్సరాల 2 నెలల 9 రోజులయింది.

అంతటితో కోర్టు మార్షల్ తతంగం పూర్తయింది. కోర్టువారు మంగళ్‌పాండేను దోషిగా నిర్ధారించి, ఉరిశిక్ష విధించారు.

శిక్ష వేయటమేమిటి, అమలు జరపట మేమిటి చకచకా జరిగింది. ఆలస్యం చేస్తే మళ్లీ తల్వార్ దూసి తమ తలలు ఎక్కడ ఎగరవేస్తాడోనని భయపడ్డారు కాబోలు. గాయం మానలేదని, చాలా బలహీనంగా ఉన్నాడని అయినా చూడకుండా ఆ రాత్రికి రాత్రే ఉరితీతకి ఏర్పాట్లు చేశారు. ఎంత గాలించినా తలారి దొరకపోతే చివరి నిమిషంలో కలకత్తా నుంచి నలుగురు దళిత కులాల నేటివులను పట్టుకొచ్చారు. బారక్‌పూర్ పెరేడ్ గ్రవుండు మధ్యలో ఉరికంబం పాతారు. వేకువజామున తుపాకులు పేల్చగానే సైనిక దళాలు దానికి మూడువైపులా బారులు తీరాయి. నాలుగోవైపు మహారాణి వారి 84వ రెజిమెంటును, రెండు యూరోపియన్ శతఘ్ని దళాలను సర్వసన్నద్ధంగా మోహరించారు. ఖైదీని చేతులు కట్టేసి ఈడ్చుకొచ్చి ఉరికంబం ఎక్కించి మెడకు తాడు తగిలించారు. తిరుగుబాటులో చేయి కలిపిన క్వార్టర్‌గార్డు సిపాయిలనూ పట్టుకొచ్చి శిక్షను కళ్లారా చూసేలా దగ్గర నిలబెట్టారు. నాలుగు రెజిమెంట్లవారూ నివ్వెరపోయి నీళ్లు నిండిన కళ్లతో సహచరుడికి మౌనంగా కడపటి వీడ్కోలు ఇస్తూండగా... తిరగబడిన వాడికి ఏ గతి పడుతుందో బాగా చూడమని జనరల్ హియర్సీ బిగ్గరగా అరుస్తూండగా, ఉరికి సిగ్నల్ ఇచ్చారు. ఖైదీ కాళ్లు ఆనిన దిమ్మెను లాగేశారు. బలిపీఠమెక్కిన మొదటి ధర్మవీరుడి శరీరం గాలిలో వేలాడింది. ఉరి బిగిసింది. మంగళ్ పాండే ప్రాణం ఆకాశానికి ఎగిసింది. *John Kaye* అన్నట్టు తిరుగుబాటులో ***The first blood has been shed.*** (మొదటి నెత్తురు చిమ్మింది.)

"Mangal Pande sepoy of 5th Company, 34th N.I. found guilty by a native General Court Martial of Mutiny.. and sentenced to death to be hung by the neck till dead, was executed this morning to the pressence of the Native Brigade stationed here, and all other troops..."

(34వ పటాలం 5వ కంపెనీ సిపాయి మంగళ్‌పాండే పై తిరుగుబాటు నేరం నిర్ధారించి, మరణించేవరకూ మెడకు ఉరివేయాలని జనరల్ కోర్ట్ మార్షల్ విధించిన శిక్ష ప్రకారం ఇక్కడి నేటి బ్రిగేడు, మిగతా అన్ని ట్రూపుల సమక్షంలో ఈ ఉదయం ఉరి తీశాం) అని 1857 ఏప్రిల్ 8 ఉదయం 6 గంటలకు ప్రెసిడెన్సీ డివిజన్ కమాండరు మేజర్ జనరల్ జె.డి. హియర్సీ కలకత్తాలోని ఈస్టిండియా కంపెనీ గవర్నమెంటు వారి సెక్రటరీకి సగర్వంగా రిపోర్టు పంపాడు.

ఆ రకంగా భారత చరిత్ర రంగస్థలిపై మెరుపులా మెరిసి మాయమయ్యాడు మంగళ్‌పాండే. భంగుభాయీ అని, మత్తులో చెలరేగి తొందరపడి లొల్లిచేసి తిరుగుబాటు ప్లానంతా చెడగొట్టాడని, ఉన్మత్తుడిలా పేట్రేగి ప్రాణం మీదికి తెచ్చుకోవటం మినహా 1857 తిరుగుబాటులో అతని పాత్ర, ప్రమేయం క్రియాశీలంగా ఏమీ లేదనీ, మరొకటనీ మన మేధావులు కొందరు తలా ఒక రాయి అయితే విసిరారు. మహా శక్తిమంతమైన బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య మదగజాన్ని నిర్భయంగా ఎదిరించి, నిబ్బరంగా ఉరికంబమెక్కి ధర్మంకోసం ప్రాణం వదిలిన లక్షలాది స్వాతంత్ర్య యోధులకు ఎనలేని స్ఫూర్తినిచ్చిన అమరవీరుడి గురించి నాటి బ్రిటిష్ సైన్యాధికారులు, యూరోపియన్ చరిత్రకారులు, ప్రత్యక్ష సాక్షులు రికార్డుచేసిన వివరాలకు మించి ఈనాటికీ ఏమీ తెలియదు. మరణించే నాటికి 26 సంవత్సరాల 2 నెలల 9 రోజుల వయసన్నదే తప్ప అతడు ఎక్కడి వాడు, తల్లిదండ్రులెవరు, పెళ్లయిందా, అంతటి ధర్మనిరతి అతడికి ఎలా కలిగింది, ఆత్మ బలి దానానికి అతడిని పురికొల్పిన ప్రభావాలేమిటి అన్నవి నేటికీ సరిగా తెలియవు. పరాధీన స్థితిలో వీలుకాకపోతే మానె కనీసం దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిందనుకున్న తరువాతయినా తలచుకుంటే బ్రిటిష్ కాలపు రికార్డులను శోధించి మంగళ్‌పాండే పూర్తి వివరాలు రాబట్టడం మన ప్రభుత్వాలకూ, పరిశోధకులకూ కష్టం కాదు. మంగళ్‌పాండే మీద ఇటీవల అమీర్‌ఖాన్ తీసిన సినిమాలో చరిత్ర విరుద్ధమైన విషయాలు బోలెడున్నాయని మేధావులైతే చాలా చిరాకు పడ్డారు కాని అసలు చరిత్ర ఏమిటన్నది పరిశోధించి వెలికితీసే ఓపిక ఎవరికీ లేకపోయినిది. ఆ దిశగా కృషిచేయాలన్న ఆలోచనే మన పెద్దల్లో కొరవడింది. స్వతంత్రం వచ్చిన 37 ఏళ్ల తరువాత (1984) మంగళ్‌పాండే స్మారకార్థం ఒక తపాలా బిళ్ల, బారక్‌పూర్‌లో కాబోలు ఈమధ్యే సైనిక స్థావరంలో అతనికో విగ్రహం. అంతటితో మంగళ్‌పాండేకు మంగళం.

అదీ మన జాతీయత.

భగవద్గీతోపన్యాసములు

పండిత గోపదేవ గారి ఉపన్యాసములను లేఖబద్ధం చేసిన
రచయిత : పండిత చెలవాది సోమయ్య

పునర్జన్మ సిద్ధాంతాన్ని అంగీకరిస్తూ వేరే స్వర్గ నరకాలు ఉన్నాయనడం సరికాదు :-

గత రాత్రి నరకలోకాన్ని గూర్చి కొంతవరకు చెప్పుకున్నాం. మనలో చాలమంది నరకలోకం అనేది ఒకటి ఉందని, స్వర్గలోకం యింకొకటి ఉందని నమ్ముతారు. మనుష్యుడు చనిపోయిన తరువాత ఆశరీరంలోని జీవుడు ఆయాలోకాలకు వెళ్ళి పుణ్యపాపాలు స్వర్గ నరకాలలో అనుభవిస్తాడనే భావం మనలో ఉంది. పురాణాలు విన్నవాళ్ళకు ఈ నమ్మకం బాగా బలపడి ఉంటుంది. స్వర్గానికి నరకానికి సంబంధించిన గాథలు చాల వింటాము. వీని విని అవి నిజమేనను కుంటుంటాం. వీటితో పాటుగా పునర్జన్మ సిద్ధాంతాన్ని కూడ అంగీకరిస్తాం. ఒక ప్రక్క జన్మాంతరాల్లు ఉన్నాయని అంగీకరిస్తూ, వేరొక ప్రక్క స్వర్గ, నరకాలను కూడ అంగీకరిస్తే వచ్చే చిక్కేమిటో మనం గమనించడం లేదు. మనం కర్మ సిద్ధాంతాన్ని కూడ అంగీకరిస్తాం. కర్మ సిద్ధాంతం ప్రకారం జీవుడు తాను చేసిన కర్మలకు ఫలితాన్ని అనుభవించడానికి అనేక శరీరాలు ధరిస్తాడు. దీన్నే పునర్జన్మ అంటాం. ఈ పునర్జన్మ కాక వేరే స్వర్గనరకాలు కల్పించుటలో అర్థముండదు. ఎందుచేతనంటే జీవుడు తాను చేసిన పుణ్య పాపాలకు తగిన ఫలం సుఖ దుఃఖ రూపంలో ఆయా జన్మలలో అనుభవిస్తాడు. ఈ పునర్జన్మ సిద్ధాంతమే గీతలో కూడ చెప్పబడింది. (**'అనేక జన్మ సంసిద్ధస్తతో యాతి పరాంగతిమ్' - గీత.6-45)** ఇది తెలిసి కూడ, చనిపోయిన జీవునికి పిండాలు వేస్తుంటాం. యాతనా శరీరం కల్పించి ఆజీవుణ్ణి యమలోకం పంపిస్తాం. చనిపోయిన తరువాత జీవుడు నోరు లేకుండా మనం వేసే పిండాలు ఎలా తింటాడో ఆలోచించం. ఈ విషయాలు రాత్రి కొంతవరకు చెప్పుకున్నాం. ఇవన్నీ వైజ్ఞానికం (Scientific) గా ఆలోచిస్తే తప్పులుగా నాకు కనబడతాయి. మీరు అంగీకరించండి అంగీకరించకపోండి నేను పుస్తకాల్లో ఉన్న విషయాలే మీకు చెబుతున్నాను. విపరీతాలు చెప్పడం లేదు. మీరు బాగా ఆలోచించి ఒక నిర్ణయానికి రండి. నన్ను నమ్మమని నేను బలవంతం చెయ్యడం లేదు.

ఒక విషయం గమనించండి మన మందరం ఒక గవర్నమెంటు పరిపాలనలో ఉన్నాం. మన బంధువు ఒకడు తప్పుచేసి జైల్లో పడ్డాడనుకోండి. గవర్నమెంటు వారు జైల్లో ఉన్న అతనికి సరిగా అన్నం పెట్టడం లేదని చెప్పి మనం వాడికి మంచి భోజనం పెట్టబోతే గవర్నమెంటు ఒప్పుకోదు. ఒక వేళ జైలు వద్ద ఉండే ఉద్యోగస్థులకు ఏలంచం పెట్టో మన పదార్థాలను అతనికి చేరవేయవచ్చు నంటారా? దుష్ట ప్రభుత్వంతో అది చేయవచ్చును. కాని అలా చేయడానికి గవంతుని ప్రభుత్వంలో వీల్లేదు. భగవంతుని రాజ్యంలో కూడ లంచాలు సాగితే మన రాజ్యానికి భగవంతుని రాజ్యానికి తేడా ఏమిటి ? లంచాలు పెట్టి చచ్చిన మన బంధువులకు యమలోకంలో శిక్షలు తగ్గించాలని చూస్తాం ! ఇక్కడెవరికో దాన ధర్మాలు చేస్తే అవి అక్కడ జీవుని చేరతాయని అనుకుంటున్నాం. ఇవన్నీ నా బుద్ధికి, శాస్త్ర దృష్టికి కూడ సత్యమని తోచడం లేదు.

పురోహితునికిచ్చే దానాలు చచ్చిన బంధువుకు చేరవు - ఒక జరిగిన కథ :-

ఒక ఊళ్ళో జరిగిన ఒక సంఘటన మీకు చెబుతాను. ఒకరింట్లో యుక్త వయస్సులోనే ఒక పిల్లవాడు చనిపోయాడు. అతనికి పెండ్లి కూడ అయింది. చనిపోయిన కొడుక్కు దినరాత్రులు పెడదామనుకున్నాడు తండ్రి. అలా చేసినందు వల్ల ఉపయోగం లేదు. అది వేదధర్మ విరుద్ధం. అని కొందరు గ్రామస్థులు వారించి చూశారు. కాని అతను వినలేదు. ఆసంగతి వాళ్ళు నాకు వచ్చి చెప్పారు. మీరైనా చెప్పండి వింటాడేమో అని. నేనన్నాను నేను చెబితే మాత్రం ఏం వింటాడయ్యా, అతడు కొడుకుపోయిన దుఃఖంలో ఉంటాడు, మనం యిప్పుడు ఏం చెప్పినా వినడు, కొడుకు పైన ఉండే ప్రేమ చేత అతను ఏదేదో చెయ్యాలనుకుంటాడు, మనం వారించితే బాగుండదు లెమ్మన్నా. కాని వారు వినలేదు. ఎట్లాగయినా మీరు వచ్చి చెప్పవల సిందేనని పట్టు పట్టారు. సరే నేను వెళ్ళాను తాత ! ఏమిటే నీవు మీ అబ్బాయికి దినం చేద్దామనుకున్నావట అన్నాను. అవునన్నాడు మరి నీకొడుకు నుద్దేశించి యిక్కడ నీవు చేసిన దానాలన్నీ మీ అబ్బాయికి చేరుతాయంటావా? అన్నాను. చేరుతాయని అయ్యోర్లు చెబుతున్నారన్నాడు. అదెట్లా సంభవం ? నీవు బ్రాహ్మణునికి దానం చేసిన చెప్పులు, గొడుగు, ఆవు యివన్నీ యిక్కడే ఉంటాయి కదా అవి చేరుతాయంటావేమిటి అన్నాను. అయినా అవి చేరతాయని చెబుతున్నారు. అందరూ చేస్తున్నారు కదా ! అన్నాడు. ఆయనకు మంచిగా ఇక ఏం చెప్పినా లాభం లేదని నాకనిపించింది. మోటుగా ఒకటి చెబుదామను కున్నాను. తాత ? నీవు యిక్కడ బ్రాహ్మణుని కిచ్చిన దానాలు మీ అబ్బాయికి చేరతాయని నమ్ముతున్నావు కదా అన్నాను. అవునన్నాడు. సరే, నేను ఒక మాట అడుగుతాను సమాధానం చెప్పమన్నాను. ఏమిటి ? అన్నాడు. మీ అబ్బాయికి యమలోక ప్రయాణంలో ఎండకు కాళ్ళు కాలతాయని బ్రాహ్మణునికి చెప్పులిచ్చావు. నెత్తిమాడుతుందని గొడుగిచ్చావు. వైతరణీ నది దాటిస్తుందని గోవునిచ్చావు. రాత్రిళ్ళు పడుకుంటాడని మంచం, పరుపు కూడ యిచ్చావు. బాగానే ఉంది. అయితే ఎప్పుడయినా మీ అబ్బాయికి అక్కడ ఏ వెన్నెల రాత్రిలోనో పడుకున్నప్పుడు ప్రక్కన భార్య ఉంటే బాగుండునని కోరిక కలుగుతుందనుకో ! ఆ కోరిక ఎట్లా తీరు తుంది ? నీ కోడలేమో యిక్కడే ఉంది గదా ? అన్నాను (సభలో నవ్వులు). అయితే ఏమిటి నువ్వనేది ? ఇదంతా వేళాకోళమా అన్నాడు కోపంగా, నేను వేళాకోళమాడటం లేదు తాత నీవు దానం చేసిన గోవును పురోహితుడు డబ్బుకు అమ్ముకునిటాడు. అతడేమీ దానిని

ఉంచుకోడు గదా ? అలాగే నీవు కోడల్ని పురోహితునికి దానంగా చదివించి మళ్ళీ డబ్బిచ్చి తీసికోవచ్చు, మంత్రం చెప్పి నీళ్ళు వదలడమే కదా ! దానం చెయ్యడం తప్పుకాదు కదా ! అందువలన నీ కుమారుని కోర్కె తీరుతుంది. నీ కోడలు నీయింటనే ఉంటుంది కావున నీ కోడలిని బ్రాహ్మణునికి దానం చెయ్యగలవా ? ఎందుకనంటే బ్రాహ్మణునికి దానం చేసిన చెప్పులు, గొడుగు, ఆవు యివన్నీ నీ కొడుకును చేరతాయని నీవే అంటున్నావు కదా ? ప్రాణం కలిగిన ఆవు నీ కొడుకును చేరుతున్నప్పుడు, ప్రాణం కలిగిన నీ కోడలు మాత్రం ఎందుకు చేరదు ? అన్నాను. అప్పుడు ఆయనకు కోపమూ వచ్చింది. కాని ఆలోచన లోనూ పడ్డాడు. కొంచెం సేపు ఆలోచించి అయితే యివన్నీ అబద్ధమేనా అన్నాడు. నేనన్నాను తాత, నీవు యివ్వదలచుకొన్నవి పురోహితుని కివ్వనాకభ్యంతరం లేదు. కాని ఇవి నీ కొడుకును చేరతాయనే ఉద్దేశ్యంతో యివ్వవద్దు. అవి ఎలాగూ నీ కొడుకును చేరవు. ఇచ్చే వాళ్ళేమో వారు చేసే దానాలు చచ్చిన వాడికోసమని యిస్తుంటారు. వాడికి చేరవు. అవి తీసికున్న పురోహితుడికి వంటబట్టవు. అందువల్ల నీవు బ్రాహ్మణునికి దానం చెయ్యదలచుకుంటే, నాయనా యివిగో యివి తీసికొని తిను, అని ధార్మిక బుద్ధితో యివ్వు. అవి వాళ్ళకు ఒంటబడతాయి. కాని నీవు చేసే గోదానాదుల వల్ల రెండు విధాల నష్టముంది. ఒకటి - నీవు యిచ్చే దానాలు నీ కొడుకును చేరవు అది ఒక నష్టం. రెండవది-తీసికున్న వాడు గోవును తాను పెంచడు ఎవరికో అమ్ముతాడు. అది ఏ కటిక వాడి చేతిలోనో పడితే దానినా వాడు చంపుతాడు. అదొక పాపం ఈ రెండు విధాలుగా కూడ నష్టమున్నది అన్నా. అప్పుడాయనకు సంశయం తీరింది. తరువాత ఆయన ఆ విధంగా దినం చెయ్యడం మానుకున్నాడు.

వేదాల్లో తద్దినాలు పెట్టమని ఎక్కడా లేదు. షోడశ కర్మలు చెప్పబడ్డాయి :-

ఇవన్నీ చెప్పి నేను జనుల చేత చచ్చిన వాళ్ళకు దేవసాలు చేయకునిడా చేస్తున్నాని బ్రాహ్మణులకు నా మీద కోపం. వారు నన్ను బ్రాహ్మణ ద్వేషి అంటుంటారు. కాని నాకు బ్రాహ్మణులపై ద్వేషం లేదు. అయితే వారు ఈ విధంగా వేద విరుద్ధ ధర్మాలను సంఘంలో ప్రచారం చేసి, తద్వారా పొట్టపోసికోవడం నాకిష్టం లేదు. వారిని వేదాలను చదవమనండి. వేద ధర్మాలను ప్రచారం చెయ్యమనండి. అందరికీ జ్ఞానం పంచమనండి. అప్పుడు వారికి మనం దానాలు చేద్దాం. అంతేకాని వారు కేవలం అధార్మిక విషయాలు చెప్పి ప్రజలను మోసం చెయ్యడం నాకిష్టం లేదు. మీకిది తెలునో లేదో - అసలు సరియైన బ్రాహ్మణుడు తద్దినం కూడు తినడు ! **'అశ్రాద్ధ భోజీ బ్రాహ్మణః'** - శ్రాద్ధ భోజనం తనవలసిందెవ రంటే, వేదాలు, శాస్త్రాలు చదివిన వారు తినాలి. వేదాలలో ఈ విధంగా చనిపోయిన వాళ్ళకు తద్దినాలు పెట్టమని ఎక్కడా లేదు. అందులో షోడశ సంస్కారాలు మాత్రం చెప్పబడ్డాయి. **'నిషేకాది స్మశానాంతం మంత్రైః యస్యోదితాః క్రియాః'** - అంటే గర్భాదానం మొదలుకొని అంత్యేష్టి - (శవదహన సంస్కారం) వరకు 16 కర్మలు మంత్రాలతో చెయ్యాలి. ఇవి వేదవిహిత కర్మలు గర్భాదానం, పుంసనవమని, సీమంతమని, జాతకర్మ అని యిలా 16 కర్మలున్నాయి. కాని షోడశ సంస్కారాలలో రెండు మాత్రం చేస్తున్నాం. ఒకటి పెండ్లి చేస్తాం ఇంకొకటి మనిషి చస్తే దహనం చేస్తాం. శవాన్ని దహించాలి. పూడ్చరాదు. కాని కొందరు శవాన్ని దహనం కూడ చెయ్యరు పూడ్చిపెడతారు. అలా చెయ్యడం వల్ల శవం క్రుళ్ళి వాసన బయలు దేరుతుంది. సంఘానికి చెరుపు చేస్తుంది. శవాన్ని తగులబెట్టడం వైదిక పద్ధతి. యజుర్వేదం చెబుతుంది. **'భస్మాంత గ్ం శరీరం'** - శరీరాన్ని దహించాలి అంటునిది. దీనినేనృయజ్ఞము లేక నరమేధము అంటారు. శవాలను పూడ్చి పెట్టడం మన సంప్రదాయం కాదు. క్రైస్తవులు, మహమ్మదీయులు శవాలను పూడ్చిపెడతారు. శవాలను పూడ్చిపెట్టడం వల్ల స్మశానాలు ఎక్కువచోటును ఆక్రమించుతాయి. చచ్చిన వాళ్ళకు యిలా చేస్తూపోతే కొన్నాళ్ళకు బ్రతికున్న వారికి ఎక్కువ చోటు దొరకదు (సభలో నవ్వులు) అందుకని శవాన్ని దహనం చెయ్యడం మంచిది. ఇలా చేస్త స్మశానాలను ఎక్కువ చోటు అక్కరలేదు. ఒక్కచోట ఎన్ని శవాలనయినా తగులబెట్టవచ్చు.

శరీరం విడిచిన జీవునికి మనకు బంధుత్వం ఏమీ ఉండదు :-

ఈ శరీరం విడిచి వెళ్ళిన జీవునికి మనకు ఏమీ సంబంధం ఉండదు. అప్పుడతడు కేవలం జీవుడు. అతనికి మనకు బంధుత్వం ఏమీ ఉండదు. తల్లి, తండ్రి, తాత, సోదరి, సోదరుడు, భర్త, భార్య అనే బంధుత్వం జీవుడు శరీరంలో ఉన్నంత వరకే. జీవునికి లింగభేదం లేదు. అదొక సూక్ష్మతత్వం అతడు స్త్రీ కాదు, పురుషుడు కాదు శరీరంలో ప్రవేశిస్తే శరీరంతో స్త్రీ అనో, పురుషుడనో వ్యవహరింపబడతాడు. అతడు జీవకోటికి సంబంధించిన ఏదో ఒక శరీరంలో ప్రవేశిస్తాడు. చనిపోయిన తరువాత జీవుడు భగవంతుని అధీనంలోనే ఉంటాడు. అతడు పూర్వం చేసిన కర్మలకు అనుగుణ్యంగా అతనికి భగవంతుడు మళ్ళీ యింకొక శరీరం యిస్తాడు. ఇదీ, అసలు వేదసిద్ధాంతం. ఇది తెలియక యిందుకు విరుద్ధంగా, చచ్చిపోయిన వాళ్ళకు పితృలోకాల్లో ఉంటారని పిండ ప్రదానాలు చేస్తున్నాం.

తద్దినాలు పెట్టడం ఎంత హాస్యాస్పదమో తెలియడానికొక కథ :-

తద్దినాలు పెట్టడం ఎంత హాస్యాస్పదంగా ఉంటుందో తెలియడానికి మీకొక కథ చెబుతాను. ఋషి పంచమీ వ్రతం అనే కథ ఒకటుంది. ఇది పద్మపురాణంలోను, భవిష్య పురాణంలోనూ ఉంది. విధర్మ దేశం అనే రాజ్యం ఉంది. దానిని స్యేనజిత్తు అనే రాజు పాలించుతుండేవాడు. అతని రాజ్యంలో సుమిత్రుడనే బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడు. అతని భార్య జయశ్రీ. వీరికి సుమతి అనే కొడుకొకడున్నాడు. అతనికి పెండ్లయింది. అతని తల్లి జయశ్రీ ఒకనాడు, బహిష్టు అయి పొరపాటున వంట పాత్ర తాకిందట అదీ తప్పయింది ! అతని తండ్రి సుమిత్రుడు కూడ అక్కడే ఎద్దుగా పుట్టాడట. ఈ కుక్కకు, ఎద్దుకు కూడ పూర్వజన్మస్మృతి ఉండి సుమతిని తమ కొడుకుగా గ్రహించినవట ఒకసారి సుమతి చనిపోయిన తన తల్లిదండ్రులకు శ్రాద్ధం పెట్టాలనుకున్నాడు. బ్రాహ్మణులను పిలిచాడట. శ్రాద్ధం పెట్టడానికి కోడలు ఒక పాత్రలో పాలుపోసి యింట్లో పెట్టిందట. అంతలో ఒక పాము వచ్చి ఆపాలలో విషం క్రక్కిందట. ఆపాలు బ్రాహ్మణులకిస్తే వారు త్రాగి చస్తారు, తన కొడుకుకు అప్రతిష్ఠ కలుగుతుందని చెప్పి పూర్వజన్మ జ్ఞానం కలిగిన ఈ కుక్క (సుమతి తల్లి) వెళ్ళి ఆపాలపాత్ర పడద్రోసిందట. పాలన్నీ క్రింద పోయాయట. ఇది చూచిన కోడలు, శ్రాద్ధానికి తెచ్చిన పాలు వ్యర్థం చేసిందని చెప్పి కోపంతో కర్ర దీసికొని కుక్క నడుం విరుగగొట్టిందట. కుయ్యోమొర్రో అంటూ కుక్క వెళ్ళిందట. కోడలుకు ఈ కుక్క తన అత్త అని తెలిస్తేగా పాపం తెలిసి ఉంటే అలా కొట్టేది

కాదు (సభలో నవ్వులు) సరే రాత్రికి కుక్క ఎద్దు (సుమతి తల్లిదండ్రులు) ఒక చోట చేరినపుడు కుక్కతో ఎద్దు అన్నదట :-

కింకరోమి అశక్తో஽హం భారవాహశ్చ మా గతః
అద్యాహమాత్మనః క్షేత్రే వాహితః సకలం దినమ్॥
మారితశ్చాత్మ జేనాహం ముఖం బధ్వా బుభుక్షితః
వృధాశ్రాద్ధం కృతం తే న జాతా ஽ ధ్యమమ కష్టతా॥

'నేనేం చేసేది అశక్తుణ్ణి' నేను బరువులు మోసే ఎద్దునయ్యాను. ఈ దినమంతా నా చేత అబ్బాయి పొలంలో మూతికి చిక్కంబెట్టి దుక్కి దున్నించాడు. ఇవ్వాళ యింట్లో శ్రాద్ధం పెట్టాడు కదా ఏమైనా పెడతాడనుకున్నాను. కాని బాగా కొట్టాడు. ఇవ్వాళ ఎక్కువ శ్రమ చేయించాడు. ఆకలితో చచ్చిపోతున్నాను. వీడు వృథా శ్రాద్ధం పెట్టాడు. ఇది నాకు కష్టం కలిగించింది' అని అన్నదట ఎద్దు. మీకలా జరిగితే, నన్నేమో కోడలు నడుం విరుగగొట్టింది. చూడండి. అని కుక్క వీపుచూపిందట, జరిగిన సంగతి చెప్పి (సభలో చిరునవ్వులు) అందుచేత చచ్చిన వాళ్ళకు తద్దినాలు పెట్టడం ఎంత నిష్ప్రయోజనమో మనకు ఈ కథ చెబుతుంది.

ఈ కథే కాకుండ మహాభారతంలో నిమి కథ ఒకటున్నది. (అనుశాసన పర్వం 91 అధ్యాయంలో) ఆ కథ యిప్పుడు చెప్పడానికి సమయం చాలదు. మీరు తరువాత చూచుకోండి.

వైతరణీ నది :-

జీవుడు యమలోక యాత్ర చేసేటపుడు యింకా ఏమేమి చిక్కులు ఎదురౌతాయో చూడండి ! యమలోక ప్రయాణంలో ఉండే జీవుడు 'వైతరణి' అనే నదిని దాటాలని చెబుతారు పౌరాణికులు. దానిలో చీము, నెత్తురు ఎప్పుడూ పారుతుందట. ఆ చీమునెత్తురూ ఏ ఫ్యాక్టరీలో తయారైందో తెలియదు. ఆకాశంలో యిలాంటి నది ఎట్లా ఉంటుందో మన కర్థం కాదు ! ఈ మధ్య మనుష్యులు రాకెట్లలో వెళ్ళి చంద్రుడి చుట్టూ తిరిగి చూచారు. కాని ఆవైతరణి ఎక్కడా తగల్లేదు. పోనీ భూమికి, చంద్రునికి మధ్యలో చూచినా వాళ్ళకు ఎక్కడా వైతరణి కనుపించలేదు. హిమాలయ ప్రాంతాల్లో ఏదో ఒక వైతరణి ఉన్నట్లు పుస్తకంలో ఉంది. ఆవైతరణి నది యొక్క విస్తీర్ణం ఎంత ఉందో పుస్తకంలో చెబుతాడు. (పుస్తకం చూచి చదువుతూ శ్రీగురుదేవులు).

శైల రాజస్య పృష్ఠేతు శ్రుణు స్థానాని యానివై
అస్తిపుణ్యా మహాదేవి నదీ వైతరణీ శుభా॥

(కేదార కల్పము 5వ పటము)

ఓ మహాదేవి హిమాలయ పర్వత పృష్ఠభాగం (వెనుకభాగం) నందు ఉన్న స్థానములేవో విను అచట పవిత్రమైన గొప్ప వైతరణీ నది ఉంది అంటాడు. ఇలాంటి నది హిమాలయాల్లో యిప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నది తెలియదు. అది ఉంటే అందులో నీరు ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది గాని చీము, నెత్తురు ప్రవహించదు. ఈ వైతరణి నది హిమాలయాల్లో ఉంది కనుక భూమి మీద మాత్రమే ఉంది.

యమలోక ప్రమాణంలో ఉన్న జీవునికి అడ్డు వచ్చే ఆవైతరణీ నదికి పౌరాణికులు కొలతలు కూడ యిచ్చారు చూడండి.

శతయోజన విస్తీర్ణా పృథు త్వేషా మహానదీ॥
పూయ శోణిత తోయాఢ్యా మాంస కర్దమ సంకులా॥
పాపినం హ్యాగతం దృష్ట్వా నానాభయ సమాగతమ్॥

నూరు యోజనాల విస్తీర్ణం అంటే 800 మైళ్ళ పర్యంతం వైతరణి వ్యాపించి ఉన్నదట, గొప్పనది అట. అది చీము, నెత్తురుతో నిండి ఉన్నదట. మాంసమనే బురదతో కూడు కున్నదట, తన దగ్గరకు వచ్చిన పాపులకు మిక్కిలి భయం కలిగిచేదట ! ఇలాంటి నదిని చచ్చిపోయిన మన బంధువు దాటాలంటే సామాన్యమా ? అందుచేత నది దాటించడానికి పాపం ఒక గోవును బ్రాహ్మణునికి దానం చెయ్యాలట ! పోనీ గోవును దానం చేసినందువల్ల అతడు క్షేమంగా అవతలి గట్టుకు చేరతాడా అంటే లేదట. ఆ గోవు తోక పట్టుకొని జీవుడు నది దాటుతాడట. ఆదాటేటప్పుడు రక్తము, చీము అప్పుడప్పుడు అతని నోటిలోనికి, ముక్కుల్లోనికి కూడ పోవచ్చును. (సభలో నవ్వులు)

పురోహితునికి చేసే గోదానం వల్ల మనకు పాపం చుట్టుకుంటుంది :-

గోవు మనకు మాత, గోస్తన్యం మనం త్రాగుతాం. అందుచేత దానిని తల్లి అని అంటుంటాం. ఎవరైనా గోవును చంపితే మనం సహించం. గోవధ నిషేధ చట్టం చెయ్యాలని మనం గవర్నమెంటుతో పోట్లాడుతాం. సన్యాసులు కూడ అందుకోసం నిరాహార దీక్షలు చేశారు. అటువంటి గోమాతను మనం బ్రాహ్మణునికి దానం చేశామనుకోండి. అది పాడి ఆవు అయితే ఆబ్రాహ్మణుడు ఉంచుకుంటాడు. లేకపోతే ఉంచుకోడు. మనం వట్టి ఆవును ఇస్తే పాపం బ్రాహ్మణుడు అక్కడికి అంటాడు, నాకు పాడి ఆవును యివ్వండి ఒట్టి ఆవు ఎందుకు అని.

కాని మనం పాడి ఆవును యివ్వం. ధర తక్కువ దాన్ని చూచి ఒట్టి ఆవునే యిస్తాం. అతడు ఆ ఆవును పోషించలేడు. దానిని తీసికొని వెళ్ళి యింకోబజారులో చవుకగా అమ్మేస్తాడు. అది ఏకటిక వాని చేతిలోనో పడి వధ్యశాలకు పోతునిది. దానిని చంపుతారు. అది మన చచ్చిన బంధువు కంటె ముందుగానే నరకం చేరుతుంది ! (బాధతో) చూడండి ఎంత అన్యాయమో. చచ్చినవాడి కోసం గోవును దానం చెయ్యడమా ? అది కటిక వాని చేతిలో బడి చావడమా ? ఎందుకలా చెయ్యాలి ? చచ్చిపోయిన వాడు వైతరణిలో బాధలు పడతాడు, వాణ్ణి రక్షించడానికంటారా ? ఏం? బాధలు పడితేపడనివ్వండి. కాకపోతే అతడు చేసిన పాపాలకు అనుగుణ్యంగా కాస్త బాధలు పడతాడు అంతేగదా. పాపం మధ్య గోవేం చేసినిది ? దాన్ని చంపడానికి కారకులం మనమెందుకు కావాలి ? మనం చేసే పనులు ఎంత హాస్యాస్పదంగా ఉన్నాయో చూడండి.

ప్రతి ఏటా తద్దినాలు ఎందుకు పెడతారు?:-

చచ్చిన మన బంధువుకు దశగాత్రాలు, మాసికాలు పెట్టిన తరువాత సంవత్సరానికి ఒక్కసారి తద్దినం పెట్టితే చాలునని పౌరాణికు లంటారు. అయితే బ్రతికున్న రోజుల్లో మన బంధువు రోజుకు 3 సార్లు తినేవాడు కదా, మరి వాడికి సంవత్సరానికి ఒక్కసారి పిండాలు వేస్తే ఏం సరిపోతునిది చెప్పండి. అందుకు సమాధానంగా పౌరాణికులు మన సంవత్సరకాలం పితృదేవతలకు ఒక్కరోజు అవుతుంది. అందుచేత సంవత్సరానికి ఒక్కసారి పిండాలు వేస్తే చాలు అంటారు. మరి మన వంశంలో చాలమంది యింతకు ముందు చనిపోయారు గదా, వాళ్ళందరికి ప్రతి సంవత్సరం ఎందుకు తద్దినాలు పెట్టం ? ఎందుకని అంటే ప్రతి వంశంలో కొన్ని వందల మంది - చచ్చి ఉంటారు. వాళ్ళందరికీ తద్దినాలు పెడితే ఇక మనకు తినడానికేం మిగలదు (సభలో నవ్వులు) అనిదుచేత పౌరాణికులు ఈ తద్దినాలు పెట్టడం కూడ (తమ చేతి వ్రేళ్ళను లెక్కిస్తూ శ్రీగురుదేవులు) తండ్రి, తాత, ముత్తాత వీళ్ళ ముగ్గురికి పెడితే చాలునంటారు వీరెక్కడుంటారు ? ఎంతకాలం వీరికి పెట్టాలి ? పెట్టవాడు, బ్రతికినంత కాలం పెడుతూనే ఉంటాడు. అతడు చచ్చినపుడు అతని కుమారుడు, చచ్చిన వారి ముత్తాతకు తద్దినం మాని తన తండ్రి, తాత, ముత్తాతలకు పెడతాడు. దీనిని బట్టి తద్దినాలు పెట్టేవారు ఎంత త్వరగా చస్తే, అంత త్వరగా పైవానికి

అతడున్న చోటు నుండి విడుదల కలుగుతుంది! (సభలో నవ్వులు)

పౌరాణికులు, చచ్చిన మన బంధువులలో మూడు తరాల వారికి - తండ్రి, తాత, ముత్తాత వీళ్ళకు తద్దినాలు పెడితే చాలు, మిగిలిన తరాల వారు జన్మాంతరంలో ఉంటారు. కనుక మనం వాళ్ళకు తద్దినాలు పెట్టనవసరం లేదంటారు. అయితే పుష్కరాలల్లో ఏడేడు తరాల వారిని (చచ్చిన బంధువులను) పేరుపేరున పిలిచి పిండ ప్రదానం చెయ్యమంటారు. జన్మాంతరాలకు వెళ్ళిన వాళ్ళపుడు ఎలా రాగలుగుతారు ? అంటే సమాధానం లేదు.

గృహస్థులై చనిపోయిన వాళ్ళకే గాని, సన్యాసులకు, చిన్న వయస్సు వారికి తద్దినాలు లేవట :- ఇంకొక విషయం ఏమంటే - ఈ తద్దినాలు పెట్టడం కూడ గృహస్థులై చచ్చిన వాళ్ళకేనట. నాబోటి వాడు, పెండ్లి పేరంటం లేకుండా చనిపోతే అతడికి తద్దినాలు పెట్టరు. అట్లే సన్యాసులకు, చిన్న వయస్సు వారికి కూడ తద్దినాలు పెట్టరు. మరి వీరికెవరు పెడతారు? ఎక్కడుంటారు ? వీరికి జన్మాంతరం వెంటనే లభిస్తుందా ? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానా లుండవు. ఇలా, ఇవన్నీ ఆలోచించితే, పౌరాణికులు చెప్పినట్లు పిండాలు వెయ్యడం, తద్దినాలు పెట్టడం ఎలా విపరీతంగా ఉన్నాయో మీకిపుడు అర్థమయి ఉంటుంది. **'గతానుగతి కోలోకః న లోకః పారమార్థికః'** - అన్నట్లు యివన్నీ గొఱ్ఱె దాటుగా చేస్తున్నాం. అంతే తప్ప వాస్తవం తెలిసి చెయ్యడం లేదు.

ఏం పాపం చేస్తే యముడు, అతని కింకరులు ఇంతకాలంగా యమలోకంలో ఉంటున్నారు ?

అసలు నేనొకటి అడుగుతాను. యముడు, వాడి కింకరులు ఏం పాపం చేస్తే యింత కాలంగా ఆ నరకంలో పడి ఉన్నారు ? వాళ్ళకిక Release (విడుదల) లేదా ? చూడండి మిమ్మల్ని ఏ అండమాన్ దీవుల్లో ఉద్యోగం చెయ్యమని పంపితే వెళతారూ ? (సభలో నవ్వులు) ఉఁహూ, వెళ్ళమంటారు. దేముడు యమలోకం ఒకటి పెట్టి అక్కడ యీ చచ్చిన వాళ్ళకు శిక్షలు విధిస్తాడని వేదాది శాస్త్రాలల్లో ఎక్కడా లేదు. **యముడని పరమేశ్వరునకే పేరు 'యమ నియమనే' - (నియమించే వాడు) అనే ధాతువుతో** యమపదం సిద్ధిస్తుంది. జీవులు చేసిన పాప పుణ్యాలకు తగినట్లు కర్మఫలాల నిస్తూ, యీసృష్టి జాతాన్ని నియమ బద్ధంగా నడుపుతుంటాడు గనుక పరమేశ్వరునకు యముడనే పేరుంది. అంతేగాని మీరనుకునేట్లు దున్నపోతునెక్కి వచ్చేవాడు యముడు కాడు. సినిమాల్లో, యముడు దున్నపోతు నెక్కి వస్తున్నట్లు చూపిస్తుంటారు. అది చూసి కొందరు ప్రేక్షకులు వాడికి దండం పెడుతుంటారు (సభలో నవ్వులు) ఒక నటుడు అలా వేషం వేసుకున్నాడనే జ్ఞానం కూడ వీళ్ళకుండదు. ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నామో మనం ఆలోచించం ఏదో చెయ్యమంటున్నారు గదా అని చేస్తాం. అది మంచో చెడో ఆలోచించం. ఇదంతా ఎందువల్ల చెప్పవలసి వచ్చిందంటే అర్జునుడు - **'పతంతి పితరోహ్యేషాంలుప్త పిండోదక క్రియాః'** - (అన్నం, నీళ్ళు యిచ్చే వాళ్ళు లేక పితరులు పతనమవుతారు) అంటాడు. అది వివరించడానికి మీకిదంతా చెప్పవలసి వచ్చింది. **పితృపిండోదక క్రియలకు అసలు అర్థం ఏమిటి?:-**

మరి ఏమిటి ఈ పితృపిండోదక క్రియ ? బ్రతికి ఉండి వివాహం చేసికొని బిడ్డలను కన్నవాళ్ళు పితరులనబడతారు. ముఖ్యంగా తల్లి, తండ్రిని పితరులంటారు. వీరుగాక ఇంటిలో ఉండే తాత, ముత్తాత మొదలైన వృద్ధులను కూడ పితరులంటారు. వారికి నిత్యం ఆకలి దప్పికలు అన్నోదకాలిచ్చి తీర్చడమే పిండోదక క్రియలు అనబడతాయి. వీనినే పితృశ్రాద్ధము పితృతర్పణము అంటారు. చచ్చిన వారికి పిండోదక క్రియలతో సంబంధం ఏదీ లేదు. మరియు బ్రహ్మచారులను, సన్యాసులను కూడ పితరులంటారు. వీళ్ళందరికి అన్నపానీయాలిచ్చి పోషించవలసిన బాధ్యత 'గృహస్థుపై ఉంది. ఒక వేళ యిటువంటి గృహస్థుడు యుద్ధంలో చచ్చిపోయాడనుకోండి. అప్పుడు అతనిపై ఆధారపడిన పితరులు. వృద్ధులగతి ఏమవుతుంది ? వాళ్ళకు అన్నం నీళ్ళు ఎవరిస్తారు ? అన్నోదకాలిచ్చే వాళ్ళు లేనపుడు వారు దుఃఖ భాగులవుతారు గదా ? అదే యిచట అర్జునుని అభిప్రాయము అందుచేత పితృపిండోదకములనేవి బ్రతికి ఉన్నటువంటి పితరులకు యిచ్చే అన్నం నీళ్ళేకాని, చచ్చిన వాళ్ళకు పెట్టే పిండాలు కావు.

స్వర్గ, నరక పదాలకున్న అసలు అర్థం :-

నరకమంటే కష్టమని అర్థం **'కం' అంటే సుఖం. 'నాస్తి కం యస్మిన్ తన్నరకం' - దేనిలో సుఖం లేదో అది నరకం అవుతుంది - 'స్వః - సుఖము 'స్వః గమయతీతి స్వర్గమ్'** - సుఖమును పొందించునది. ఈ రెండూ మనం శరీరం ద్వారానే అనుభవిస్తాం. ఏ శరీరంలో మనం సుఖపడతామో అది స్వర్గం. ఏ శరీరంలో మనకు దుఃఖం కలుగుతుందో అది నరకం అవుతుంది. అంతకు మించి వేరే స్వర్గం, నరకం అనేవి లేవు. అలా కాకుండ పౌరాణికులు చెబుతున్నట్లు నరకలోకంలో యముడునిటాడని, అతని కింకరులు జీవులను దండిస్తుంటారని చెప్పే నరకం అసలు లేనే లేదు. అటువంటిది ఉన్నట్లు వేద శాస్త్రాలల్లో ఎక్కడా చెప్పబడలేదు. అలాగే అమరావతి (స్వర్గలోకం) ఒకటి ఉన్నదని దానికి ంజాఇంద్రుడని అచట రంభాది దేవతలుంటారని కథలు వింటాం. వింటుంటే ఆ కథలు వింతగా ఉంటాయి. అప్పుడప్పుడు రాక్షసులు దేవలోకం పై దండెత్తుతుంటారని, అచటి స్త్రీ, పురుషులను బాధిస్తుంటారని వారి బాధలు పడలేక దేవతలు భూలోకంలోని రాజులు సాయం అర్థించే వారని, అపుడు రాజులు వారిని కాపాడుతుండేవారని, యిలా కథలు వింటుంటాం. మరి యిప్పుడు ఆదేవతలెవరూ భూలోకం వస్తున్నట్లు లేదు. బహుశా వాళ్ళంతా చచ్చిపోయి ఉండవచ్చు ! లేక మన వాళ్ళు పంపే రాకెట్లు తగిలి నాశనమైనారేమో తెలియదు (సభలో నవ్వులు).

దేవలోకంలో వావివరసలు లేవట ! :-

మనం వినే ఆ దేవలోకంలో నీతి నియమాలున్నట్లు కూడ కనబడదు. చూడండి, అర్జనుడొక సారి దేవలోకం వెళ్ళాడట. అచట ఇంద్రుడను భవించే దేవవేశ్య - ఊర్వశి అర్జునుడి వెంటపడిందట ! అర్జునుడందులకు యిష్టపడక, ఇంద్రుడు నాకు తండ్రి, నీవు నాకు మాతృ సమానురాలవు నిన్ను పొందటం భావ్యం కాదు అన్నాడట. అందుకామె, వావివరసలన్నీ మీలోకంలో ఉంటాయి, మాకేవీ లేవు. అని అంటుంది. ఇలా వావివరుసలు లేక తిరిగే లోకం దేవలోకం (సభలో నవ్వులు). అటువంటి లోకం వెళ్ళి రంభతో సుఖాలు అనుభవించాలనుకొని యిక్కడ కొందరు సోమయాజులు యజ్ఞాలు చేస్తుంటారు. పాపం నోరులేని పశువులను కూడ యజ్ఞంలో చంపుతుంటారు. ఇంట్లో రంభలాంటి నుంచి అందమైన భార్య ఉన్నా వారిని అనుభవించరు. అలక్ష్యం చేస్తారు. మరి అప్పుడెప్పుడో ఉన్న రంభా, ఊర్వశిలు, బహుశ యిప్పటికి ముసలి వాళ్లయి పోయి ఉంటారు. పాపం ఈ సోమయాజులు వాళ్ళ కోసం

తంటాలు పడుతుంటారు. (సభలో నవ్వులు)

స్వర్గ నరకాలు కథలు కాకమ్మ కథలు :-

ఇదంతా నిజమా ? కాదు. ఈ స్వర్గనరకాల కథలు కాకమ్మ కథలవలె ఉంటాయి. మనం పిల్లలకు కాకి, నక్క కథ చెబుతాం. (కథను తొందర తొందరగా చెబుతూ శ్రీగురుదేవులు) అనగనగా ఒక కాకి ఉంది. ఆ కాకి చెట్టుపై ఉంది. కాకి ముక్కులో మాంసం ముక్క ఒకటి ఉంది. దానిని కాజెయ్యాలని ఒక నక్క అనుకుంది. నక్క ఒక ఉపాయం పన్నింది. 'కాకమ్మా ! నీవు ఎంత అందంగా ఉన్నావు, నీవు చాల బాగా పాడతావట, ఏది ఒక్కపాట పాడు, కాకి పొంగిపోయి నోరు విప్పి కాకా అన్నదట, మాంసం ముక్క క్రిందపడిందట మాంసం ముక్కను నక్క ఎత్తుకొని పారిపోయిందట అని కథ చెబుతాం. పిల్లలకు మనం ఈ కథ చెప్పడంలో ఉద్దేశ్యం ఏమిటి ? ఇతరులెప్పుడైనా పొగిడితే పొంగి పోవద్దు అనే నీతిని పిల్లలకు చెప్పడం మన ఉద్దేశ్యం. అంతేగాని, కాకి, నక్క కథ నిజమా ? కాదు. అలాగే పౌరాణికులు చెప్పే స్వర్గ నరకాదుల కథలు కూడ కల్పితాలు. నరక భయంతో పాపం చేయక, స్వర్గ సుఖా పేక్షతో పుణ్యం చేస్తారని కల్పించిన గాధలుగా కనిపిస్తున్నాయి.

స్వర్గలోకం, నరకలోకం అనేవి ఉంటే మనం అంగీకరించే పునర్జన్మ సిద్ధాంతం తప్పవుతుంది:-

వాస్తవంగా స్వర్గలోకం, నరకలోకం అనేవి ఉంటే మనం అంగీకరించే పునర్జన్మ సిద్ధాంతం తప్పవుతుంది. ఎలాగంటే - జీవుడు తాను చేసిన కర్మల ఫలంగా నరకంలో దుఃఖాలు అనుభవించి, స్వర్గంలో సుఖాలు అనుభవించితే, అతడు అనుభవించవలసిన కర్మఫలా లేవీ మిగలవు. అప్పుడు జన్మ ఉండదు. అతడు ముక్తుడు కావాలి. పౌరాణికులు, జీవులు మళ్ళీ జన్మకు వస్తారని అంటారు. ఇదెలా సంభవం? కర్మలు నిశ్శేషంగా అనుభవించబడిన తరువాత జీవుడు ముక్తి పొందాలి. అది విధానం కూడ. మరి జీవుడు ముక్తుడవుతాడు అని అంగీకరించామనుకోండి, జీవుడు మళ్ళీ జన్మకు రాడు గనుక, అప్పుడు పునర్జన్మ సిద్ధాంతం తప్పవుతుంది. కాని పునర్జన్మ సిద్ధాంతాన్ని కాదనడం వేదశాస్త్ర విరుద్ధం. అందుచేత స్వర్గ నరకలోకాలు వేరేలేవు ఉన్నాయని అంగీకరిస్తే యిన్ని చిక్కులున్నాయి! ఇది ముఖ్యంగా మనం గుర్తించవలసిన విషయం. తరువాత అసలు కథకు వద్దాం.

అహోబత మహత్పాపం కర్తుం వ్యవసితా వయమ్ ।
యద్రాజ్య సుఖలోభేన హంతుం స్వజన ముద్య తాః॥ గీత. 1-45

కృష్ణా ! మనం ఈ యుద్ధం ద్వారా ఎంత పాపం చేయబోతున్నామో చూడు ! ఎందువలన యీ యుద్ధం చెయ్యబోతున్నాం ? రాజ్యం వస్తుందని, తద్వారా సుఖాలు కలుగుతాయనే లోభబుద్ధితో చేయబోతున్నాం. ఈ కారణంగా స్వజనులను చంపడానికి కూడ సిద్ధమైనాం కదా? ఇది ఎంత కష్టము !

యది మామ ప్రతీకార మశస్త్రం శస్త్ర పాణయః
ధార్త రాష్ట్రా రణే హన్యుస్తన్మే క్షేమతరం భవేత్॥ -గీత. 1-46

'ఒక వేళ శస్త్రాస్త్రాలు ధరింపని నన్ను అవిధరించిన దుర్యోధనాదులు చంపుతారని అంటావా ? అలా చంపితే అదే నాకెక్కువ మేలుగా కనిపిస్తున్నది' అని అర్జునుడంటాడు.

శస్త్రము, అస్త్రములంటే :-

శస్త్రము అస్త్రములనే పదాలు మీరు విని ఉంటారు. ఇవి రెండు రకాలయిన ఆయుధాలు శస్త్రము అంటే చేతిలో ఉపయోగించే కత్తి, బల్లెం మొదలైనవి, అస్త్రమంటే, ముందుగా తయారుచేసి పెట్టుకొనే మారణాయుధాలు. అవే అగ్నేయాస్త్రం, పాశుపతాస్త్రం, బ్రహ్మాస్త్రం. వారుణాస్త్రం అని యిలా గ్రంథాలల్లో చెప్పబడినాయి. ఈనాడు యుద్ధాల్లో వాడే బాంబూలు, ఈరకానికి చెందుతాయి. (గ్రేనేడు, ఆటంబాంబు హైడ్రోజన్ బాంబు మొదలైనవి) మనం గ్రంథాలల్లో అగ్నేయాది అస్త్రాలను మంత్ర పూర్వకంగా ప్రయోగించారని చదువుతాం. అంటే అర్థమేమిటి ? మంత్రమంటె ఆలోచన. ఆలోచనా పూర్వకంగా బాంబులను మొదట తయారు చేసి పెట్టుకొని తరువాత వాటిని యుద్ధంలో వాడడడమన్న మాట. అదే మంత్ర పూర్వకంగా అగ్నేయాది అస్త్రాలను ప్రయోగించడమంటే అర్థం.

సంజయ ఉవాచ :-

ఏవముక్త్వార్జునః సంఖ్యే రథోపస్థ ఉపావిశత్।
విసృజ్యసశరం చాపం శోక సంవిగ్న మానసః॥ గీత. 1-47

'కృష్ణా ! దుర్యోధనాదులు నన్ను చంపినప్పటికి నేను వారితో యుద్ధం చెయ్యనని చెప్పి అర్జునుడు విల్లు, అమ్ములను విడిచిన వాడై దుఃఖిస్తూ రథం మీద కూలబడ్డాడట ! ఇప్పటికి ఒక అధ్యాయం పూర్తయింది. రెండవ అధ్యాయం మొదలు పెడదాం.

శ్రావణ సంధర్భములో మొక్క నాటిన ఆర్య సమాజం అమిస్తాపూర్
మొక్క నాటుతున్న దయానంద్ విద్యామందిర్ విద్యార్థినీలు

Date of Publication 2nd & 17th of every Month, Date of posting 3rd and 18th of every month
आर्य जीवन 18-09-2016 Registered-Reg. No. HD/783/2015-17 RNI.No.52990/93

To,

vL

ఆర్య జీవన్

హిందీ-తెలుగు ద్విభాషా పక్ష పత్రిక

Editor: **Vithal Rao Arya,** M.Sc. LL.B., Sahityaratna
Arya Prathinidhi Sabha AP-Telangana, Sultan Bazar, Hyderabad-95.
Phone No. 040-24753827, 66758707, Fax: 040-24557946
Annual subscription Rs. 250/- సంపాదకులు - విఠల్‌రావు ఆర్య, ప్రధాన్ సభ

ఆర్య ప్రతినిధి సభ ఆధ్వర్యములో పండిత్ వేంకటేశ్వర్ శాస్త్రి మరియు పండిత్ బన్సీలాల్ వ్యాస్ గారి సంస్మరణ సభలో ప్రముఖులు మరియు ఉపస్థితులైన ఆర్య బంధువులు

THE VIEWS & THE NEWS PUBLISHED IN THIS ISSUE MAY NOT NECESSARILY BE AGREEABLE TO THE EDITOR
Editor Vithal Rao Arya, ● acharyavithal@gmail.com, Mobile : 09849560691

సంపాదకులు : శ్రీ విఠల్‌రావు ఆర్య, ప్రధాన్, ఆర్యప్రతినిధి సభ ఆ.ప్ర.-తెలంగాణ, సుల్తాన్‌బజార్, హైదరాబాదు-95. Ph: 040-24753827, Email : acharyavithal@gmail.com
संपादकः श्री विठ्ठलराव आर्य प्रधान सभा ने सभा की ओर से आकृति प्रेस चिक्कडपल्ली में मुद्रित करवा कर प्रकाशित किया ।
प्रकाशकः आर्य प्रतिनिधि सभा आं.प्र.-तेलंगाना, सुल्तान बाज़ार, हैदराबाद तेलंगाना-95.